खण्ड-332, अंक-5
गुरूवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1900
(27 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	६४५-६४८
प्रश्नोत्तर ..	६४९-७०८
कतिपय विषय ..	७०८
जरवल रोड चीनी मिल में गन्ना किसानों का लाखों रुपया निकाल लिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७०९
उन्नाव में उन्नाव-हरदोई मार्ग पर चलने वाली बसों का अड्डा बदल दिये जाने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना ..	७०९-७१०
हाटा-कप्तानगंज रोड पर मथौली ग्राम जनपद देवरिया के चार व्यक्तियों को ट्रक द्वारा कुचल कर हत्या किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७१०
कोयले के प्रदेश में, अकाल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७१०-७११
कानपुर में श्री जार्ज फरनाडीज के आगमन पर श्रमिकों की सभा में झंडा उतारे जाने पर झगड़ा होने की घटना के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७११
जेलर की साजिश से जिला कारागार, लखनऊ से कुख्यात अपराधियों को जबरदस्ती भगाये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७११-७१२
शेरगढ़-नौहझील व मांट-वृन्दावन मार्ग में यमुना नदी पर अविलम्ब पुल बनवाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७१२-७१३
मिर्जापुर नगर व विन्ध्याचल के घाटों के कटाव से होने वाली क्षति से व्यापक असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	७१३
सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों को भाषण के लिये अवसर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	७१३-७२१
स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	७२१-७२३
राज्य विद्युत् परिषद् अभियन्ता संघ द्वारा १५ अप्रैल, १९७८ से कलम बन्द हड़ताल तथा २८ अप्रैल, १९७८ से कठोर कदम उठाये जाने के निश्चय के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७२३-७२९
पन्तनगर विश्वविद्यालय का १० लाख क्विन्टल गन्ना किच्छा मिल को देने के शासन के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७२९

अमरीकन गुप्तचर संगठन, सी० आई० ए० द्वारा नन्दा देवी क्षेत्र की जासूसी के लिये इस्तेमाल किये जाने एवं शक्तिशाली परमाणु उपकरण के छोड़ दिये जाने से गंगा के पानी का रेडियो थर्मी किरणों से विषाक्त होने के खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ७२०–७२४

अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर, जिला कानपुर में रामायण तथा मनुस्मृति को जलाये जाने का ऐलान तथा सद्भावना समिति द्वारा इसकाविरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष की सम्भावना के सम्बन्ध में वक्तव्य .. ७२४–७२५

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया) .. ७२६

दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था .. ७२६–७५६

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. ७५६–७५७

१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ४४–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या ७७–विशेष पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (जारी) सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ७५७–७७७

१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ४४–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या ७७–विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. ७७७–७८४

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं .. ७८४

प्रदेश के होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिये किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. ७८४–७९३

गोरखपुर जनपद के सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन पर पी० ए० सी० के सिपाहियों द्वारा गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. ७९३–७९९

नस्थियां .. ८०१–८०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजकर १ मिनट पर अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य २६१

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायन श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री

करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मंत्र बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह, चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर,
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैंचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री

मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठ ई लाल, श्री
मिश्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील, उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री

शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पी० सी० एस० सेवाओं में एक आंख के व्यक्तियों की नियुक्ति

**१--श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० सेवाओं में एक आंख के व्यक्ति को लिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल मैनुअल दिनांक १६ जनवरी, सन् १९३४ के चैप्टर २४७ 'डी' जनरल द्वारा निषेध किया गया है। जब कि आई० ए० एस० सेवाओं में ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार अयोग्य नहीं माना गया है ? क्या सरकार इस विषमता को दूर करने के लिए पी० सी० एस० सेवाओं हेतु भी तद्नुसार परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)--

सम्प्रति राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' की सेवाओं में एक आंख के व्यक्तियों की नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश मेडिकल मैनुअल के द्वितीय संस्करण १९६९ के प्रस्तर-२४७ के अनुप्रस्तर-६(ए)-ए(१) के अनुसार प्रतिबन्ध है। भारतीय प्रशासनिक एवं एलाइड सेवाओं के लिये भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट शारीरिक योग्यता के मानकों के प्रकाश में राज्याधीन समूह 'क' तथा 'ख' की सेवाओं के लिये निर्धारित शारीरिक योग्यता के मानकों में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित टीका शुल्क की दरें

**२--श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सालयों में पशुओं पर टीका शुल्क १० पैसे निश्चित है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इसको समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण शुल्क की दर इस प्रकार है :--

१--बड़े पशु	..	१० पं०
२--छोटे पशु	..	५ ,,
३--मुर्गी	..	२ ,,

यह दरें राज्य के आर्थिक संसाधनों को जुटाने के निमित्त जनवरी, १९७६ में निर्धारित की गई थी।

बाढ़ तथा सुखे से प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं को महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए कराये जाने वाले टीकाकरण को निशुल्क करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्य दशाओं में शुल्क समाप्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निःशुल्क टीकाकरण में फर्जी रिपोर्टिंग की भी संभावना है।

किसानों द्वारा सहकारी गन्ना समितियों से लिये गये ऋणों पर ब्याज का भुगतान

**३—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) तथा श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि जो किसान केन यूनियन से ऋण लेते हैं, उन्हें कर्जा लेने की तिथि से ३० अप्रल तक का ब्याज देना पड़ता है, जबकि ३० अप्रैल के पूर्व ही ऋण का भुगतान कर देते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

सहकारी गन्ना समितियों से सदस्य गन्ना कृषक ऋण लेते हैं। उन्हें ब्याज कर्जा लेने की तिथि से ३० अप्रैल तक का देना पड़ता है क्योंकि गन्ना पूर्ति सामान्यतया नवम्बर से अप्रैल तक और कभी-कभी मई एवं जून तक होती रहती है। गन्ना किसानों से कर्जा की कटौती उनके गन्ना मूल्य भुगतान से की जाती है। गन्ना किसान अपने कर्जे का भुगतान गन्ना समितियों को अलग-अलग पर्चियों पर भिन्न-भिन्न समय पर करता है। इसलिये समितियों ने गन्ना की सरलता हेतु अपनी उपविधियों में निश्चित अवधि तक के इस प्रकार के ब्याज लगाने हेतु प्राविधान किया, जिसको सदस्य गन्ना कृषकों ने अपनी गन्ना समिति की सामान्य निकाय में स्वीकार भी किया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि गन्ना किसानों से उसी समय तक का ब्याज लिया जाये जितने समय तक ऋण उनके पास रहता है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उत्तर से स्पष्ट है, कैलकुलेशन की सुविधानुसार वह किया गया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

गणना की सुविधा के अनुसार किया जा रहा है पर है तो गलत ही। इसलिये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि ब्याज उतने समय का ही लिया जाये जितने समय तक कर्ज उनके पास रहे ? इसके अलावा क्या सरकार यह बतायेंगी कि प्रदेश में गन्ना किसानों से अधिक ब्याज के रूप में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर अनुपूरक प्रश्न में नहीं दिया जा सकता। यह विस्तृत सवाल है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जिस प्रकार से किसान को ऋण पर अधिक समय का ब्याज देना पड़ता है, क्या किसान को भी उसी तरह से गन्ना डालने पर जो पुर्जी मिलती है उस पर अधिक ब्याज मिला करेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वह तो ब्याज की दर उसमें जुड़ जाती है।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि अगर किसान का दाम समय पर नहीं मिलता तो क्या उसका भी ब्याज उसको मिलेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वह तो उसमें मिल जाता है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना विकास मंत्री जी ने कहा कि ब्याज मिल जाता है । मान्यवर, इस साल की समस्या यह है कि अभी तक किसानों को पेमेंट ही नहीं हो रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगी कि किसानों को जो भुगतान नहीं हो रहे हैं, उस पर क्या उनको सरकार ब्याज देगी ? दूसरे, क्या किसानों के लिए चूंकि उसका गन्ना बिक ही नहीं रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो उस पर जो कुछ कर्जा है, उस पर गन्ने की वजह से कर्जा जो है, क्या मान्यवर, उसको सरकार भुगतान करेगी ? मान्यवर, किसान मर गया, दो-दो दिन भूखों पड़ा रहता है, लेकिन माननीया मंत्री जी देखती ही नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, वह जो आपका गन्ना मूल्य का सवाल है, सरकार ब्याज देगी ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, ब्याज तो नियमों में लिखा है । उनका कहना है कि किसानों पर कर्जा केन यूनियन का, कोआपरेटिव का, सरकार का है और दूसरी तरफ किसान का पैसा बाकी है, तो क्या आप उस पैसे को चुकाने में ऐडजस्टमेंट की व्यवस्था करेंगी ? उनका यह आशय है माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती चन्द्रावती—

उनमें सरकार द्वारा ऋण जो है, उनमें अभी कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि सहकारी समिति को जो रिपोर्ट रिजर्व बैंक आफ इंडिया से मिलती है और किसानों को योजना के अन्तर्गत मिलती है, वह किस हिसाब से मिलती है और किस ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे पैदा नहीं होता ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर))—

माननीय मंत्री ने यह कहा कि जो ब्याज किसानों का होगा, वह ब्याज सरकार देगी, तो ब्याज सरकार देगी कि फैक्टरी देगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसे ठीक कर लीजिए, फैक्ट्री देगी ।

श्रीमती चन्द्रावती—

गन्ने के मूल्य पर ब्याज जो है वह फैक्ट्री वगैरह से दिया जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो किसानों ने केन यूनियन से ऋण लिया है और उनका गन्ना खेत से उठा नहीं है, क्या उस ऋण के ब्याज से माननीय मंत्री जी किसानों को मुक्त करेगी ।

श्रीमती चन्द्रावती--

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कितना पैसा केन यूनियन का बकाया है और मिलों पर कितना पैसा किसानों का बकाया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)

मान्यवर, इस वर्ष गन्ना की जो बकाया धनराशि है, देवरिया जनपद में करोड़ों की संख्या में बकाया है, हजारों पर्चियां किसानों के घर पर हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन की ओर से किसानों के बकाये धनराशि के पेमेंट के लिए कोई व्यवस्था हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का कहना है कि जो पर्चियां गन्ने की हैं उनकी अदायगी की कोई व्यवस्था है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

गन्ने की पर्चियों की अदायगी की व्यवस्था है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय---

मान्यवर, प्रदेश में गन्ना कास्तकारों की पर्चियां पड़ी हुई हैं और करोड़ों रुपया पेमेन्ट का बाकी है । तो आप क्यों नहीं पर्चियों को रखकर पैसा एडवांस दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वह दे चुकी हैं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अप्रैल तक ब्याज किसानों से लिया जाता है तो जनवरी तक ही कर दें, क्या इसका आश्वासन मंत्री जी सदन में देंगी कि जनवरी तक का ही ब्याज लिया जायगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जो व्यवस्था चल रही है वह वैसे ही अभी चल रही है और जो वित्त पोषण है, उसमें ३० अप्रैल तक कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि नवम्बर तक कर्ज लिया जाता है अगर किसी का कर्ज जनवरी में अदा हो गया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का ब्याज किसानों से क्यों लिया जाता है ? तो क्या आप ऐसा आदेश देगीं कि जो जनवरी तक अदा करेंगे उनको जनवरी तक का ही ब्याज देना पड़ेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, ऐसी कोई स्पेशल उनकी बात हो तो मुझे बतायें तो वह हो सकती है । लेकिन प्राविजन के मुताबिक जो व्यवस्था है उसी के अन्तर्गत यह काम होता है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, इस साल जिन किसानों ने गन्ना बोया है उनके सामने गम्भीर संकट है, खेतों में गन्ना सूख रहा है । तो स्थिति को देखते हुये क्या मंत्री जो इस पर विचार करेंगी कि जो किसान के ऊपर यूनियन के कर्जे हैं, दूसरे कर्जे हैं तो उन कर्जों पर ब्याज माफ कर दिया जायगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह नीति से सम्बन्धित है इस पर विचार किया जा सकता है ।

लखनऊ स्थित हसनगंज मोहल्ले में विद्युत् संकट

**४--श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद), श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया), श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी), श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ), श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर), श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री राम लखन (जिला इटावा)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ स्थित हसनगंज मोहल्ले में ऐसे समय जब कि हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं चालू हालत में हैं और अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, बिजली एक सप्ताह से नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इस अस्त-व्यस्तता को ठीक करने हेतु सरकार अविलम्ब क्या ठोस कदम उठा रही है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारी द्वारा जांच करने पर पता चला है कि लखनऊ स्थित हसनगंज मोहल्ले में एक सप्ताह तक बिजली की सप्लाई कभी बन्द नहीं रही है ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, मंत्री जो से ई जानल चाहित हैं कि कौन अधिकारी जांच किहल और जांच के पहिले कौन स्थिति रहिल ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय, लखनऊ की जो यह सूचना है तो उसके अनुसार हसनगंज में अधिशासी अभियंता (वितरण) द्वारा उपर्युक्त जांच कराई गयी है। मगर किसी निवासी ने यह नहीं कहा कि एक सप्ताह या कई दिन तक बिजली बन्द रही। इस सम्बन्ध में निराला नगर, हनुमान सेतु शिकायत केन्द्र के अभिलेखों की जांच कराई है और अभिलेखों में ऐसी कोई शिकायत नहीं दर्ज है जो २४ घंटे में दूर न कर दी गयी हो।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, ई जानल चाहित है कि अधिकारी जाकर विद्युत व्यवस्था कराइल या वोकरे पहिले से ठीक हो गइले ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि जो रिकार्ड्स देखे गये उसमें २४ घंटे से अधिक कहीं बिजली सप्लाई फेल रही ऐसा नहीं मिला। ५ माननीय सदस्यों ने लखनऊ के एक मोहल्ले हसनगंज के बारे में पूछा कि सात दिन से बिजली नहीं आ रही है तो इसका मैंने अभी उत्तर दिया है और मैं पुनः बोर्ड के एक उच्च स्तरीय अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करा लूंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी यह स्वीकार किया है कि २४ घंटे से ज्यादा बिजली आफ नहीं रही है। तो क्या २४ घंटे आफ रही और फिर एक घंटा आ गयी, फिर २४ घंटे आफ रही और फिर एक घंटे बिजली आ गयी ? यदि यह सही है, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे २४ घंटे वाली बीमारी समाप्त हो ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जो शिकायत पुस्तिका रहती है उसमें जो सूचनायें जनता से शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त होती है वह लिखी जाती है। उस सूचना को अटेन्ड करने के लिये हमारे अधिकारी जाते हैं। मैंने जो उत्तर दिया कि जो शिकायत पुस्तिका रखी गयी है उसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं था कि कोई शिकायत ७ दिन तक अटेन्ड न हुई हो या ७ दिन तक उस मोहल्ले में बिजली न गयी हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

राष्ट्रीय आपातकाल १९६५, पाकिस्तान युद्ध के समय के प्रदेशीय सरकार में सेवारत डाक्टरों की सेवावधि जोड़ने की मांग

*१—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे डाक्टर सेवारत हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल १९६५, पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं और बाद में प्रदेश की सेवा में ले लिए गए हैं ? क्या उनकी सेना की सेवावधि को प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उनकी सेना की सेवाओं को प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होने की आशा है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राप्त सूचना सन्तोषजनक नहीं है अतः इस सम्बन्ध पुनः छानबीन कराई जा रही है ।

(श्री गिरीश चन्द्र तिवारी के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त खेद का विषय है कि जो माननीय सदस्य अल्प-सूचित प्रश्न देते हैं वह भी उपस्थित नहीं रहते हैं । इससे अनावश्यक व्यय होता है । यह बड़ी गैर जिम्मेदारी है । दो सदस्यों के आज दो अल्प-सूचित प्रश्न थे, लेकिन वह यहां मौजूद नहीं थे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो आपके यहां जाते हैं वह अल्प-सूचित प्रश्न होते हैं । आफिस में स्वीकार नहीं होते हैं इसलिये इसको भी ध्यान में रखना होगा ।

जनपद ललितपुर तथा झांसी में प्रारम्भ की गई पेयजल योजनायें तथा उनका कार्यान्वयन

*२--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री, दिनांक १३ अक्तूबर, १९७७ प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७६-७७ और १९७७ से ७८ में ललितपुर में कितने रुपयों की कौन-कौन सी नई योजना और झांसी में कितने रुपयों की कौन-कौन नई योजनाओं पर काम प्रारम्भ किया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

(अ) जनपद ललितपुर में वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ में कोई भी नई योजना प्रारम्भ नहीं की गयी है ।

(ब) जनपद झांसी में वर्ष १९७६-७७ में कुल १२९·६२ लाख रु० की निम्न नई योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है :--

१--बमरौली ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत ४५·०१ लाख रु० ।

२--ऐरिव पेय जल योजना अनुमानित लागत ५·७४ लाख रु० ।

३--रानीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत २३·४० लाख रु० ।

४--गुरसराय पेयजल योजना अनुमानित लागत ५५·४७ लाख रु० ।

(स) जनपद झांसी में वर्ष १९७७-७८ में कुल ९८·२५ लाख रु० की निम्न नई योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है :--

१--भरौसा ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत १७·५५ लाख रु० ।

२--चिरगांव पेयजल योजना अनुमानित लागत १९·५२ लाख रु० ।

३--गुरसराय ग्राम समूह पेयजल योजना प्रथम चरण, प्रथम भाग अनुमानित लागत ६१·१८ लाख रु० ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपकी वर्शायी सूची में ललितपुर में १९७०-७१ के बाद कोई भी नई योजना लागू नहीं की गयी है। इसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मैंने जो जानकारी किया वह यह है कि जल संस्थान का गठन १९७५ में हुआ था और १९७५ के पूर्व भी वहां पर कार्यवाही करायी। तो प्राथमिकता वहीं लोग तय करते हैं और जिसके आधार पर वहां पर निर्णय लिया गया लेकिन फिर भी इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने जो बात मुझे बातचीत करने में बताई उससे मैं तनिक भी संतुष्ट नहीं हूं और माननीय सदस्य हमको वहां का सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से उस योजना को चालू करायेंगे जैसा कि झांसी के सम्बन्ध में आपने देखा। इस वित्तीय वर्ष में और इससे पूर्व भी योजनायें प्रारम्भ करायी गयीं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंग कि पिपरावासा ग्रम समूह पेयजल योजना जो ७०-७१ में प्रारम्भ हुई थी, वह क्या पूरी हो गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अभी इसमें पूरा कार्य नहीं हुआ है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इस योजना को पूरा न होने का कारण यह है कि ३० जून, ७२ में यह योजना आरम्भ होन के एक वर्ष पहले ही वहां एक बनी हुई टंकी धराशायी हो गयी थी और उसके कारण आज तक एक बूंद भी पानी वहां नहीं दिया जा सका ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन यह जरूर है कि पिछले सप्ताह ही झांसी की टंकी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था। मुझे स्मरण नहीं है कि वह टंकी यही है या दूसरी।

झांसी जनपद की ताल बेहट पेय जल योजना

*३---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट पेयजल योजना के अन्तर्गत पूरा कलां आदि ग्राम भी शामिल किए गए थे उनमें कार्य न होने का क्या कारण है और उत्तर में दी गई सूची में उक्त ललितपुर जनपद की ६ तथा झांसी जनपद की १३ योजनायें सरकार के पास तैयार होकर कब आ गयी थीं और सरकार ने उन्हें कब स्वीकार किया तथा इन पर काम कब प्रारम्भ हुआ ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तालबेहट ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पूरा कलां ग्राम सम्मिलित नहीं है । योजना पूर्ण की जा चुकी है ।

ललितपुर जनपद की ६ योजनायें तथा झांसी जनपद की १३ योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्नक में दर्शायी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०१ पर)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि सुपरिनटेन्डिंग इंजीनियर, एल० एस० जी० ई० डी० ने पत्र लिख-कर हमें यह सूचित किया था कि पुराकलां, ग्राम तालबेहट, ग्राम समूह पेयजल योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मन्त्री जी कहते हैं कि इसको शामिल नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

पत्र तो माननीय सदस्य के पास होगा ही सुपरिनटेन्डिंग इंजीनियर ने माननीय सदस्य को सूचित किया है । वह पत्र की जानकारी हमको हो जाय तो उत्तर दे सकेंगे ।

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो में भन्डार अधिकारी के पद पर अनियमित नियुक्ति

*४—श्री डी० पी० बोरा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों में भंडार अधिकारी के पद पर किसी कर्मचारी को, जो पद के लिये अर्हता नहीं रखता है तथा बहुत ही कनिष्ठ है मार्च, १९७७ में बिना किसी चयन प्रक्रिया के नियुक्त किया गया ? क्या उस नियुक्ति के विरुद्ध ब्यूरों के अन्य कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर १० माह बीत जाने पर भी विचार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनियमित नियुक्ति को तुरन्त समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी तथा विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

भंडार अधिकारी के पद को भरने के लिये भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को अक्तूबर, १९७६ में शिथिल किये जाने के फलस्वरूप उस पद को ६ महीने के भीतर भरना आवश्यक था । विभाग में कार्यरत कोई कर्मचारी निर्धा-रित अर्हता नहीं रखता था । अतएव विभाग में ही भंडार निरीक्षण अधिकारी के पद पर लगभग १० वर्ष से कार्यरत अधिकारी को उनके भंडार सम्बन्धी कार्यों के अनुभव को देखते हुए उन्हें इस पद पर विभागीय संस्तुति के आधार पर तदर्थ रूप से नियुक्त करना उचित समझा गया । इस नियुक्ति के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों को विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया गया है । इस पद पर नियमित रूप से नियुक्ति करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन हेतु भेजा जा रहा है ।

(प्रश्न संख्या ४ पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्त्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, हमें बड़ा कष्ट होता है कि बड़ा परिश्रम करके, तीन-तीन, चार-चार घन्टे सवालों को पढ़कर, समझ कर हम यहां पर आते हैं, लेकिन हमारे माननीय सदस्य अनुपस्थित रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कल्याण सिंह जी, प्रश्नकर्त्ता आपसे बहुत प्रभावित हैं ।

हृदय रोग इंस्टीट्यूट, कानपुर में यन्त्र उपकरण, सर्जिकल सामान की खरीद

*५--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि हृदय रोग इंस्टीट्यूट, कानपुर के लिए १९६७ से १९७१ में बहुत से यन्त्र-उपकरण, सर्जिकल सामान देश में ही बिना टेन्डर के क्रय किये गये है ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में ?

श्री कल्याण सिंह--

इस संस्थान के स्टाक रजिस्टर तथा अन्य सम्बन्धित कागजात जांच के सम्बन्ध में अभी सतर्कता अधिष्ठान के पास हैं । इनके प्राप्त हो जाने पर वांछित सूचना देना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विजिलेन्स ने कागजात कब अपने कब्जे में लिए और कब जांच शुरू हुई ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह अभिलेख २३-५-७७ को सतर्कता विभाग ने अपने कब्जे में लिया और जांच भी बाद में शुरू कर दी होगी ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शासन को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके आधार पर विजीलेन्स ने कागजात अपने कब्जे में लिए थे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, सतर्कता विभाग को ही यह सारा मामला सुपुर्द था । वह जांच कर रहा है । उसकी रिपोर्ट जब हमारे डिपार्टमेन्ट में आ जायेगी, तब उस पर कार्यवाही होगी । जब तक उसकी सारी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती किन-किन शिकायतों पर क्या आख्या दी है तो आज बताना सम्भव नहीं होगा ।

श्री अदल--

सन् ६७ से लेकर ७७ तक का मामला है । इसके बारे में पहले भी सवाल आ चुका है और विभागीय जांच हो चुकी है । सतर्कता विभाग को देने से पहले जो विभागीय जांच हुई थी, उसके क्या नतीजे हैं, क्या मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह पूरा का पूरा मामला सतर्कता विभाग के जांच के अधीन है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न है कि पहले विभाग ने जांच की थी । विभाग की जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

विभाग की जांच की आख्या मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में । उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान के पास जांच के लिए भेज दिया गया । क्या सतर्कता अधिष्ठान ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी दी है ?

श्री कल्याण सिंह--

ऐसी कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग को तभी मामला सौंपा जाता है, जब प्राग दर्शन में आरोप सिद्ध हो जाय । वह आरोप जो प्राग दर्शन में सिद्ध पाये गये, वह क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि वह पत्रावली अथवा आख्या मेरे पास नहीं है । सारा मामला सतर्कता विभाग के अधीन है और उन्होंने लगभग जांच पूरी कर ली है और वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं । उसके बाद हम जल्दी ही इस पर फैसला कर देंगे ।

आचार्य धर्म दत्त वद्य (जिला बरेली)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये यन्त्र और उपकरण कितने रुपये के खरीदे गये थे ?

श्री कल्याण सिंह--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

एक सदस्य--

इसको स्थगित कर दें । इनके पास कोई सूचना ही नहीं है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग को जो मामला चला जाता है, वह बहुत लम्बे समय तक लटका रहता है, जिसके कारण जनता और विभाग के लोगों को परेशानी होती है तो क्या कोई समय निश्चित करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, सतर्कता विभाग से कह दिया गया है कि जल्दी ही रिपोर्ट दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब सरकार कोई इंक्वायरी सेट अप करती है तो उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स होते हैं । जब यह विजीलेन्स के सुपुर्द किया तो उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या थे ?

श्री कल्याण सिंह--

इस समय मेरे पास वह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, जहां तक मुझे मालूम है और अगर मेरी मालूमात गलत है तो मन्त्री जी बतलायेंगे कि मैं गलत हूं । क्या यह सही नहीं कि सतर्कता विभाग को तभी कोई मामला मन्त्रालय भेजता है, जब प्राइमाफेसी केस बन जाता है ? जब प्राइमाफेसी केस बन गया तो वह वाक्यात मंत्रालय के पास है तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न श्री जोशी जी ने पूछा था । उनका उत्तर है कि उनके पास पत्रावली नहीं है । सतर्कता आयोग के पास है ।

[माननीय विद्युत् मन्त्री की प्रार्थना पर ४ थे गुरुवार, दिनांक २०-४-७८ के स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

कतिपय विद्युत् वितरण खंडों द्वारा क्रय किए गए सामान

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कार्यादेशों के माध्यम से भंडार का क्रय जनवरी, १९७३ में मना कर दिया गया था ? यदि हां, तो अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७६ तक विद्युत् वितरण खंड, इलाहाबाद, गोरखपुर, अल्मोड़ा तथा लखनऊ में भारी मात्रा में खरीदा गया और इस अवधि में कितने-कितने रुपये का माल खरीदा गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । जनवरी, १९७३ में विद्युत् परिषद् ने अपने आदेश संख्या ४०/सी० ए० ओ०-ई० ए० (सी०) २/रेविन्यू ७१, दिनांक १७-१-७३ के द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये थे ।

अप्रैल, १९७४ से मार्च, १९७६ तक प्रश्नगत विद्युत् वितरण खंडों द्वारा कार्यादेशों के माध्यम से खरीदे गये सामान का ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

विद्युत् वितरण खंड का नाम	खरीदे गये सामान का मूल्य रुपयों में
	रु०
गोरखपुर	शून्य
अल्मोड़ा	१७,१००.००
लखनऊ	१,३२५.००
इलाहाबाद	६३,२५२.००

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि १९७३ के इस आदेश की अवहेलना करने का जो मामला १९७६ में प्रकट हुआ है, तो शासन के प्रकाश में कब आया और क्या कोई कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्रीमन्, इस आदेश का जो मूल तथ्य था, वह यह था कि टेन्डर करके सामान खरीदा जाय, लेकिन उसमें एक अपवाद यह था कि मजदूरी वगैरह दें, लेकिन टोटल सप्लाई का सामान नहीं खरीदा जा सकता है । जब क्लेम्स मांगे गए तो मजदूरी भुगतान करने के ३२ मामलों में तो नहीं, लेकिन इलाहाबाद वाले मामले में विजिलेन्स से जांच कराई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह मामला कब रेफर किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, रिफरेन्स डेट तो नहीं मिल रही है कि कब भेजा गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभाग में इस तरह की बहुत सी अनियमितताये हुई होंगी और इस मामले में प्रागदर्शन में मामला सिद्ध हुआ, इसलिए विजिलेन्स में भेजा गया तो संदर्भित अधिकारी के विरुद्ध विभाग ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अभी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई । जैसा कि मैंने कहा कि इस बात की छूट थी कि कुछ सामान खरीदा जा सकता है, तो कैसा सामान हो, यहां ७ ट्यूबवेल्स के लिए सामान दिखाकर ६३,००० रु० का सामान खरीदा गया, इसलिए यह मामला छानबीन के लिए दे दिया गया है ।

सीतापुर जिले में विद्युत् के तारों के छू जाने से हुई मृत्यु

*३—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में ३१ अक्तूबर तक सीतापुर जिले में बिजली का तार छू जाने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? क्या उनके आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विद्युत् के तारों के स्पर्शाघात के फलस्वरूप पांच लोगों की मृत्यु हुई । एक मृतक, श्री राम कुमार के आश्रितों को पांच हजार रुपया, दूसरे मृतक, श्री राजेन्द्र प्रसाद के आश्रितों को तीन हजार रु० तथा तीसरे, चौथे व पांचवें क्रमशः सर्वश्री सुमेर, कालीचरन एवं श्रीमती कुटनी के आश्रितों को अन्तरिम रूप से एक-एक हजार रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । इन सभी मामलों में अब पांच हजार रु० तक की क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह जो दुर्घटना हुयी है, यह कम से कम ५ माह पुरानी है, मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पांच आहत हैं उनके आश्रितों को मुआवजे का भुगतान किस तारीख तक हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मुआवजे की रकम सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेज दी जाती है । प्रश्नगत मामलों में जिलाधिकारी को भी इस बात का निर्देश दिया जायेगा कि मुआवजे का पैसा तत्काल उनके सम्बन्धियों को बुलाकर दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे मृत हो जाने के बाद उनके आश्रितों को जो धनराशि मिलती है, वह बहुत कम है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि बिजली के तार से स्पर्श हो जाने के बाद जो लोग मर जाते हैं (और जो कि विभाग की गल्तियों के कारण होता है) उनके आश्रितों को सहातया की धनराशि पांच हजार से १० हजार करने की कृपा करेंगे और इस प्रकार की कोई प्रक्रिया बनावेंगे कि कि यह धनराशि उनको १५ दिन के अन्दर भुगतान कर दी जाय, जांच के बाद ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, इस बात को तो स्वीकार कर लिया गया है कि मुआवजे के रकम को बढ़ा दिया जाय । लेकिन, मान्यवर, लोग अलग-अलग परिस्थितियों में मृत होते हैं । कहीं लोग अनजाने में और विभागीय गलती के कारण बिजली के तार छू जाने से मर जाते हैं और कहीं व्यक्तिगत कारण से तार टूट जाता है और तार के स्पर्श से मर जाते हैं । तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पांच हजार की सीमा को बढ़ाकर १० हजार कर दिया गया है और उसमें विवेक के आधार पर जैसे मामले होंगे, मुआवजा दिया जायेगा ।

जहां तक १५ दिन के अन्दर मुआवजा देने का प्रश्न है, कि जांच करने के १५ दिन में दे दें, तो वह सम्भव नहीं होगा । लेकिन उनको तीन महीनों में अवश्य दिला देंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो लोग तार के छूने से मरे, क्या उसमें तार को जितना ऊंचा होना चाहिये था, उससे नीचा था ? यदि हां, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी थी ? यह पांच हजार रुपये देने की खुशखबरी तो सुना दी, लेकिन इस गलती के लिये किसकी जिम्मेदारी थी, क्या इसकी जांच हुयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जहां तक मुझे स्मरण है, इस मामले में यहां पर प्रश्न आ चुका है और उसके बारे में मैं बता भी चुका हूं जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने लाइन खींची थी, वह नीची थी और जिस डिस्टेंस पर पोल लगाये जाने चाहिये थे, उससे बढ़ाकर लगायें । जिन लोगों ने यह गलत तार लगाये, उनको निलम्बित किया गया और जो देख रहे थे, उनको भी निलम्बित किया गया ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है, इन पांच व्यक्तियों के मरने की जो बात हुयी, यह तार के नीचे होने की वजह से हुयी । तो इसमें सरकार के जो अधिकारीगण जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी ? इसके लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार पाया ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो कई दफा आ चुका है । माननीय मंत्री जी कृपया उनको बतला दें कि इसमें जो एक व्यक्ति मरा और फिर बाद में मरे, तो उसमें कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया गया कि नहीं ? किसकी असावधानी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसमें जिन लोगों को लाइन लगाना था, वे जिम्मेदार थे । जो उसकी देखरेख और मेन्टीनेंस कर रहे थे, वे जिम्मेदार थे । इसलिये उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में विद्युत् की कटौती

*८--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख २८ नवम्बर, १९७७ से देहाती क्षेत्रों को पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांट कर सात घंटे की दिन में पांच से बारह बजे तथा बारह से सात बजे तक इस रबी की बोआई एवं सिंचाई के मौके पर विद्युत् कटौती राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश ने कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, विद्युत् उत्पादन तथा मांग के बीच अधिक अन्तर होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत् कटौती करनी पड़ी । रबी की बोआई एवं सिंचाई को ध्यान से रखते हुय तथा विद्युत् आपूर्ति निश्चित आधार पर करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती मात्र सात घंटे की गई । हरदुआगंज तापीय विद्युत् गृह की दो मशीनें (कुल १२० मे० वा०) की २०-११-७७ को दुर्भाग्यवश घटना में क्षति हो जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की कटौती सात घंटे प्रतिदिन की ही रहने दी गई ।

श्री ऊबल—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में अब भी १२ घंटे की कटौती है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय सदस्य की सूचना पर वाराणसी की अलग से जांच करा लूंगा। इतना निवेदन कर दूं कि १५ दिन का हमारा प्रोग्राम बनता है। ये रोस्टरिंग डेज हैं और उसे बिजली उत्पादन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। दो तापीय घर किसी कारण बन्द हो गये तो ७ के बजाय ८ घंटे कटौती करना पड़ सकता है और अगर बढ़ गयी तो ७ के बजाय ५ घंटे कर देते हैं। एक दम से निश्चित नहीं रहता है। अगर चार पावर हाउसेज बन्द हो गये किसी कारण तो उसे एमरजेंसी रोस्टरिंग कहते हैं और उसे अलग से करना पड़ता है।

श्री ऊबल—

किसानों की फसल कट कर खलिहान में आ गयी है तो मंत्री जी इस तरह का आदेश देंगे कि थ्रेशिंग जल्दी से जल्दी हो जाय उसके लिय बिजली दिन में देने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

दिन में किसान को ६ घंटे बिजली मिले और रात में पूरी तरह से मिले इसके आदेश निर्गत कर दिये गये हैं और उसके लिये रोस्टरिंग प्रोग्राम बना दिया गया है। १ अप्रैल को यह आदेश निर्गत किये गये हैं और जहां तक मुझे याद है इस सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य भी दिया है और रोस्टिंग प्रोग्राम भी बन गया। इधर विद्युत् अभियन्ताओं की हड़ताल से १५ तारीख से हमको बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा है हालांकि बिजली उत्पादन बढ़ोत्तरी की ओर है और इस बात के निर्देश हैं कि गांवों में मड़ाई के लिये सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाय और नये कनेक्शन तथा थ्रेशर लगाने की कोई रोक नहीं है। लाइसेन्स की कोई दिक्कत नहीं है। यह भी किया गया है कि मीटर न होने पर थ्रेशर लगा दिया जाय और लम्पसम पैसे निर्धारित कर दिये गये हैं जिनको वह दे दे तो जितनी भी बिजली मिलती है वह उतनी इस्तेमाल करे और थ्रेशर चला सकता है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

बहुधा जब अक्तूबर, नवम्बर तथा मार्च, अप्रैल में किसानों को अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ती है तभी बिजली की कटौती हुआ करती है तो क्या सरकार कोई ऐसे स्थायी आदेश निकालने की कृपा करेगी ताकि ऐसे समय में कटौती न हो ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

माननीय, मैं इस माननीय सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम से कम कटौती हो इसकी पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले ही से मांग पूर्ति के बीच गैप है और पिछले दिनों जिन्होंने प्लानिंग की उन्होंने शायद इसको दृष्टि में नहीं रखा। इसलिए कठिनाई को देखते हुए हम कटौती के लिए विवश होते हैं। डिमांड बढ़ जाय और ट्रांसमिशन लाइन खराब हो जाय, पावर हाउस डैमेज हो जायं तो हमें बिजली की कटौती करनी पड़ती है। फिर भी जितना हो सकेगा, कोशिश की जायेगी।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपका विद्युत् का रोस्टर बनता है उसमें तथा वाकई जो सप्लाई होती है उसमें बड़ा भारी अन्तर होता है। किसान ब्यौरा रखता नहीं और अगर रखता है तो वह बात मानी नहीं जाती। आपके जो स्टेट ट्यूबवेल हैं उसमें बराबर रिकार्डिंग होती है कि कितने घंटे बिजली आई। तो क्या उनका रिकार्ड मंगा कर टेली करवायेंगे कि बिजली पूरी पहुंची या नहीं। आम शिकायत है कि जितनी बिजली मिलनी चाहिये उतनी मिलती नहीं है। तो क्या इस प्रकार का आप रोस्टर से मिलान करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जहां तक मिलान का प्रश्न है मैं इस मामले में माननीय सदस्यों को सहायता चाहता हूं, उनका योगदान चाहता हूं। सभी स्टेशनों पर रजिस्टर रहता है उस रजिस्टर के अन्दर लखनऊ कंट्रोल से बिजली की कटौती के जो आदेश निर्गत होते हैं वह सब रिकार्ड होते हैं कि उस पर्टिकुलर फीडर पर कितनी देर बिजली गई और कितनी देर नहीं गई। सब आंकड़े रहते हैं। आप सरप्राइज विजिट कर देखें और लोगों को सुनें। ट्यूबवेल का जैसा माननीय सदस्य ने कहा किसी एक का आप कहेंगे तो हम मंगा कर दिखा लेंगे।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अभी मंत्री जी ने कहा कि आदेश दे दिये गये हैं कि ६ घंटे दिन में बिजली मिले और बाकी रात में मिले। इससे पहले भी मैं मंत्री जी से स्वयं मिला था उन्होंने कहा था कि ५० हजार से जहां कम आबादी है वहां बिजली नहीं दी जायेगी। ५० हजार से अधिक आबादी में दी जायेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब यह आदेश क्या सारे प्रदेश में एक से हैं। मेरे क्षेत्र में इस वक्त भी दो मिनट भी बिजली किसानों को नहीं दी जाती दिन में। तहसील ठाकुरद्वारा की मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण करने लगे। आप बैठिये।

माननीय मंत्री जी आपका प्रश्न यह है कि ५० हजार से कम आबादी के नगरों को भी बिजली इसी कटौती के आधार पर दे रहे हैं या नहीं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, पूर्व शासन काल से बिजली की कमी के कारण जैसा मैंने कहा हमें रोस्टरिंग करनी पड़ती है। यह नियम अब भी है। जहां टेलीफून सरविस हैं अमूमन बड़े कस्बों में २५ हजार की आबादी है ५० हजार की नहीं जहां ग्रामीण विद्युत् परिषद् अंचल हैं उनमें भी ७ से १० बजे तक बिजली न देने के आदेश रहा करते हैं। इधर फरवरी के तीसरे सप्ताह तक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि ३० हजार के फीडर ७ बजे शाम को नहीं चलाये गये। लेकिन पहली मार्च से आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि ७ बजे शाम को जब लखनऊ में बिजली जलती है जब नार्मल रोस्टर रहता है तो गांव में भी बिजली जलती है।

खीरी जनपद के ओयल व खीरी टाउन में बिजली की रोस्टरिंग

*११--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के ओयल व खीरी टाउन में बिजली की बारह घंटे की रोस्टरिंग की जाती है जबकि शासन का निर्णय पांच घंटे की रोस्टरिंग का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१ नवम्बर, १९७७ से १२ मार्च, १९७८ तक खीरी जनपद के ओयल व खीरी टाउन में अधिक से अधिक लगभग ११ घंटे १५ मिनट से लेकर १८ घंटे ४० मिनट तक की रोस्टरिंग की जाती रही है । १३ मार्च, १९७८ से अब तक कोई रोस्टरिंग नहीं की जा रही है ।

शासन के निर्णयानुसार १ नवम्बर, १९७७ से १२ मार्च, १९७८ के बीच विभिन्न अवधि में रोस्टरिंग का समय अलग-अलग निर्धारित था जो निम्नवत् है :

समय	रोस्टरिंग के घंटे
१-११-७७ से २२-१-७८ तक	७ घंटे
२३-१-७८ से २८-२-७८ तक	१२-३० घंटे
१-३-७८ से १२-३-७८ तक	७ घंटे

परन्तु समय-समय पर आपातस्थिति हो जाने के कारण अधिक बिजली बन्द रही ।

गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के विभिन्न विद्युत् खंडों में सृजित जूनियर इंजीनियरों के पद

*१३--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ को गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों के विभिन्न विद्युत् खंडों में जूनियर इंजीनियरों के जो पद सृजित किए गए थे उनमें से १ दिसम्बर, १९७७ तक कितने पद भर दिये गए थे और उनमें से कितने पद इस तिथि को रिक्त रह गये तथा उनको भरने के लिये क्या-क्या प्रयास किए गए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१ अप्रैल, १९७६ और १ अप्रैल, १९७७ के मध्य गढ़वाल व कुमायूं मंडलों में विभिन्न विद्युत् खंडों में अवर अभियन्ताओं के कुल २५२ पद सृजित थे जिनमें से १ दिसम्बर, १९७७ तक २१७ पद भरे जा चुके थ । शेष ४१ रिक्त पदों में से ३१ पदों की नियुक्तियां और की जा चुकी हैं । अन्य १० पद अभी रिक्त हैं जिन पर उक्त क्षेत्र के परिचालन वर्ग कर्मचारियों द्वारा दिये गये परीक्षा के परिणाम के घोषित हो जाने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ।

ओबरा ताप विद्युत् गृह का क्षतिग्रस्त जेनरेटर

*१६--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, १९७६ से ओबरा ताप विद्युत् गृह की एक ५० मेगावाट की मशीन जिसको लगाने में कुल खर्च लगभग १७ करोड़ रुपया हुआ, जलने के कारण सितम्बर, १९७७ से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो उसके जलने की जांच किन अधिकारियों से कराई गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सितम्बर, १९७६ में ओबरा ताप विद्युत् गृह का ५० मेगावाट का जेनरेटर शार्ट सर्किट होने के कारण खराब हो गया था और तब से अब तक खराब है। क्षतिग्रस्त जेनरेटर की लागत लगभग २१ लाख रुपये थी।

इसके क्षतिग्रस्त होने की जांच सितम्बर, १९७६ में निम्नलिखित अधिकारियों की जांच समिति द्वारा प्रारम्भ कराई गयी थी :

(१) श्री आर० एन० श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा ताप विद्युत् गृह।

(२) श्री माता प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, ४०० के० वी० सब-स्टेशन, डिजाइन मंडल, लखनऊ।

(३) श्री वी० पी० गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ओबरा ताप विद्युत् गृह।

विद्युत् वितरण खंड, शाहजहांपुर में माल का दुरुपयोग तथा गबन

*२३--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेंगी कि विद्युत् वितरण खण्ड, शाहजहांपुर का विशेष आडिट विभाग द्वारा दिसम्बर सन् १९७७ में किया गया है ? क्या यह सही है कि उसमें उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन पर करीब ५ लाख रुपये दुरुपयोग एवं गबन के तथ्य प्रकाश में आए हैं ? यदि हां, तो अब तक किन-किन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

विद्युत् वितरण खण्ड, शाहजहांपुर का विशेष आडिट विभाग द्वारा २६-१०-७७ से २१-१२-७७ तक किया गया। आडिट द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं उप खण्ड अधिकारी द्वारा केवल अनियमित माल के क्रय आदेश के मामले पाये गये हैं। यह मामला माल के दुरुपयोग एवं गबन से सम्बन्धित नहीं है। यह मामला केवल क्रय सम्बन्धी अनियमितताओं व निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन से सम्बन्ध रखता है। सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। स्पष्टीकरण पर विचार करके उचित कार्यवाही की जायेगी।

आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर विद्युत् की बकाया धनराशि

*२४--श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष १९७७ तक आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर विद्युत् बकाया की धनराशि कई लाख रुपये हैं ? यदि हां, तो कितना और इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७७ के अन्त तक आर० एस० स्टील वर्क्स, बरेली पर केवल रुपया ३७,१७१.८३ बकाया था।

इसमें रु० १७,१२७.०६ की धनराशि अधिक भार के मोटर लगाने के कारण थी। जब १७,१२७.०६ रु० की वसूली के लिए कार्यवाही की गई तो उपभोक्ता मामले को बरेली न्यायालय में १९७४ में ले गया। उक्त न्यायालय ने मामले को

१-४-७८ को विद्युत् परिषद् के हित में खारिज कर दिया है। अतः रु० १७,१२७.०६ की वसूली पर अब कार्यवाही की जा रही है। शेष धनराशि रु० २०,०४४.७७ बकाया की वसूली उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर होने के कारण सम्भव नहीं है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद के थर्मल पावर हाउस, टांडा के निर्माण हेतु भूमि

*४६--श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के थर्मल पावर हाउस, टांडा के निर्माण हेतु कितना भूमि कृषकों की अधिगृहीत की गयी ? उक्त भूमि का मुआवजा सरकार किस दर पर दे रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

अभी तक कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है, अतः अभी मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का आधार

*४८--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ में कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार बतायेगी कि अनुभाग अधिकारी की सेवाओं में प्रतिनिधित्व का उनका क्या अनुपात है ? परिषद् आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए क्या कर रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय में कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् मुख्यालय अनुसचिवीय सेवा नियमावली, १९६९ एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर उनके आरक्षण के लिए निर्गत आदेशों के अनुसार विधिवत् पदोन्नति सात वर्ष की अर्ह सेवा वाले प्रवर वर्ग सहायकों में से चयन द्वारा की जाती है। इस समय परिषद् मुख्यालय के १५ अनुभाग अधिकारियों में से कोई अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है क्योंकि आवश्यक अर्हता रखने वाले कोई भी अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायक उपलब्ध नहीं हैं।

आवश्यक अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के भविष्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रणवीर सिंह--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह मेरी सूचना को सही मानते हुए देखें कि सर्वश्री आर० के० लाल, टी० के० घोष, एम० के० श्रोती, एस० पी० श्रीवास्तव और आर० एन० भट्टाचार्य को जो १९६० से सेवा में आए हैं--भट्टाचार्य को ७४ में और शेष को ७५ में प्रोन्नत कर दिया गया तो क्या उनके लिए इस मामले में कोई विशेष छूट दी गई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय मंत्री की सूचना को सही मानकर...

(सदस्य के लिए मंत्री कहने पर हंसी और व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है--जो आपने कहा कि अनुसूचित जाति के आदमी आवश्यक योग्यता नहीं रखते थे, कि जिनके नाम गिनाए गए हैं, उनको अपवाद किया गया है ? इनको प्रोन्नत किया गया तो क्या उनको अपवाद स्वरूप कर दिया गया, जिनके नाम भी अर्हता सूची में नहीं थे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्रीमन्, यह जांच का विषय है, इसको देख लूंगा ।

श्री रणवीर सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सदस्य स्तर पर क्या मंत्री जो किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी को नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इसमें आरक्षण के नियम का पालन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न केवल प्रवर वर्ग सहायक तक था। यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रणवीर सिंह--

क्या परिषद् में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए विशेष भर्ती का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसका विवरण बताने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो परिषद् क्या कर रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, भविष्य में जो भी नियुक्तियां की जायंगी उसमें उस कोटा को पूरा करने के लिए पूरा-पूरा ध्यान दिया जायगा । लेकिन कोई एडीशनल तत्काल इस तरह की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री गुलाब सेहरा--

मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में अनुसूचित जाति का परसेंटेज पूरा किया जायगा । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ६-४-७८ को अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की २३३ की सूचना आपके यहां लगी है, उसमें केवल अनुसूचित जाति के १४ व्यक्ति लिए गए हैं ? मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में परसेंटेज पूरा किया जायगा। मैं इसी महीने की बात बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप फ्रेश नोटिस दीजिए । मंत्री जी इसका कैसे जवाब दे सकते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

अवर अभियन्ताओं के बारे में पूछ रहा था, यह प्रश्न है पुराना, मंत्री जी ने भविष्य की बात कही, मैं अप्रैल की बात कह रहा हूं ! इसमें स्पष्टीकरण बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं, मंत्री जी का उत्तर इंसाक्लोपीडिया नहीं हो सकता है ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रिजर्वेशन है पांच साल में यह सरकार पूरा कर सकेगी या क्या यह ऐसा ही धोखा देगी जैसा नयी कांग्रेस ने धोखा दिया ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका आक्षेप है ।

श्री हरी सिंह--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि हरिजन सदस्य आपसे कहीं अधिक योग्य हैं और हमेशा रहे हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विद्युत परिषद्, विद्युत भवन में कुल कितने कर्मचारी हैं, उनमें कितने हरिजन हैं और अगर आरक्षण पूरा नहीं है तो क्या माननीय मंत्री आगे रखने वाले कर्मचारियों में जब तक आरक्षण पूरा न हो तब तक सवर्ण हिन्दुओं को नहीं लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह नया प्रश्न है । इससे सम्बन्धित नहीं है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अब नियुक्तियां हुई हैं जिस समय नियुक्तियां की गयीं आपने कोई इस प्रकार का आदेश दिया था कि अनुसूचित जातियों का रिजर्व कोटा है, उसके अनुसार भर्ती की जाय, तो इस तरह से नियुक्तियां की जायं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

दोहरा दें ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

इस माह में जो नयी नियुक्तियां हुई हैं उसमें शासन ने कोई ऐसा आदेश दिया था कि अनुसूचित जातियों का कोटा निश्चित है, उसके आधार पर नियुक्तियां हों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जहां तक विद्युत् परिषद् का प्रश्न है जो भी नियुक्तियां हुईं, जूनियर इंजीनियर्स या असिस्टेंट इंजीनियर्स की उसकी लम्बी प्रक्रिया है, परीक्षा की प्रक्रिया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, उनका स्पष्ट प्रश्न है, किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए क्या विद्युत् परिषद् को इस बात के आदेश थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के अनुपात में भरती किया जाय, क्या इस प्रकार के आदेश थे या नहीं, चाहे अवर अभियन्ता हों, अभियन्ता हों, लिपिक हों, सभी के बारे में ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जहां तक शासनादेश का प्रश्न है उसकी एक प्रति विद्युत् परिषद् को भी प्राप्त होती है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

अगर ऐसे आदेश हैं तो जो सूची निकली है उसमें उनके आदेश का पालन किया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैं यही निवेदन कर रहा था कि जो सूची निकली है उसका क्राइटेरिया यह है कि १० साल जब आपरेटिव स्टाफ का होगा तो उसको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा । इम्तहान जून में हो गया था । रिजल्ट पहले से बनता है ।

फैजाबाद मंडल के श्री एम० वाई० कुरैशी, अधीक्षण अभियन्ता का निलम्बन

*५२--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (श्री एम० वाई० कुरैशी), फैजाबाद मण्डल का निलम्बन किस आरोप पर हुआ था ? क्या उन आरोपों की जांच पूरी हो गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्री एम० वाई० कुरैशी, अधीक्षण अभियन्ता का निलम्बन निम्नलिखित आरोपों पर हुआ था--

(१) जब श्री कुरैशी लखनऊ में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर तैनात थे उन्होंने परिषद् की गाड़ी का दुरुपयोग किया एवं श्री पी० आर० सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसका व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग होने दिया । इस प्रकार उन्होंने परिषद् को धोखा दिया और वित्तीय हानि पहुंचाई तथा परिषद् की गाड़ियों में अधिकतम मितव्ययिता लाने सम्बन्धी परिषद् के आदेशों की अवहेलना की ।

(२) विदेशी सामान लाने के उद्देश्य से उनकी पत्नी, श्री पी० आर० सिंह, अधिशासी अधियन्ता के साथ, श्री कुरैशी की रजामन्दी से

नोट--दिनांक २०-४-७८ के स्थगित प्रश्नों में तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

नेपाल में धनग नामक स्थान पर गईं तथा बाद में उनके सूटकेस से विदेशी सामान लखीमपुर खीरी अतिथि गृह में बरामद हुआ। इस प्रकार श्री कुरैशी ने सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता के नियम ३ (२) की अवहेलना की

उपरोक्त आरोपों पर जांच की गई थी जांच अधिकारी ने श्री एम० वाई० कुरैशी को दोषी नहीं पाया और उन्हें सेवा में बहाल करने की संस्तुति की। जांच अधिकारी की संस्तुतियों पर समुचित विचार करने के उपरान्त श्री कुरैशी को सेवा में बहाल कर दिया गया है।

बांदा स्टेडियम में निर्माण का कार्य

*५३--श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा स्टेडियम (क्रीड़ांगन) निर्माण का कार्य कब पूर्ण हो जावेगा ? क्या यह सत्य है कि स्टेडियम निर्माण हेतु केन्द्रीय एवं प्रान्तीय शासन के अनुदानों की स्वीकृति न होने से स्टेडियम निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

निर्माण कार्य का प्रथम चरण आरम्भ होने के लगभग २-३ वर्ष के अन्दर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मंडलीय सिविल सर्विसेज खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन का आधार

*५४--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या खेल कूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में सिविल सर्विसेज के अन्तर्गत जिला स्तर, प्रान्तीय स्तर एवं अन्तर प्रान्तीय स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के होने के बाद झांसी में दिनांक ८ मार्च, १९७८ से ११ मार्च, १९७८ तक मंडलीय सिविल सर्विसेज खेल-कूद प्रतियोगिताओ के आयोजन करने का क्या आधार था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन मंडल के जनपदों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनमें स्पर्धा की भावना विकसित करन के उद्देश्य से किया गया।

कसिया सब हाइडिल स्टेशन, जनपद देवरिया के लिए भूमि तथा विद्युत् परिषद् द्वारा दिया गया मुआवजा

*६३--श्री राम नरेश पाण्डेय तथा वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या विद्युत् मंत्री को यह ज्ञात है कि कसिया सब हाइडिल स्टेशन, जनपद देवरिया जिस जमीन पर बना है, उसका मुआवजा उन काश्तकारों को अब तक नहीं मिल पाया है जिनकी जमीन ली गई है ? क्या सरकार बताएगी कि इसमें कहां तक सत्यता है कि विद्युत् विभाग ने मुआवजे की राशि जेल विभाग को दे दिया है ? मुआवजे की दर क्या है तथा कुल कितनी रकम दी गई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

जनपद देवरिया में कसिया सब स्टेशन के लिए भूमि जेल विभाग द्वारा विद्युत् परिषद् को हस्तान्तरित की गई थी । अतः विद्युत् परिषद् द्वारा काश्तकारों को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है । जेल विभाग को भूमि के लागत के रूप में ४६,६७५ रुपया विद्युत् परिषद् द्वारा दिया गया था ।

ग्राम बर्गदवा, जिला बस्ती का विद्युतीकरण

*६७---श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बर्गदवा, विकास खंड रामनगर, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती का विद्युतीकरण माह दिसम्बर, १९७४ में किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी लम्बी एच० टी० तथा एल० टी० लाइन का निर्माण किया गया और इस कार्य पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण एच० टी०, एल० टी० लाइन बिछाकर अभी तक नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रेणुसागर स्थित पावर हाउस की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने में विलम्ब

*६८---श्री श्रीनारायण--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेणु सागर स्थित पावर हाउस की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सन् १९७२ से १९७४ ई० के बीच में विद्युत् परिषद् ने ११० मेगावाट की २ भट्ठियां लगाने की अनुमति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उनको लगाने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या उक्त लाइसेन्स वर्ष १९७७-७८ में फिर बदल दिया गया ? यदि हां, तो बदलने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[बृहस्पतिवार, दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पूर्ण मद्य निषेध के फलस्वरूप प्रदेश में ताड़ी एवं विलायती शराब पर रोक

*१---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मद्य निषेध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाने एवं विलायती शराब की बिक्री को आंशिक रूप से रोकने के बारे में शासन ने निर्णय लिए हैं ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा कार्यान्वयन कब से किया जायेगा ?

आबकारी मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

१---जी हां ।

(क) १-४-७८ से विधिवत ताड़ी की बिक्री पर सम्पूर्ण प्रदेश में रोक लगा दी गयी है ।

(ख) १-४-७८ से प्रदेश के ७ जिलों में अर्थात् लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, देहरादून, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किए जाने के फलस्वरूप विदेशी मदिरा के आयात-निर्यात, परिवहन तथा कब्जे में रखने पर निषेध कर दिया गया है। ५ पर्वतीय जिलों में तथा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल में मद्यनिषेध पहले से ही लागू है।

(ग) ५-४-७८ से ही सम्पूर्ण प्रदेश में बार (एफ० एल०-७ लाइसेन्स) को समाप्त कर दिया गया है और विदेशी मदिरा की तीव्रता ४२.८ प्रतिशत वी/वी से घटाकर ३० प्रतिशत वी/वी निर्धारित कर दी गयी है।

(घ) इसके अतिरिक्त १८ सितम्बर, १९७७ से विदेशी मदिरा की प्रदेश में बिक्री के समय में २ घंटे की कमी कर दी गयी है और १ अक्तूबर, १९७७ से क्लबों में विदेशी मदिरा के उपभोग पर निषेध लगा दिया गया है।

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[दिनांक ३०-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २९ द्वारा उत्तरित।]

हिरामनपुर, जिला वाराणसी में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का निर्णय

*३--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान हिरामनपुर, ब्लाक मिडरा, जिला वाराणसी में एक होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का निर्णय वर्ष १९७७ में ले लिया गया है और उसके लिए जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्थान आदि का निरीक्षण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या अस्पताल खोल दिया गया है और डाक्टर की नियुक्ति भी कर दी गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् कटौती

*४--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जोन (वाराणसी आदि) में ता० २८-११-७७ से दिन में पांच बजे से १२ बजे तक किसानों को बिजली में कटौती की जा रही है और दूसरे जोन में बारह से सात बजे शाम तक कटौती पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां।

प्रदेश में विद्युत् आवश्यकता तथा उपलब्धि में अधिक अन्तर होने के कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की निश्चित आपूर्ति के लिए, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को दो भागों में बांट कर विद्युत् कटौती का समय प्रातः ५ बजे से दोपहर १२ बजे तक तथा दोपहर १२ बजे से सायंकाल ७ बजे तक निश्चित किया गया था जो कि प्रत्येक सोमवार को आपस में बदल दिया जाता था। दिनांक १७-४-७८ से १८ घंटे प्रतिदिन विद्युत् उपलब्धि का प्रोग्राम निर्धारित किया गया है।

कार्यालय, आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन, उत्तर प्रदेश में हुई नई नियुक्ति

*५--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन, उत्तर प्रदेश में इधर दो वर्ष १९७६ तथा १९७७ में कितनी नई नियुक्तियां हुई हैं और उनमें से कितनी चयन समिति द्वारा की गईं और कितनी सीधी भर्ती द्वारा की गई और इसका क्या कारण था?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

वर्ष १९७६-७७ में कुछ समय के लिए दो नियुक्तियां तदर्थ रूप से की गई थी जिनमें से एक लेखा लिपिक तथा दूसरी चपरासी के पद के लिए थी। किन्तु बाद में सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के स्टाफ में अकस्मात कटौती होने के कारण १ दिनांक मार्च, १९७८ से उक्त पदों पर विभाग के ज्येष्ठ कर्मचारी तैनात कर दिए गए। इसी कारण नियमानुसार चयन समिति के माध्यम से उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई।

*६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार लिपिक

*७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह भी जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय के लिपिक, स्थानान्तरण निरस्त करने से सम्बन्धित मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सतर्कता विभाग द्वारा चालू वर्ष में पकड़े गए? यदि हां, तो क्या इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी पर भी कोई आरोप लगाया गया?

श्री कल्याण सिंह--

चालू वर्ष में नहीं किन्तु १४ जुलाई, १९७६ को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक को सतर्कता विभाग द्वारा पकड़ा गया था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल का स्थानान्तरण

*८--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल के पौड़ी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जिले के मुख्य चिकित्साधिकारियों का, जिनको अभी केवल दो महीने के लगभग वहां रहते हुआ है, स्थानान्तरण कर दिया है? यदि हां, तो इतनी अल्पावधि में क्यों?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। पौड़ी गढ़वाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा० वाई० के० जैनी को एक वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण पौड़ी गढ़वाल मंडल के क्षेत्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पद पर तैनात किया गया।

उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० सी० पी० माथुर का दिनांक २१-१२-१९७७ को स्वर्गवास हो गया ।

राज्य विद्युत् परिषद् मीटर विभाग द्वारा लगाये गये नये विद्युत् कनेक्शन के लिए निर्धारित कम्पनियों से मीटर खरीदने का प्रतिबन्ध

*६--श्री नरेशचन्द्र--

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी हैं कि बिजली कम्पनी का मीटर विभाग नए कनेक्शन देते समय मीटर टेस्ट करके लगाता है तब फिर विद्युत् उपभोक्ताओं पर यह पाबन्दी क्यों लगाई जाती है कि जी० ई० सी० "दास हितैषी" व यु नवर्सल कम्पनियों के ही मीटर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जायं ? क्या इन कम्पनियों से सरकार के कोई कन्टेक्ट हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का मीटर विभाग नये विद्युत् कनेक्शन देते समय मीटर टेस्ट करके लगाता है । विद्युत् परिषद् के पास मीटरों के अत्यन्त अभाव के कारण उपभोक्ताओं को अपने मीटर स्वयं खरीदने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी है कि उनके द्वारा खरीदे गये मीटर जी० ई० सी० दास हितैषी और यूनिवर्सल इलेक्ट्रिकल्स कम्पनियों में से ही निर्मित होने चाहिये । इसका मूल कारण यह है कि उत्तम किस्म के मीटर बनाने की ये प्रामाणिक कम्पनियां हैं, इनके मीटर जल्दी खराब नहीं होते और उपभोक्ता के परिसर में सुचारु रूप से निरन्तर कार्य करते रहते हैं । इस प्रकार उक्त प्रतिबन्ध उपभोक्ताओं के हित को ही दृष्टि में रखकर लगाया गया है । राज्य सरकार का उक्त कम्पनियों के साथ कोई भी कन्ट्रैक्ट नहीं है ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा क्षतिग्रस्त मीटरों की कीमत लेना

*१०--श्री नरेश चन्द्र --

क्या विद्युत् मंत्री को यह जानकारी है कि जब बिजली के मीटर का कोई पार्ट डेमेज हो जाता है तो बिजली कम्पनी पूरे मीटर का पैसा चार्ज कर लेती है और मीटर भी वापस ले लेती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जुलाई, १९७७ में एक प्रार्थना-पत्र शासन को दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् केवल उसी दशा में मीटर की पूरी कीमत लेता है जब मीटर पूर्णतः जल जाता है । जला हुआ मीटर उस दशा में वापस ले लिया जाता है, जब मीटर परिषद् अपने खर्च पर लगाता है । क्योंकि यह मीटर परिषद् की सम्पत्ति है । जब मीटर का केवल कोई पार्ट ही जलता है तो केवल उसके बदलने या मरम्मत होने का ही खर्चा, वसूल किया जाता है । प्रश्नकर्ता द्वारा जुलाई, १९७७ में दिया गया प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है और न ही यह प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा प्राप्त किया गया है । अतएव इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*११--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*१२--श्री देव कुमार--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद फैजाबाद में विद्युतीकरण कार्य में विलम्ब तथा बिलों में भ्रष्टाचार

*१३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग की लापरवाही से फैजाबाद जनपद में विद्युतीकरण के काम में विलम्ब और बिजली के बिलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २१-१-७८ का विद्युत् मंत्री को सम्बोधित पत्र मिला है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच करके उन्हें दूर करने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ मास्टर प्लान को अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध घोषित किया जाना

*१४--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९७५ में लखनऊ मास्टर प्लान को अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जय भारत सिनेमा की अपील के मामले में अवैध घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो लखनऊ विकास क्षेत्र के लिए नयी मास्टर प्लान बनवाने के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं ।

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपील संख्या २८/सी० ए०/७४-७५ जोकि रतन कुमार एवं अन्य बनाम नियत प्राधिकारी, लखनऊ के उनवान से थी, के फैसले में, लखनऊ की महायोजना की वैधता पर केवल शंका व्यक्त की है । अतः नई महायोजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका बांदा की आयुक्त एवं निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच

*१५--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ११ दिसम्बर, १९७७ को आयुक्त एवं निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश नगरपालिका, बांदा के तत्कालीन अध्यक्ष के सम्बन्ध में कोई जांच हेतु गए थे ? यदि हां, तो उन्होंने सरकार को क्या जांच आख्या प्रेषित की है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी नहीं।

भूतपूर्व आयुक्त एवं निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश दिनांक ११ व १२ दिसम्बर, १९७७ को नगरपालिका, बांदा से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करने बांदा गए थे, उनकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल डिवीजन के विरुद्ध जांच

*१६--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

उत्तर प्रदेश विधान सभा के २-८-७१ के ता० प्र० संख्या २१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि अब तक किन-किन दोषी अभियन्ताओं को दंडित किया गया ? और यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्री मिट्ठन लाल गोविल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल डिवीजन को मस्टर रोलों के भुगतान में सावधानी/सतर्कता न बरतने हेतु एक चेतावनी दे दी गई है जो उनकी चरित्र पंजिका में भी अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है :--

१--सर्वश्री अभय दत्त मिश्रा, तत्कालीन लाइन निरीक्षक ।

२--जगदीश नारायण सिंह, तत्कालीन लाइन निरीक्षक (संप्रति सहायक अभियन्ता) ।

३--नरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन लाइन निरीक्षक ।

४--कृष्णा नन्द श्रीवास्तव, तत्कालीन लाइन निरीक्षक ।

५--सुरेश सिंह, तत्कालीन लाइन मैन ।

६--इकराम हुसैन, तत्कालीन लाइन मैन ।

७--हीरा लाल विश्वकर्मा, तत्कालीन फ्यूज मैन ।

अधीक्षण अभियन्ता के पद का चयन

*१७--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में वर्ष ७७ में हुये अधीक्षण अभियन्ता के चयन के लिए बनाई गई समिति में चार सदस्यों में से कोई भी सिविल इन्जीनियरिंग विशेषज्ञ नहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि चयन के पूर्व सर्विस ट्रिब्यूनल ने जल निगम को निर्देश दिये थे कि जब तक ज्येष्ठता न तय हो जाय स्थाई चयन न किया जाय, केवल तदर्थ नियुक्तियां ही की जायं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्न का प्रथम भाग--

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर चयन हेतु चयन समिति गठित करने के लिए जल निगम पूर्णतया सक्षम है और निगम के निर्णय के अनुसार इस कार्य हेतु जो चयन समिति गठित की गई उसमें सिविल इन्जीनियरिंग के विशेषज्ञ का होना आवश्यक नहीं था ।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

जी नहीं ।

*१८--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरपालिका इटावा में पेय जल संकट

*१९--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इटावा नगरपालिका में पानी की गंभीर समस्या, स्ट्रीट लाइट व सफाई की दुर्दशा के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार पाण्डे द्वारा प्रथित दिसम्बर, ७७ व जनवरी, सन् ७८ में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की की गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्री अरुण कुमार पांडे के कथित पत्र प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला खतराना, फर्रुखाबाद में पेयजल संकट

*२०--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें फर्रुखाबाद नगर पालिका में मोहल्ला खतराना के निवासियों की ओर से दिनांक १७-३-७८ को कोई पत्र पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

उपरोक्त मोहल्ला खतराना में एक इंच व्यास पाइप लाइन को दो इंच व्यास पाइप लाइन में बदलने के लिए आवश्यक आगणन स्वीकृत हो चुके हैं और पाइप लाइन डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बड़ी साइज की पाइप लाइन पड़ने पर उक्त मोहल्ले के निवासियों को पेयजल की कठिनाई दूर हो जायेगी ।

राज्य चीनी निगम लि० के अधीनस्थ गोरखपुर व देवरिया की खड्डा एवं भटनी चीनी मिलों में रिक्त पदों पर श्रमिकों की नियुक्ति

*२१--श्री बसन्त (जिला देवरिया)--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीनस्थ गोरखपुर व देवरिया जनपद के क्रमशः सिसवां, धुधली, खड्डा, छितौनी, पिपराइच (रिठिया) (भटनी चीनी मिलों में मृतक तथा अवकाश प्राप्त रिटायर्ड) वर्ष १९७६ से अब तक कितने मजदूरों के प्रत्येक यूनिटों में स्थान रिक्त हैं ? और क्या कारपोरेशन से सम्बद्ध होने के पूर्व प्रत्येक यूनिटों के निजी मिल मालिकों ने बेज बोर्ड के फैसले के तहत मान्यता प्राप्त शाखा यूनियनों के पदाधिकारियों से एवजीदारों को काम देने का समझौता किया था ? यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन यूनिटों में वह फैसला लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

गोरखपुर जनपद में केवल पिपराइच स्थित तथा देवरिया जनपद में केवल खड्डा एवं भटनी स्थित चीनी मिलें उत्तर प्रदेश खाद्य चीनी निगम लि० के अधीनस्थ हैं। सिसवा, धुधली तथा छितौनी स्थित चीनी मिलें इस निगम के अधीनस्थ नहीं है। १९७६ से अब तक निगम की पिपराइच यूनिट में ८४, खड्डा यूनिट में ८३ तथा भटनी यूनिट में ३२ स्थान श्रमिकों की मृत्यु होने अथवा अवकाश प्राप्त करने के कारण रिक्त हुए थे, जिन्हें भर दिया गया है। अब कोई स्थान रिक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीनस्थ आने के पूर्व इन तीनों चीनी मिलों में मिल मालिकों तथा मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के मध्य एवजीदारों को कार्य पर रखने का कोई समझौता नहीं हुआ था अतः समझौते के प्रतिपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक डाक्टर पद हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची

*२२--श्री भीषम (जिला बस्ती), श्री रामआसरे (जिला बस्ती), श्री जगदीश प्रसाद (जिला खीरी), श्री रामपति (जिला गोंडा), श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)--

क्या यह सही है कि माह सितम्बर, १९७७ में हुए आयुर्वेदिक डाक्टर पद हेतु साक्षात्कार के उपरान्त बनायी गयी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में शासन द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कितने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उस सूची से हटाया गया है और क्यों ? और क्या तीन सदस्यों को उपरोक्त चयन समिति के किसी सदस्य ने उक्त सूची पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चयन समिति के तीनों सदस्यों में चुने गये अभ्यर्थियों की सूची पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के अधिग्रहीत कर्मचारियों से सम्बन्धित लागू निर्णय

*२३--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के, अधिग्रहीत कर्मचारियों से सम्बन्धित औद्योगक न्यायाधिकरण पंचम के अभिनिर्णय को, जो कि दिनांक २७-४-७४ के उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रकाशित हुआ, लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो इसको लागू न करने का कारण क्या है तथा क्या सरकार इसको तुरन्त लागू करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

२७-४-७४ के उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में औद्योगिक न्यायाधिकरण का जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के अधिग्रहीत कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित हुआ था, जो कि संस्था के अधिग्रहण की तिथि (१-१२-७५) के पूर्व का था तथा परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ था। अभिनिर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह ज्ञात हुआ कि कम्पनी में अभिनिर्णय का प्रतिपालन न करके उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी, जो अभी भी विचाराधीन है। कानून तथा अन्य पहलुओं पर विचार करके परिषद् ने इस कम्पनी के अधिग्रहण की तिथि अर्थात् १-१२-७५ से अभिनिर्णय के प्रतिपालन के आदेश दे दिये हैं।

खीरी जिले की पुनर्वासन योजना में क्रय किये गये किर्लोस्कर पम्पिंग सेट

*२४--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की दिल्ली आइरन स्टोर्स रुद्रपुर, जिला नैनीताल से शासन ने वर्ष १९७६-७७ में लगभग चार लाख रुपये मूल्य का किर्लोस्कर पम्पिंग सेट पुनर्वास योजना के अन्तर्गत पीलीभीत तथा खीरी जिले के बंगालियों को देने के लिये खरीदा था ? क्या यह सही है कि उक्त पम्पिंग सेट घटिया किस्म के थे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर सरकार कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

खीरी जिले की पुनर्वासन योजना में वर्ष १९७६-७७ में कोई भी किर्लोस्कर पम्पिंग सेट नहीं खरीदे गये। किन्तु पीलीभीत जिले के ग्राम चांदिया हजारा में ३०० बंगाली परिवारों की पुनर्वासन योजना में उनकी ६ समितियों द्वारा दिल्ली आयरन स्टोर्स, रुद्रपुर, जिला नैनीताल के माध्यम से वर्ष १९७७-७८ में ७४ कथित किर्लोस्कर पम्पिंग क्रय किए गए उक्त पम्पिंगसेट सेट घटिया किस्म के पाये गये है और इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश जी० आई० टी० आई० में व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा कर्मचारियों का संविलियन

*२५--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० जी० आई० टी० आई० में सन् १९५० से टेक्निकल हाई स्कूल की व्यवस्था है और इनका पाठ्यक्रम सन् १९५८ का है, जो अभी तक चल रही है ? क्या इस व्यावसायिक शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिये शिक्षा विभाग के अधीन हस्तान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी--

जी हां ।

जी नहीं । इस पाठ्यक्रम को सुचारु रूप चलाया जा रहा है । शिक्षा विभाग के अधीन इसे हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

*२६--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० के समस्त जी० आई० टी० आई० कर्मचारियों का सन् १९६५ से अभी तक विलीनीकरण नहीं हुआ है और जी० आई० टी० आई० की सम्पत्ति को प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा अपने उपयोग में प्रयोग किया जा रहा है ? उक्त जी० आई० टी० आई० का निदेशालय के अधीन चल रहे आई० टी० आई० का भी अभी विलीनीकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी--

जी हां, प्रदेश के जिन जी० आई० टी० आईज को उनकी सम्पत्ति एवं स्टाफ सहित प्राविधिक शिक्षा विभाग ने वर्ष १९६५ में निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को हस्तांतरित किया था, उनका संविलयन अभी तक नहीं हुआ है । जी० आई० टी० आईज की सम्पत्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा है । जी० आई० टी० आई० और आई० टी० आई० में चल रहे व्यवसायों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उनमें कार्यरत अनुदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं में काफी भिन्नता होने के कारण उनका पूरी तरह से संविलयन किया जाना सम्भव नहीं है ।

सीतापुर के चिकित्सालय शाखा, देवरिया को नजूल भूमि दिये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*२७--श्री कृष्णा राम (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ९-८-७७ को सीतापुर के चिकित्सालय शाखा देवरिया को नजूल भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, प्राप्त हुआ है । उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नागार्जुन आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में अनियमिततायें

*२८--श्री रघुवरदयाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नागार्जुन आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने दिनांक ९-१२-७७ को महाविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, छात्रों के शोषण आदि के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमिततायें आदि के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मोहल्ला स्टीलगंज, जिला बहराइच में अनधिकृत रूप से निर्मित दुकानें

*२९--श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच, मोहल्ला स्टीलगंज चौक बाजार स्थित शिव मन्दिर उर्फ पिपरिया बाबा मन्दिर के पश्चिमी भाग में कुछ व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से टेम्पोरेरी दुकानें बनाकर जगह घेर रखी हैं और जब कि यह जगह नगरपालिका बहराइच की है और एक आम रास्ता है ? क्या इन दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में शासन को गत माह जनवरी, १९७८ को कोई प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस आम रास्ते से इन दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । उक्त मन्दिर के पश्चिम में छोटी सब्जी मंडी के क्षेत्र में सात फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने बांस के टट्टर लगाकर के नगरपालिका के खंड़जे के कुछ भाग पर अस्थायी दुकानें बनायी हैं और अनधिकृत रूप से बैठकर एक लम्बी अवधि से सब्जी बेचते चले आ रहे हैं । इनके हटाने के सम्बन्ध में श्री भगौती प्रसाद तथा अन्य निवासी मोहल्ला शखेंयापुरा का दिनांक १६ जनवरी, १९७८ का एक प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुआ था । नगरपालिका, बहराइच वैकल्पिक व्यवस्था करके उक्त सब्जी विक्रेताओं को शान्तिपूर्वक दूसरे स्थान पर बिठाने के लिए प्रयत्नशील है ।

*३०--श्री रियासत हुसैन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्रम विभाग में अप्रशिक्षित आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण देने का विचार

*३१--श्री गुलाब सेहरा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की ओर से अप्रशिक्षित आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को अल्पकालिक (६ माह) प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो श्रम विभाग के आयुर्वेदिक कार्यरत कम्पाउन्डरों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं । स्वास्थ्य विभाग में इस समय ऐसी कोई योजना कार्यरत नहीं है । श्रम विभाग ने सूचित किया है कि श्रम विभाग में अप्रशिक्षित आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षण देने का मामला विचाराधीन है ।

मोहल्ला स्टीलगंज, जिला बहराइच में दूकानों के सामने नाजायज कब्जे हटाने हेतु कार्यवाही

*३२--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि पिपरिया बाबा के "शिव मंदिर" स्टीलगंज, चौक बाजार, बहराइच की दुकानों के सामने नाजायज कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास उत्तर प्रदेश शासन एवं अतिरिक्त जिला-धिकारी, बहराइच एवं राज्य मंत्री, वित्त एवं बिक्री कर उत्तर प्रदेश शासन ने

जुलाई व अक्तूबर, १९७७ में प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, बहराइच को आदेश एवं संस्तुति किया था जिसका पालन अब तक न होने से नगर की जनता में घोर असन्तोष एवं पन्द्रह दिनो से उत्तेजना व्याप्त है और अशान्ति की स्थिति उत्पन्न है ? यदि, हां तो उक्त आदेशों एवं संस्तुतियों को पालन न करने के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और अब तक उक्त आदेशों के पालन न करन का क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

शिव मंदिर की दुकानों के सामने के नाजायज कब्जे को हटाने के संबन्ध में माननीय राज्य मंत्री, वित्त एवं बिक्री कर द्वारा २६ जुलाई, १९७७ को तथा माननीय उप मंत्री क्षेत्रीय विकास द्वारा २० अक्तूबर, १९७७ को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही किए जाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच को भेजे गये थे, जिन पर नगरपालिका, बहराइच को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये थे। इन नाजायज कब्जों (फुटकर सब्जी बिक्रेताओं) को हटाने तथा इन्हें शान्ति-पूर्वक दूसरे स्थान पर बिठाने के लिए नगरपालिका प्रयत्नशील है। जनता में इसके प्रति असन्तोष, उत्तेजना अथवा अशान्ति की भावना नहीं पायी जाती है।

स्वास्थ्य निरीक्षकों की भर्ती में अनुभव को वरीयता देने का विचार

*३३--श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार स्वास्थ्य निरीक्षकों की सीधी भर्ती रोक कर प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अनुभव को वरीयता देकर तथा शैक्षिक योग्यता को शिथिल करके पदोन्नति करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य निरीक्षकों की शत प्रतिशत सीधी भर्ती रोकना प्रस्तावित नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा गृह दर्शकों को स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा कतिपय अन्य संवर्गों के उच्चतर पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं से शिथिलत देने तथा वरीयतानुसार पदोन्नति देने के प्रश्न शासन के विचाराधीन हैं।

कानपुर के कतिपय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

*३४--श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत कृष्णानगर, राजेन्द्रनगर, लालबंगला, आजमऊ, अोमपुर एवं जगईपुरवा के लिए पेयजल सप्लाई करने हेतु कुछ ट्यूबवेल लगाने की योजना है ? यदि हां, तो ट्यूबवेल कब तक बनकर तैयार होंगे तथा उक्त क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी कब तक सप्लाई किया जा सकेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां।

समस्त ६ नलकुपों के माह जून, ११७९ तक पूर्ण हो जाने की आशा है एवं अगस्त, ११७० तक इन क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने की संभावना है।

हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में कार्यरत रसायनिकों को विद्युत उपभोग में छूट न दिया जाना

*३५—श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी थर्मल पावर प्रोजेक्टस में कार्यरत रसायनिज्ञों को, जिन्हें प्रोजेक्ट्स की आवासीय कालोनियों में क्वाटर आबंटित किये गये हैं, को भी घरेलू विद्युत उपभोग में अनुरक्षण एवं परिचालन खंड से कर्मचारियों की भांति विद्युत उपभोग में छूट प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अनुरक्षण एवं परिचालन खंड के केवल उन्हीं कर्मचारियों को घरेलू विद्युत उपभोग में सिर्फ २२—यूनिट प्रतिमाह की छूट प्रदान को जाती है जो विद्युत सम्पूर्ति की निरन्तरता को कायम रखने के लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि रसायनिक लोग विद्युत सम्पूर्ति को निरन्तरता के कार्य से सम्बद्ध नहीं हैं, अतः हरदुआगंज ओबरा एवं पनकीथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में कार्यरत रसायनिकों को जिन्हें प्रोजेक्ट्स की आवासीय कालोनियों में क्वार्टर आबंटित किए गए हैं, को घरेलु विद्युत उपभोग पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नियमों के अन्तर्गत कोई छुट देय नहीं है।

लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल के परिसर में निर्मित आवासीय भवन तथा उनका उपयोग

*३६—श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर, खीरी जिला अस्पताल के परिसर में कुल कितने आवास (क्वार्टर) किन-किन कर्मचारियों के लिए बनाये गए हैं।

श्री कल्याण सिंह—

लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल के परिसर में १५ आवासीय भवन (क्वार्टर) हैं जिसका विवरण निम्नलिखित है :

१—अधीक्षक आवास गृह	एक
२—चिकित्साधिकारी आवास गृह	एक
३—फार्मसिस्ट आवास गृह	पांच
४—चतुर्थ श्रेणी आवास गृह	छः
५—वाहन चालक आवास गृह	एक
६—क्लीनर आवास गृह	एक

*३७—श्री राम चरन शाह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह अब किस प्रयोग में आ रहे हैं और कितनों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिए वह बनाये गये थे ? क्या सरकार उन लोगों को अलग से कोई आवास भत्ता (एलाउन्स) देती है ?

श्री कल्याण सिंह--

उक्त क्वार्टर जिला अस्पताल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग में आ रहे हैं। उक्त क्वार्टरों में से केवल वाहन चालक के एक क्वार्टर को छोड़कर, शेष में वही लोग रह रहे हैं जिनके लिए वह बनाये गए हैं। वाहन चालक को अलग से कोई आवास भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

नगरपालिका देवरिया के कर्मचारियों की जमा न की गयी प्राविडेन्ट फन्ड की धनराशि

*३८--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया में, देवरिया नगरपालिका के कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड का करीब चार लाख रुपया अब तक जमा नही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड के रुपये को ब्याज सहित जमा करायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जनपद देवरिया में नगरपालिका देवरिया के कर्मचारियों का जून, १९६१ से मार्च, १९७७ तक की अवधि का प्राविडेन्ट फंड की ४,२६,१०५.०० रु० की धनराशि पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण पालिका द्वारा अभी तक जमा नहीं की गयी है। अप्रैल, १९७७ में उनके भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि पालिका द्वारा नियमित रूप से जमा की जा रही है।

पालिका को आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया को आदेशित कर दिया गया है। जैसे-जैसे पालिका की वित्तीय स्थिति सुधरती जायगी वैसे ही कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फन्ड की बकाया धनराशि ब्याज सहित पालिका द्वारा जमा कर दी जायगी।

नरैनी टाउन एरिया, जिला बांदा में सड़कों का निर्माण

*३९--श्री सुरेन्द्र पाल--

क्या सरकार यह बतायेगी कि बांदा जिले की नरैनी टाउन एरिया (नगर क्षेत्र) को सन् ७६ में सड़कों के लिए १०,००० रु० (दस हजार रुपया) का अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो इस रुपया से कितनी सड़कों का निर्माण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह रुपया किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां।

इस धनराशि से समिति से अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया हैं।

समिति की आर्थिक दशा अत्यधिक खराब होने के कारण अनुदान की धनराशि कर्मचारियों के वेतन पर व्यय कर दी गयी थी जिसे अब समिति ने अपने कोष में जमा कर लिया है।

*४०-४१--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

हरदुआगंज, पनकी, एवं ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में कार्यरत रसायनिज्ञों को देय शहरी आवास भत्ता

*४२--श्री प्रदीप कुमार बजाज--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज, पनकी एवं ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, में कार्यरत रसायनिज्ञों को जिन्हें विद्युत् परिषद् द्वारा आवास सुविधा नहीं मिली है ? क्या शासन उक्त प्रोजेक्टस के अनुरक्षण एवं परिचालन खंड के कर्मचारियों की भांति ही शहरी आवास भत्ता रसायनिज्ञों को भी प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

पनकी प्रोजेक्ट नगर महापालिका सीमा परिधि के अन्तर्गत स्थित होने के कारण इस प्रोजेक्ट पर जिन कर्मचारियों को निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है उन्हें कानपुर शहर का अतिरिक्त आवास भत्ता देय है, जो यहां के रसायनिज्ञों को भी मिलता है । ओबरा व हरदुआगंज प्रोजेक्ट किसी नगर-पालिका सीमा परिधि के अन्तर्गत स्थिति नहीं है, अतः इन प्रोजेक्ट्स पर जिन रसायनिज्ञों को निःशुल्क असवास सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है उन्हें अति-रिक्त आवास भत्ता देय नहीं है । परिषद् में नियुक्त केवल अवर अभियन्ताओं एवं सब-स्टेशन स्विच बोर्ड आपरेटरों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार हर जगह निःशुल्क परिषदीय आवास अथवा उसके स्थान पर आवासीय भत्ते देने का प्राविधान है, अतः उनको परियोजनाओं पर भी निःशुल्क आवास न मिलने की स्थिति में आवासीय भत्ता दिया जाता है । इस प्रकार का भत्ता रसायनिज्ञों अथवा किन्हीं दूसरे वर्गों के कर्मचारियों को देय नहीं है ।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, इटावा, जिला बस्ती में तैनात डाक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४३--श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, इटावा में तैनात डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित स्थानीय नागरिकों का कोई शिकायती आवेदन-पत्र क्षेत्रीय विधायक, विश्वनाथ पाण्डेय के पत्र के साथ दिनांक २६-६-७७ को स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें आरोप क्या थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

शिकायती-पत्र मूल रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को जांच हेतु भेज दिये जाने के कारण शिकायतों का विवरण देना संभव नहीं है। शिकायतों की जांच की जा रही है ।

रोजगार अधिकारी, मथुरा एवं नजारत कलेक्ट्रेट अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

*४४—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा के श्री बाल मुकन्द शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी० द्वारा तत्कालीन रोजगार अधिकारी, मथुरा व नजारत कलेक्ट्रेट अधिकारियों के विरुद्ध २५,००० रुपया रिश्वत का लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों के धांधलेबाजी को और राज्य कर्मचारियों की संयुक्त परिषद्, मथुरा द्वारा भी इस सम्बन्ध में शासन की शिकायतें ३१-१ ७८ को भेजी ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

शासन को प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । उस पत्र के आधार पर करायी गयी जांच से रिश्वत ले कर नियुक्तियां करने की शिकायत निराधार एवं तथ्यहीन पायी गई ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र का किराया

*४५—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जो पहले सुधार मण्डल गाजियाबाद था, ने १९६८ से अब तक सरकार से ऋण लेकर विकसित कितनी कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया और उनका उपभोग किन-किन कार्यों के लिए हो रहा है और उनके प्रतिदिन के किरायों के शुल्क की राशि अलग-अलग कितनी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जो पहले सुधार मण्डल गाजियाबाद था, ने १९६८ से अब तक शासन से ऋण लेकर पटेल नगर सेक्टर-७ में एक सामुदायिक केन्द्र का आंशिक निर्माण किया है । फिलहाल इसका उपयोग एक अस्थायी गेस्ट हाउस के रूप में किया जा रहा है । उनके प्रतिदिन के किरायों का शुल्क निम्न प्रकार है ।

(क) प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों हेतु	
विकास प्राधिकरण के कार्य हेतु	निजी कार्य हेतु
३ रु० प्रति दिन प्रति सूट	६ रु० प्रति दिन प्रति सूट ।
(ख) अन्य विभागों के अधिकारियों हेतु	निजी कार्य हेतु
	१० रु० प्रति दिन प्रति सूट ।

सरकारी कार्य हेतु :

५ रु० प्रतिदिन प्रति सूट

(ग) अन्य व्यक्तियों के लिये:

२५ रु० प्रतिदिन प्रति सूट

मातृ एवं शिशु कल्याण योजना में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का स्थायीकरण

*४६--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ एवं शिशु कल्याण योजना में कार्यरत ऐसी कितनी हेल्थ विजिटर्स हैं जिन्होंने दस वर्ष से अधिक सेवा विभाग में उक्त पद पर पूर्ण कर ली है परन्तु उनका स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है और न विभाग ने उक्त सम्वर्ग की कोई वरिष्ठता सूची ही प्रकाशित की है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के प्रति घोर अपेक्षापूर्ण अनुत्तरदायित्व कार्य को सिद्ध करने हेतु क्या सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मातृ एवं शिशु कल्याण योजना में कार्यरत ऐसी ७१० स्वास्थ्य निरीक्षकायें हैं जिन्हें १० वर्ष या उससे अधिक समय से विभाग में सेवा करते हो गया है परन्तु उनका स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है ।

विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं (वर्ष १९५८ तक नियुक्त) की वरिष्ठता सूची वर्ष १९७० में बनाई जा चुकी है । वर्ष १९५८ के बाद नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*४७--श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

[दिनांक १४-४-७८ का अल्प सूचित तारांकित प्रश्न द्वारा उत्तरित]

श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता, एडवोकेट द्वारा दिया गया नगरपालिका में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र

*४८--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के उझयानी नगरपालिका के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता एडवोकेट ने कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिसम्बर, १९७७ में स्वायत्त शासन मंत्री को दिया ? यदि हां, तो उसमें शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दिसम्बर, १९७७ में श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता का प्रश्नगत नगरपालिका के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ था ।

*४९--श्री बाबू राम शुक्ल--

[४थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५०--श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री राम नरायन वर्मा तथा श्री दीना नाथ सेवक--

[दिनांक ३०-३-७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ द्वारा उत्तरित ।]

बस्ती जिले में डाक्टर विहीन राजकीय चिकित्सालय

*५१--श्री ओम प्रकाश--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के राजकीय चिकित्सालय, दुबौलिया बाजार के अस्पताल में कितने दिनों से कोई डाक्टर नहीं है और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

उक्त चिकित्सालय में दिनांक १६-९-७५ से कोई डाक्टर नहीं है। चिकित्सक की तैनाती के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

पूर्ण नशाबन्दी के फलस्वरूप लखनऊ में कार्यरत मोहन मेकिन्स ब्रिवरीज का लाइसेन्स रद्द किया जाना

*५२--श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई है ? यदि हां, तो क्या मोहन मेकिन्स ब्रिवरीज (शराब डिस्टीलरी) आदि अन्य शराब डिस्टीलरी के लाइसेन्स भी रद्द कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो कब तक किये जायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां। मोहन मेकिन्स तथा प्रदेश में कार्यरत अन्य असवनिया प्रदेश के बाहर तथा प्रदेश के जिन जिलों में अभी नशाबन्दी लागू नहीं है, शराब की आपूर्ति करती है। इसके अलावा उद्योगों में अल्कोहल का प्रयोग कच्चे माल की तरह होता है। अतः अभी उनका लाइसेन्स रद्द नहीं किया गया है। इस समय लाइसेन्स रद्द किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

टाउन एरिया, सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग

*५३--श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया, सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग शासन के विचाराधीन है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र ९-३-७८ में वर्णित महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान में रखते हुए क्या शासन इस मांग को शीघ्र स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से विवरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा।

राजकीय वेक्सीन डिपो, पटुआडांगर, नैनीताल में सेवारत कर्मचारियों की जी० पी० एफ० तथा ई० पी० एफ० की कटौती

*५४--श्री राम दत्त जोशी--

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के प्रथम गुरुवार (३०-३-७८) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के सन्दर्भ में स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे। राजकीय वेक्सीन डिपो, पटुआडांगर (नैनीताल) में सेवारत अस्थायी कर्मचारियों के वेतन से जी० पी० एफ० तथा ई० पी० एफ० दोहरी कटौती होती है, परन्तु क्या इस प्रकार की दोहरी कटौती स्थायी कर्मचारियों के वेतन से भी की जाती है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत संस्थान के स्थायी कर्मचारियों से ई० पी० एफ० की कटौती नहीं की जाती ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पटेलनगर कालोनी में अल्प तथा मध्यम आय वर्ग के मकानों का निर्धारित मूल्य

*५५--श्री रेवती शरण गौर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सुधार मन्डल, गाजियाबाद (जो अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है) ने पटेलनगर कालोनी के १९७६ के अन्त में बेचे गये मकानों की उनकी लागत मूल्य में अल्प आय वर्ग के दो कमरों के मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य ५८ रुपया प्रतिवर्ग फुट से जोड़ा व मध्यम श्रेणी के मार्बिल के फर्श वाले मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य ४७ रुपया प्रतिवर्ग फुट से जोड़ा ? क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों ही आय वर्ग के मकानों में प्राथमिक नियम व शर्तों का उल्लंघन करके बिजली की फिटिंग भी नहीं की गयी ? यदि हां, तो यह विरोधाभास क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

तत्कालीन सुधार मंडल, गाजियाबाद (अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) द्वारा पटेल नगर कालोनी में निर्मित प्रश्नगत अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के सामान्य प्रकार के मकानों के आच्छादित क्षेत्र का मूल्य (भूमि की कीमत को छोड़ते हुये) अनन्तिम रुप से क्रमशः ५५·३१ रु० तथा ४०·४० प्रतिवर्ग फुट लगाय गया था । इस मूल्य निर्धारण में कुछ त्रुटि पाई गयी है जिसका समाधान कराया जा रहा है । मध्यम आय वर्ग के मकानों में मार्बिल के फर्श नहीं हैं । बल्कि मोजिइक के फर्श हैं । यह सत्य है कि उक्त मकानों में सुधार मंडल द्वारा बिजली की फिटिंग नहीं करायी गयी थी । इस संबंध में नियम व शर्तों के कथित उल्लंघन के प्रश्न पर जांच कराई जायेगी ।

नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं को पेंशनयुक्त करने पर विचार

*५६--श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६६ में कतिपय नगरपालिकाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं का केन्द्रीयकरण किया गया था किन्तु अभी तक उपरोक्त कर्मचारियों की सेवाओं को पेन्शनेबुल नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक उनकी योजनाओं को पेन्शनेबुल कर दिया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां । प्रश्नगत कर्मचारियों की सेवाओं को पेंशनयुक्त करने हेतु नियमावली का आलेख बना लिया गया है । उसका परिमार्जन एवं आपत्तियों हेतु प्रकाशन आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त नियमावली को अन्तिम रूप से प्रकाशित कर सभी केन्द्रीयित सेवा पदधारकों की सेवायें शीघ्र पेंशनयुक्त कर दी जायेंगी ।

*५७--श्री कल्पनाथ सिंह--

[७वें गुरूवार के लिए स्थगित ।]

गणेशगंज वार्ड, लखनऊ में स्थित हाता सरजू प्रसाद तथा हाता मातादीन को अर्जित भूमि तथा विकास कार्य

*५८--श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गणेशगंज वार्ड लखनऊ में स्थित हाता सरजू प्रसाद तथा हाता मातादीन को अर्जित करने की तथा उनके विकास की योजना पर कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

विकास प्राधिकरण, लखनऊ की मलिन बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत गणेशगंज वार्ड स्थित अहाता सरजू प्रसाद की भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा एवार्ड भी घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण को भूमि का कब्जा अभी नहीं मिला है । भूमि का कब्जा मिलने पर विकास कार्य किए जायेंगे ।

मलिन बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत अहाता मातादीन की भूमि को अर्जित करने व उसका विकास करने का मामला विकास प्राधिकरण, लखनऊ के विचाराधीन है ।

विष्णुपुरी कालोनी, लखनऊ में जल व विद्युत् की आपूर्ति

*५९--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विष्णुपुरी कालोनी कुर्सी रोड अलीगंज, लखनऊ में लगभग चार सौ से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आवासित हैं, क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में बिजली का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र अर्हि अपुर से होने के कारण आये दिन पानी व बिजली बन्द हो जाया करती है ? जिससे पानी न मिलने से अत्यन्त कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं ? उक्त कालोनी में अगस्त व सितम्बर, अक्तूबर, १९७७ को अनेकों बार पानी बन्द हो चुका है । क्या इस सम्बन्ध में उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा माह अगस्त-सितम्बर, १९७७ में शिकायती-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कठिनाइयों को दूर करने हेतु बिजली का कनेक्शन लखनऊ सिटी पावर हाउस से जोड़ने का आदेश देने की कृपा करेगी, जिससे यह परेशानी समाप्त हो जाये ? यदि हां, तो यह कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । विष्णुपुरी कालोनी में बिजली डालीगंज की ११ के० वी० कुर्सी रोड ग्रामीण फीडर से दी जाती है । अन्य ग्रामीण फीडरों की भांति रोस्टरिंग किए जाने के कारण उक्त फीडर पर भी बिजली समय-समय पर बन्द रहती थी तथा ब्रेक डाउन, शट डाउन और ग्रिड फेलूअर के कारण भी इस कालोनी में विद्युत् की आपूर्ति उस समय ओफ से नहीं हो सकी । वहां के निवासियों के पानी और बिजली की कठनाई को ध्यान में रखते हुए इस फीडर को विद्युत् की कटौती से मुक्त कर दिया गया है ताकि उक्त कालोनी के निवासियों को शहरी फीडरों की भांति बिजली उपलब्ध हो सके । अतः उक्त परिस्थिति में उक्त कालोनी को लखनऊ सिटी पावर हाउस से जोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्रों की ठीक-ठीक तिथि तथा शिकायतकर्त्ता के नाम की सूचना के अभाव में उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपदों में होम्योपैथिक अस्पताल खोलने पर विचार

१--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दिनांक २१-६-७७ को सीनियर मेडिकल आफिसर ने जनपदों को आदेश भेजा था कि किन जनपदों में होम्योपैथिक अस्पताल खोले जायेंगे, अभी तक कितने जनपदों से प्रार्थना-पत्र आये हैं, जिसमें बांदा जिला ब्लाक मड़वा के अन्तर्गत गोखिया गांव का भी प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से अपने पत्र दिनांक २१-६-७७ द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव मांगे थे। प्रदेश के ३१ चिकित्साधिकारियों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनमें ग्राम गोखिया का प्रस्ताव भी था, किन्तु स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका।

नगरपालिका, लखीमपुर खीरी में लागू सीवरेज स्कीम

२--श्री नरेश चन्द्र--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह जानकारी है कि नगरपालिका, लखीमपुर खीरी में 'सीवरेज स्कीम' लागू करने के सिलसिले में सर्वे पांच वर्ष पूर्व किया जा चुका है ? यदि हां, तो यह सीवरेज स्कीम कब तक लागू होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

(१) वर्ष १९६५-६६ में सीवरेज की एक योजना सर्वे करके बनाई गई थी, परन्तु औपचारिकतायें पूरी न हो सकने के कारण कार्यान्वित नहीं की गई।

(२) अब नगरपालिका ने मार्च, १९७८ में योजना बनाने का पुनः जल निगम से अनुरोध किया है। सर्वे आदि के पश्चात् वर्ष १९७९-८० से कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

उप विद्युत् गृह, बैकुण्ठपुर, महराजगंज, जिला गोरखपुर का निर्माण कार्य

४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप विद्युत् गृह बैकुण्ठपुर, महराजगंज, जिला गोरखपुर के निर्माण के लिए कुल कितना रुपया प्रस्तावित था, कार्य कब तक पूरा होना था, अब तक कितना व्यय हुआ एवं कितना कार्य पूरा हुआ ? कार्य कब तक पूरा हो जायेगा एवं विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१३२ के० वि० विद्युत् उप गृह बैकुंठपुर, महराजगंज, जिला गोरखपुर के निर्माण हेतु ५१.८५ लाख रुपये का प्रस्तावित प्राक्कलन है।

इसको दिसम्बर, १९७७ तक पूरा करने का लक्ष्य था।

३१-३-७८ तक ३८,४०,२८८.६६ रुपया व्यय हो चुका है ।

३१-३-७८ तक लगभग ९४ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । (सब स्टेशन ३३ के० वी० साइड से उर्जित कर दिया गया है)।

३०-४-७८ तक कार्य के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

साज-सज्जा (मैटिरियल एन्ड एक्यूपमेन्ट) की आपूर्ति समय पर न होने से थोड़ा विलम्ब हुआ । उप विद्युत् गृह को ३३ के० वी० की ओर से चालू कर दिया गया है तथा गोरखपुर-महाराजगंज लाइन के चालू होने पर पूर्णतया चालू कर दिया जाएगा, जिसके अप्रैल, ७८ के अन्त तक चालू होने की आशा है ।

जल निगम, उत्तर प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली

५--श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम, उत्तर प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो उस निगम में पदोन्नतियों एवं नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रश्न का प्रथम भाग ।

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग ।

तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के समय में बनी हुई ड्राफ्ट सेवा नियमावली के आधार पर जल निगम में पदोन्नतियां एवं नियुक्तियां की जा रही है ।

उप विद्युत् केन्द्र, धुधली के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता के आरोप

६--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री बुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें कार्यालय मन्त्री जनता पार्टी धुधली-गोरखपुर (श्री राम आश्रम जायसवाल) का शिकायती-पत्र उप विद्युत् केन्द्र, धुधली के कर्मचारियों के विरुद्ध जुलाई, १९७७ के बाद मिला है ? यदि हां, तो पत्र कब-कब मिले, शिकायतें क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, एक शिकायती-पत्र दिनांक ३१ अगस्त, १९७७ को प्राप्त हुआ था, जिसमें धुधली विद्युत् उप-केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानीय निवासी होने के कारण उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं निष्क्रियता के आरोप थे ।

उक्त शिकायत की जांच कराई गई । किन्तु आरोप किसी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध न होने के कारण सिद्ध नहीं हो सके । फिर भी उक्त नगर में ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

७--श्री देव कुमार--

[५वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मेसर्स महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, सहजनवां, जिला गोरखपुर में कार्यरत मजदूर तथा आवासी क्वार्टर की व्यवस्था

८--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महावीर जूट मिल्स, सहजनवां (गोरखपुर) में कितने मजदूर काम करते हैं, कितने अस्थायी हैं और उन्हें अब तक स्थायी क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मेसर्स महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, सहजनवां, जिला गोरखपुर में इस समय ६३५ मजदूर काम करते हैं, जिनमें ७७२ स्थायी हैं तथा १६३ अस्थायी हैं । जूट मिलों में श्रमिकों का स्थायीकरण उत्तर प्रदेश जूट वेज कमेटी रिपोर्ट, १९७२ तथा तत्सम्बन्धी शासनादेश के अन्तर्गत किया जाता है ।

९--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महावीर जूट मिल्स, सहजनवां में कुल कितने कर्मचारी हैं ? कितने को आवास की व्यवस्था है ? उसमें कितने आवास अधिकारियों एवं कितने मजदूरों के पास हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

कुल ६३५ कर्मचारी हैं । ३३७ आवासीय क्वार्टर्स की व्यवस्था है । इनमें ५ क्वार्टर्स अधिकारियों के आवास हेतु तथा ३३२ श्रमिकों के आवास के लिए हैं, जिनमें लगभग ५०० श्रमिक निवास करते हैं, शेष अपने-अपने गांवों से आते हैं जो फैक्टरी से तीन मील के अन्दर हैं ।

सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनायें

१०--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली जून, १९७७ से १५ जनवरी, १९७८ तक देश के किन-किन सरकारी अस्पतालों में किन-किन डाक्टरों के ऊपर हमले किये गये ? और जांच करने पर कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ?

श्री कल्याण सिंह--

पहली जून, १९७७ से १५ जनवरी, १९७८ की अवधि में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के साथ हुये कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०१ पर ।)

श्री राम प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध सरकारी राजस्व की हानि का आरोप

११—श्री प्रदीप कुमार बजाज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक आबकारी आयुक्त, श्री रामप्रताप सिंह, गोरखपुर के विरुद्ध एक लाख तेरह हजार रुपया सरकारी राजस्व की हानि का मामला होते हुये भी इनको प्रशासन ने आज तक निलम्बित नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्री राम प्रताप सिंह, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर के विरुद्ध एक लाख तेरह हजार रुपये सरकारी राजस्व की हानि का कोई मामला नहीं है अतः उन्हें निलम्बित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में स्वर्गीय रंगीलाल के भविष्य निधि का भुगतान

१२—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि बी० बी० शंकर फिनिशिंग वर्क्स, खलीलाबाद (बस्ती) के भूतपूर्व श्रमिक स्वर्गीय श्री रंगीलाल के भविष्य निधि की धनराशि प्राप्त करने हेतु मई वर्ष ७२ से आज तक शासन को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा प्रार्थना पत्रों के आधार पर भविष्य निधि का भुगतान कब किया गया था ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी —

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में स्व० श्री रंगीलाल की भविष्य निधि की धनराशि के भुगतान हेतु जून, १९७२ और सितम्बर, १९७२ में दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जो त्रुटियों के कारण वापस कर दिये गये थे ।

हाल ही में स्वर्गीय रंगीलाल के पुत्र श्री श्रवण कुमार अग्रवाल का दावा-पत्र प्राप्त होने पर भविष्य निधि की धनराशि चेक दिनांक ११-४-१९७८ के द्वारा उन्हें प्रेषित कर दी गयी है ।

वाराणसी जिले के कतिपय ग्रामों के राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण

१३—श्री ऊदल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप अहिरानी, टेंगुआ, जनकपट्टी, लखामपुर, सोनपरवां, रघुनाथपुर, कनियर द्वितीया, ब्लाक बड़ागांव तथा नलकूप पिंडरा दक्षणी, झंगौर, कनकपुर, रोह ब्लाक, पिंडरा, जिला वाराणसी का वी० एल० फार्म जमा हो जाने के बाद भी अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया और इसी तरह से विद्युत सप्लाई अन्डर टेंकिंग वाराणसी द्वारा भी नलकूप सरसवां, अहरौरा तथा दादपुर का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्न में उल्लिखित सभी राजकीय नलकूपों का अर्जन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मार्च, १९७८ तक किया जा चुका है ।

नलकूपों को दी गई बिजली

१४--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि वर्ष १९७२-७३-७४ में १५० हजार से ज्यादा नलकूपों को बिजली दी गई और उसके बाद १९७४-७५-७६-७७ तक लगभग ३०,००० से कम नलकूपों को ही बिजली दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७२-७३-७४ में ६९,१६० तथा वर्ष १९७४-७५-७६-७७ में ३७,२८६ नलकूपों को बिजली दी गयी है । वित्तीय वर्ष १९७४-७५, १९७५-७६, तथा १९७६-७७ में कम प्रगति का मुख्य कारण धन का अभाव था । पिछले वर्षों में शासन द्वारा इस कार्य के लिये बजट में अधिक धन का प्रावधान किया गया था जबकि बाद के तीन वर्षों में यह राशि काफी कम थी । फलतः नलकूपों के अर्जन के लिये सामान उपलब्ध न हो सका और इस दिशा में कार्य की प्रगति भी धीमी रही ।

डाक्टर नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोरखपुर को जेल में बन्दी की अवधि में वेतन का भुगतान

१५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में पिपरौली स्थित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी डाक्टर (श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव) जिन्होंने कि लोकनायक जयप्रकाश के आह्वान पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा को चुनौती देकर सत्याग्रह किया था तथा डी० आई० आर० में वर्तमान मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ जिला जेल लखनऊ में बन्दी रहे थे, उन्हें शासकीय आदेश के बाद भी जेल में बन्दी की अवधि का वेतन अभी तक न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह--

डाक्टर नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरौली, गोरखपुर को जेल में बन्दी की अवधि का सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

कतिपय जनपदों में मद्यनिषेध पर विचार

१६--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार तीन-चार वर्षों में प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी करने जा रही है ? यदि हां, तो इन चार वर्षों के प्रथम वर्ष में कौन-कौन से जनपदों में नशाबंदी कार्य होगा ?

१६—श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, नशाबन्दी के पूर्वबद्ध कार्यक्रम के प्रथम चरण में चमोली, उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल, पौढ़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों के अतिरिक्त जहां पूर्ण मद्य निषेध पहले से ही लागू है, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, देहरादून, अलमोड़ा तथा नैनीताल में १ अप्रैल, १९७८ से मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है ।

श्री केदार नाथ प्रजापति द्वारा दिया गया आई० टी० आई० गोरखपुर में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

१७—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री गंगा प्रसाद हरिजन एवं केदार नाथ प्रजापति ने आई० टी० आई० गोरखपुर में प्रवेश सम्बन्धित अनियमितता के विषय में कोई शिकायत सितम्बर-अक्तूबर, १९७७ में भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्री केदार नाथ प्रजापति का आवेदन दिनांक१३ सितम्बर, १९७७ प्राप्त हुआ था । श्री गंगा प्रसाद का कोई भी आवेदन-पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री केदार नाथ प्रजापति साक्षात्कार तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक संस्थान में नहीं पहुंचे । अतः उनको प्रवेश देना सम्भव नहीं हो सका । श्री गंगा प्रसाद ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना- पत्र नहीं दिया । अतः उनको प्रवेश दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

१८—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

नगरपालिका, फिरोजाबाद में सफाई कर्मचारियों को जाड़े की वर्दी तथा प्राविडेन्ट फन्ड व बीमा की जमा धनराशि

१९—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद के चपरासियों, मिस्त्री और सफाई श्रमिकों को जाड़े की वर्दी वर्ष १९७७-७८ में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

स्थानीय निकायों के केवल सफाई कर्मचारियों को जाड़े की वर्दी प्रति दूसरे वर्ष दिये जाने का प्रविधान है । तदनुसार नगरपालिका फिरोजाबाद के सफाई कर्मचारियों को जाड़े की वर्दी वर्ष १९७७-७८ में इस कारण नहीं दी गयी कि उक्त वर्दी उनको वर्ष १९७६-७७ में दे दी गयी थी चूंकि चपरासी तथा मिस्त्रियों को जाड़े की वर्दी दिया जाना अनुमन्य नहीं है अतः उनको जाड़े की वर्दी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

२०--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद के कर्मचारियों का प्रविडेन्ट फन्ड, बीमा आदि का धन वर्ष १९७७ तक जो जमा होना था, नहीं हुआ ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका, फीरोजाबाद के कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फन्ड बीमा आदि का ३१ मार्च, १९७७ तक रु० १,८९,४०६.१८ की धनराशि पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण जमा होने को शेष रह गई थी जिसमें से वर्ष १९७७-७८ में रु० ६१,९९१ '२४ जमा किया जा चुका है और अब भविष्यनिधि व बीमा आदि का धन नियमित रूप से जमा किया जा रहा है ।

४०० के० वी० विद्युत् गृह, सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारी तथा उनका चयन का आधार

२१--श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री बृजलाल तथा श्री हरि चरण यादव, (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जनपद में ४०० के० वी० का एक विद्युत् शक्ति गृह बनाया गया है जिसमें अनेकों सरकारी कर्मचारी वर्ष १९७७ में नियुक्त किए गए हैं ? यदि हां, तो कितने, कौन-कौन, किस-किस पद पर और इसमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के कौन-कौन हैं और ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । ४०० के० वी० विद्युत् गृह सुल्तानपुर में वर्ष १९७७ में कुल ४५ नियुक्तियां की गई थीं जिनमें से २८ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के एवं १७ कर्मचारी तृतीय श्रेणी के थे । इन नियुक्तियों में २ अनुसूचित जाति तथा १५ पिछड़े वर्ग के हैं । यह नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से आए अभ्यर्थियों में से तथा राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं उन व्यक्तियों में से की गई जिनकी भूमि परिषद् ने ४०० के० वी० सब स्टेशन सुल्तानपुर के लिए अधिगृहीत की थी ।

२२--श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री बृजलाल तथा श्री हरि चरण यादव--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त नियुक्तियों के लिए विज्ञापन कब किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ और इनका चयन जिला चयन समिति द्वारा अथवा अन्य तरीके से कब किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

नियुक्तियों के लिए विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया गया । इनके चयन विद्युत् परिषद् द्वारा सम्बन्धित नियमावली में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार समय-समय पर विभागीय चयन समिति द्वारा किए गए ।

श्री सिताब सिंह विष्ट, सेवा निवृत फार्मेसिस्ट की पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा अवशेष वेतन का भुगतान

२३--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फार्मेसिस्ट श्री सिताव सिंह विष्ट, सिमली, जिला चमोली को सन् १९६३ में सेवा निवृत हो जाने के बाद आज (१-१-१९७८)तक पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा अवशेष वेतन के भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि उप सचिव, चिकित्सा विभाग के आदेश संख्या ६२६६/चिकित्सा-चार-१२८२/१९७३, दिनांक ३०-११-७६ तथा निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या ४ (ड)/२/सिताब सिंह, १९२९६३, दिनांक ४-१२-७६ और आदेश संख्या सोलह एफ, १२/७६-७७, दिनांक १ फरवरी, १९७७ द्वारा इनके भुगतान हेतु आदेश दे दिए गए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह--

शासन के आदेश, दिनांक ३० नवम्बर, १९७६ तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक के तद्विषयक निर्देशों के बावजूद श्री सिताव सिंह विष्ट, सेवा निवृत फार्मेसिस्ट को पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक १ जनवरी, १९७८ तक न किए जाने का मुख्य कारण वित्तीय मामले में निर्धारित औपचारिकताओं का पूरा करना रहा है ।

श्री विष्ट को देय धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक प्राधिकार पत्र दिनांक २४ जनवर, १९७८, महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय से प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही श्री विष्ट को सम्पूर्ण भुगतान दिनांक १० फरवरी, १९७८ को नियमानुसार किया जा चुका है । अतः उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

शराब की नीलामी से बन्द दुकाने तथा राजस्व को होने वाली क्षति

२४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में शराब की नीलामी जो की गई है उसमें कितनी दुकानों की नीलामी होने के पश्चात् बन्द कर दिया गया है, इससे राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, बन्द करने का आदेश किसने दिया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

वर्ष १९७७ में नीलामी के पश्चात् देशी शराब की ६८ व विदेशी शराब की ४ दुकानें बन्द की गयी । इन दुकानों को बन्द किए जाने के फलस्वरूप देशी मदिरा से २,२२,८०,८३७ रु० और विदेशी मदिरा से ३,०२,००० रु० राजस्व की क्षति हुई । जनविरोध के कारण इनमें से कुछ दुकाने शासन द्वारा और कुछ दुकानें जिलाधिकारी द्वारा बन्द की गयीं ।

प्रदेश के कनिष्ठ स्नातक स्वास्थ्य सहायकों की पदोन्नति

२५--श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के द्वारा कतिपय कनिष्ठ स्नातक स्वास्थ्य सहायकों की पदोन्नति प्रसार शिक्षक के पद पर वर्ष ७१-७२, ७२-७३ तथा १९७५-७६ में कर दी गई थी और कतिपय ज्येष्ठ स्नातक स्वास्थ्य सहायकों की पदोन्नति प्रसार शिक्षक के पद पर नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या स्वास्थ्य सहायकों की ज्येष्ठता की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष १९७१-७२, ७२-७३ में जनपदों में कार्यरत स्नातक स्वास्थ्य सहायकों को निर्धारित मापदन्ड के अनुसार उनके कार्य का मूल्यांकन करने के उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर पदोन्नति की गई थी। इसी प्रकार वर्ष ७५-७६ में भी उपरोक्त निर्धारित मापदन्ड के आधार पर राज्य स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा पदोन्नतियां की गयी हैं। कुछ ज्येष्ठ स्नातक स्वास्थ्य सहायक निर्धारित मापदन्ड तथा काया के मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए। स्वास्थ्य सहायकों की ज्येष्ठता सूची बनायी जा रही है।

बी० सी० एच० मिशन स्कूल, उरई, जिला जालौन की नजूल भूमि का पट्टा तथा बकाया किराया

२६--डॉक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी० सी० एच० मिशन स्कूल, उरई, जिला जालौन की नगरपालिका द्वारा नजूल की भूमि का पट्टा कब और कितने समय के लिए किया गया था ? क्या उक्त मिशन संस्था पर लीज का कुछ किराया बकाया है ? यदि हां, तो कितने वर्षों का ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका, उरई, जिला जालौन द्वारा बी० सी० एच० मिशन स्कूल, उरई को ७·२६ एकड़ नजूल भूमि स्थित सिविल लाइन (पटेलनगर) वन निर्माण हेतु दिनांक १ नवम्बर, १९१३ को शाश्वत् पट्टा (Perp tual Lease) ७·२६ रु० वार्षिक किराए पर स्वीकृत किया गया था। उक्त नजूल भूमि का किराया, वर्ष १९७७-७८ का केवल ७ २६ रु० बकाया है।

ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टर की टीचर्स को बोर्ड एवं यूनीफार्म एलाउन्स दिए जाने पर विचार

२७--श्री राम लखन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कुछ ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टर की टीचर्स का कोई एलाउन्स एवं यूनीफार्म एलाउन्स जनवरी, १९७६ से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, प्रदेश में वर्तमान में केवल ६ ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टरों में टीचिंग स्टाफ को जनवरी, १९७६ से बोर्ड एवं यूनीफार्म एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड एवं यूनीफार्म एलाउन्स दिए जाने का मामला विचाराधीन है।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उद्योगों को रियायत तथा श्री वीरेन्द्र कुमार, शाहजहांपुर की दरखास्त पर रियायत न दिए जाने का औचित्य

२८--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतलायेंगे कि विद्युत् बोर्ड के आदेश संख्या १३८४-पी-ए/एस-ई-बी-७७, दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ के तहत किन-किन उद्योगों को इस तरह की रियायत दी जा चुकी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा उनके आदेश संख्या १३८४-पी-ए/एस० ई० बी०-७७, दिनांक ३-१०-१९७७ के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है।

२९--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या यह भी सही है कि श्री वीरेन्द्र कुमार, खुदागंज, शाहजहांपुर ने इसी तरह की रियायत के लिए मंत्री को दिनांक २३ सितम्बर, १९७७ को एक दरखास्त हाथ से दी और दूसरी दिनांक ३१-१२-७७ को रजिस्ट्री डाक द्वारा दी थी ? यदि हां, तो उनको यही रियायत न दिए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्री वीरेन्द्र कुमार, खुदागंज, शाहजहांपुर ने दिनांक २३-९-७७ को एक आवेदन-पत्र माननीय मन्त्री जी को दिया था। इस आवेदन-पत्र में उन्होंने डिमान्ड चार्जेज के एसेसमेन्ट के बारे में, लोड कम करने के सम्बन्ध में तथा विद्युत् कटौती के अन्तर्गत छूट देने के सम्बन्ध में प्रार्थना की है। श्री वीरेन्द्र कुमार का दिनांक ३१-१२-७७ का प्रार्थना-पत्र राज्य विद्युत् परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य विद्युत् परिषद् के नियमानुसार उपभोक्ता से डिमान्ड चार्जेज १०० प्रतिशत से घटाकर ६० प्रतिशत पर पुनरीक्षित कर दिया गया है। लोड १५० हार्स पावर से घटाकर १०० हार्स पावर, दिनांक ४-११-७७ से कर दिया गया है।

विद्युत् कटौती के अन्तर्गत उपभोक्ता पर कोई छूट लागू न होने के कारण नहीं दी गयी है।

हंडिया, इलाहाबाद के विद्युत् विभाग के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

३०--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के हंडिया विद्युत् विभाग के सहायक अभियन्ता के खिलाफ कितने शिकायती-पत्र जनता द्वारा

रजिस्ट्री के साथ दिनांक १४-१२-७७ को प्राप्त हुए हैं तथा जिले के उच्च अधिकारियों के पास इस अधिकारी के खिलाफ कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, हंडिया, इलाहाबाद के विद्युत् विभाग के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सर्वश्री भोलानाथ एवं सन्तराम तथा १६ अन्य व्यक्तियों के दो शिकायती पत्र दिनांक १४-१२-७७ को विद्युत् मंत्री को प्राप्त हुए थे, इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सात और शिकायती पत्र अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुए।

शिकायत-पत्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि सम्बन्धित अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह राठौर का व्यवहार जनता तथा कर्मचारियों के प्रति समय-समय पर उचित नहीं रहा तथा कुछ लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रहा।

श्री राठौर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, कानपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में रोगियों के लिए स्वीकृत धनराशि तथा डाक्टरों के लिए टार्च तथा आला

३१—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल को वर्ष १९७७-७८ के लिए रोगियों के बेडशीट, तकिया, गद्दा, कम्बल, चद्दर के लिए कितनी धनराशि दी गई है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। १,२६,६०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

३२—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में डाक्टरों को टार्चों, आला आदि के लिए वर्ष १९७७-७८ में धन स्वीकृत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

वर्ष १९७७-७८ में सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के डाक्टरों को टार्च अस्पताल के कन्टिन्जेन्सी ग्रान्ट से क्रय करके उपलब्ध कराई गयी है। उन्हें आला (स्टैथेसकोप) दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

विकास खण्ड सफीपुर, जिला उन्नाव में खारे पानी के कुयें

३३—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उन्नाव जिले के विकास खंड, सफीपुर के अन्तर्गत सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम सकहन राजपुतान में समस्त कुओं का पानी खारी तथा पीने के अयोग्य है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्नगत गांव के सभी कुओं का पानी खारी नहीं है। इस ग्राम में खारी पानी के १५, साधारण खारी पानी के १६ तथा मीठे पानी के १३ कुयें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड, बर्डपुर, जिला बस्ती में पेय जल का अभाव

३४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के सर्वाधिक पिछड़े विकास खण्ड, बर्डपुर तथा उस्का में कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी पीने के लिए कुएं नहीं हैं? पेयजल के अभाव में गरीब ग्रामीण ताल, पोखरा, नदी तथा गंदे कुओं का पानी पीते हैं? क्या सरकार उक्त विकास खंडों के ऐसे गांवों में जहां पेय जल का प्रबन्ध नहीं है पेयजल की व्यवस्था करेगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील के विकास खंड, बर्डपुर सं० ९ के चार तथा उस्का बाजार के सात ग्रामों में पेयजल की सुविधा नहीं है। यहां के ग्रामवासी नदी अथवा जीर्ण-शीर्ण कुओं का जल उपयोग करते हैं।

विकास खंड, बर्डपुर सं० ६ के तीन ग्रामों में कुएं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

विकास खंड बर्डपुर के चौथे ग्राम एवं उस्का बाजार विकास खंड के सातों ग्राम में पेयजल कूप के निर्माण की व्यवस्था की जायगी।

बस्ती जनपद के ब्लाक उस्का बाजार तथा बर्डपुर में विद्युतीकरण

३५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के ब्लाक उस्का बाजार तथा बर्डपुर के जो गांव विद्युतीकरण योजना के अन्दर लिए गए हैं उनमें अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितने गांवों का विद्युतीकरण निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होना शेष है? वह कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बस्ती जनपद के ब्लाक 'उस्का बाजार' तथा 'बर्डपुर' के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लिए गए १०७ ग्रामों में से ३१-३-७८ तक कुल १३ ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

निर्धारित लक्ष्य में से ९४ ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है।

३१ मार्च, १९८० तक इनके विद्युतीकरण होने की आशा है।

जनपद आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कोटा

३६--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) --

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग संख्या क्या है और उसमें पिछड़े वर्ग व हरिजनों की अलग-अलग संख्या क्या है और १८ प्रतिशत हरिजन व १५ प्रतिशत पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जनपद आजमगढ़ में कार्यरत विद्युत कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की अलग-अलग संख्या निम्नलिखित है :--

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	पिछड़े वर्ग
प्रथम श्रेणी	६	..	..
द्वितीय श्रेणी	२४	..	५
तृतीय श्रेणी	९४८	५४	३०४
चतुर्थ श्रेणी	१०६७	१०२	६२५

श्रेणी १ व २ में नियुक्तियां प्रदेश स्तर पर होती हैं और उसी स्तर पर अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के कोटे का ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार कुछ श्रेणी ३ की नियुक्तियां भी प्रादेशिक स्तर पर होती है और विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षण का ध्यान भी उसी स्तर पर रखा जाता है। जिस श्रेणी ३ व ४ की नियुक्तियां मण्डल/खण्डीय स्तर पर की जाती हैं, उनमें पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा है। अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा करने हेतु यह आदेश दे दिए गए हैं कि भविष्य में होने वाली रिक्तियों में केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ही नियुक्त किये जायें, जब तक कि उनका कोटा पूरा न हो जाय।

विद्युत विभाग, देवरिया की दीवानी अदालत में विचाराधीन वाद

३७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में विद्युत विभाग, देवरिया के विरुद्ध कितने वाद दीवानी अदालतों में १० नवम्बर, १९७७ तक विचाराधीन थे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

१० नवम्बर, १९७७ तक देवरिया जनपद में विद्युत विभाग देवरिया के विरुद्ध दीवानी अदालतों में ७९ वाद विचाराधीन थे।

विशुनपुरा विकास खंड, देवरिया के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण

३८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने का कष्ट करें कि देवरिया जनपद के विशनपुरा विकास खंड के ग्राम चिरगोड़ा, चितहा, मेह पकड़ी, माधी का टिलवा, अरैनहवां, बबुइया, हरपुर, चैती, मसहरी, कठी, छपरा में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत खम्भे गड़े, तीन वर्ष प्रारम्भ हो गया किन्तु अभी लाईनिंग पूरी नहीं हुई ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्नगत ७ ग्रामों के विद्युतीकरण की तथा खम्भे खड़े होने की स्थिति संलग्नक में दर्शायी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

विद्युत् विभाग में ट्रांसफार्मरों की खरीद

३९--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५ एवं १९७६ तथा जुलाई, १९७७ तक किन-किन फर्मों से कितने-कितने ट्रांसफार्मर कितने रुपए के खरीदे गए हैं और यह खरीददारी विद्युत् विभाग के किस अधिकारी के आदेश से किया गया तथा किसके द्वारा स्वीकृति दी गई, पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७५ एवं ७६ तथा जुलाई, १९७७ तक परिषद् के विभिन्न क्षमताओं के ट्रांसफार्मर भिन्न-भिन्न कम्पनियों से क्रय करने हेतु क्रय समितियों द्वारा निर्णय लेने के बाद आर्डर दिए गए थे कोई एक अधिकारी इसका निर्णय नहीं लेता है ।

चूंकि इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण बहुत विस्तृत है, अतएव माननीय सदस्य इसका अवलोकन मंत्री के कक्ष में कर सकते हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् तथा केसा पर राज्य सरकार की बकाया धनराशि

४०--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने ३१ जुलाई, १९७६ तक १ करोड़ ६ लाख तथा केसा ने ११ लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार को अदा नहीं की है ? यदि हां, तो रुपया न अदा करने का क्या कारण है ? क्या विद्युत् मंत्री सम्बन्धित बकाएदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इस प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि तथाकथित एक करोड़ नौ लाख तथा ग्यारह लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् पर किस मद में बकाया है । इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की केसा यूनिट पर राज्य सरकार के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बकाए से है जिसकी धनराशि अप्रैल, १९७४ से अप्रैल, १९७५ तक १,०६,३१,६५८.०० रु० थी और इस पर लगाये

गए ब्याज की रकम ११,९५,३६०.०० रु० थी । इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की यह धनराशि वित्तीय वर्ष १९७५-७६ में कुल १.८४ करोड़ रुपये तथा इस पर ब्याज की धनराशि २४ लाख रुपया केसा द्वारा राज्य सरकार को देय हो गई थी । इस सम्पूर्ण बकाए को (१.८४ करोड़ २४ लाख रु०) राज्य सरकार ने विद्युत् परिषद् को दिए गए ऋण में से समायोजित कर लिया है । अब चूंकि राज्य सरकार को उक्त बकाए का भुगतान समायोजन द्वारा हो चुका है, अतः इस सम्बन्ध म कोई अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम तिन्दुवारी, जिला बांदा में उपभोक्ताओं को विद्युत् कनेक्शन देने में विलम्ब तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दंड देने की मांग

४१--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिन्दुवारी (बांदा) के विद्युत् कनेक्शन सन् १९७० के आवेदन पत्र अब तक पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने हैं और उनमें उपभोक्ताओं द्वारा कितनी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं तथा अब तक इनको कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सन् १९७० में ग्राम तिन्दुवारी, जिला बांदा के केवल १० उपभोक्ताओं ने बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था । इसके अतिरिक्त ६ उपभोक्ताओं ने नवम्बर, १९७२ में बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया । उनमें से १४ उपभोक्ताओं द्वारा फरवरी, १९७३ से जुलाई, १९७४ तक की अवधि में तथा शेष ४ उपभोक्ताओं द्वारा, जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ की अवधि में सर्विस कनेक्शन चार्जेज जमा किए गए हैं, परन्तु किसी भी उपभोक्ता द्वारा न तो घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही वायरिंग पूरी होने का वी० एंड एल० फार्म जमा किया गया । जनवरी, १९७८ से मार्च, १९७८ की अवधि में ही इन सभी उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा-पत्र तथा वी० एंड एल० फार्म भी जमा कर दिया गया है । अतः इन उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने हेतु लाइन लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया और इन्हें शीघ्र ही कनेक्शन दे दिए जायेंगे ।

४२--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या शासन इसकी जांच करके सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी को दंडित करेगी तथा उन आवेदकों के विद्युत् कनेक्शन दिए जाने के आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

कनेक्शन न देने के लिए कोई भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, इसलिये जांच करके किसी भी अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता । आवेदकों ने बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने से सम्बन्धित औपचारिकतायें इसी वर्ष १/७८ से ३/७८ के बीच पूर्ण कर लिया है । अतः लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं उन्हें कनेक्शन शीघ्र ही दे दिए जायेंगे ।

आपात काल में विद्युत् प्रदेय उपक्रम में अनिवार्य सेवा निवृत कर्मचारी

४३--श्री श्याम दत्त पालीवाल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम में आपात स्थिति के दौरान कितने कर्मचारियों को ५८ वर्ष की आयु पूरी करने से पहले अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

आपात् स्थिति के दौरान आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर १६ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किया गया ।

श्री शिवनाथ प्रसाद, हरतीरथ, वाराणसी द्वारा दिया गया कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

४४—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवनाथ प्रसाद ४६/१२६, हरतीरथ, वाराणसी ने विद्युत् कनेक्शन नं० एस० सी०-५५३४९ को वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग वाराणसी द्वारा चालू न करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११ अगस्त, १९७७ को माननीय विद्युत् मंत्री एवं दिनांक १६ जून, १९७७ को अधीक्षण अभियन्ता अन्डर टेकिंग को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

प्रश्नगत मामले में श्री शिवनाथ प्रसाद, ४६/१२६, हरतीरथ, वाराणसी के दिनांक २४-१०-१९७७ तथा १९-११-१९७७ के प्रार्थना-पत्र जो माननीय विद्युत् मंत्री जी को सम्बोधित थे, वाराणसी इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं । उपभोक्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान २९-११-७७ को व रीकनेक्शन फी का भुगतान ८-१२-७७ को किया गया । सभी औपचारिकतायें पूरी कर देने के पश्चात् उनका कनेक्शन दिनांक १७-१२-१९७७ को पुनः जोड़ दिया गया है ।

कतिपय विषय

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न ६७ पर है....।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का घंटा समाप्त हो जाने के बाद प्रश्नों की बात नहीं होगी, जो शिकायत हो, उसे लिखकर मुझे दे दें ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर नियम ३०६(क) के आधार पर एक जानकारी के लिए खड़ा हुआ हूं । आज अखबारों में निकला है कि ८-१० मंत्री निकाले जा रहे हैं । प्रदेश में सारी अस्थिरता फैली हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि सही बात क्या है, कौन-कौन मंत्री हैं जो निकाले जाने वाले हैं जो इस तरह की बातें आ रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर मिश्र का प्रश्न किसी नियम के अन्तर्गत नहीं है । इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

जरवल रोड चीनी मिल में गन्ना किसानों का लाखों रुपया निकाल लिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बहराइच जनपद में स्थित जरवल रोड शुगर मिल में गन्ना किसानों का लाखों रुपया निकाला गया है जो निम्नलिखित है—

(१) गन्ना मूल्य खाते सेमुबलिग ४,००,०००·०० रु० (चार लाख रुपये) शुगर मिल द्वारा निकाल लिया गया जिसे वापस करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(२) गन्ना मूल्य खाते से पुनः मिल द्वारा २,००,०००·०० रु० (दो लाख रुपये) निकालने की कार्यवाही की जा रही है । इसको अविलम्ब रोका जाय, अन्यथा गन्ना किसानों का रुपया बब जायेगा और गोन्डा तथा बहराइच में किसानों में हाहाकार की लहर छा जायेगी ।

(३) मिल बन्द होने के समय तक २०,००,००० रु० (बीस लाख रुपये) बकाया रह जायेगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है तथा इसके वापस करने की कोई व्यवस्था करने की सम्भावना नहीं है ।

अतः श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो चार लाख रुपया गन्ना किसानों का निकाला गया है उसको तुरन्त वापस किया जाय तथा इसकी ठोस जांच की जाय और इस अनियमित कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ठोस व कड़ी कार्यवाही की जाय और जो दो लाख रुपये निकालने की कार्यवाही की जा रही है, इसे तत्काल रोका जाय ताकि किसानों का रुपया अनर्थ न जाय । इस कृपा के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी रहूंगा ।

उन्नाव में उन्नाव–हरदोई मार्ग पर चलने वाली बसों का अड्डा बदल दिये जाने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

महोदय, आपके माध्यम से अति लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उन्नाव जनपद के सर्वाधिक यातायात वाले महत्वपूर्ण उन्नाव–हरदोई मार्ग पर चलने वाली लगभग १०० प्राइवेट लारियों का अड्डा, जो कि रेलवे स्टेशन के समीप था उक्त स्थान से हटाकर शहर के बाहर सूनसान स्थान पर बहुत दूर कर दिया गया है । जहां ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में यात्रियों के लिए न तो कोई छाया है और न ही पानी आदि की कोई व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त गंज मुरादाबाद, बांगरमऊ, फतेहपुर चौरासी, सफीपुर, मियागंज, हैदराबाद, रसुलाबाद आदि कस्बों की ओर से उन्नाव जाने वाले यात्रियों के समक्ष गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । रिक्शा वालों को मनमानी लूट करने की छूट मिल गयी है । व्यापारी वर्ग को जानमाल का सख्त खतरा पैदा हो गया है । प्राइवेट लारी मालिको द्वारा रेलवे

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--]

स्टेशन के समीप से शहर से बाहर लारी अड्डा ले जाये जाने से जनता में गहरा असंतोष है ।

अति महत्वपूर्ण उपरोक्त सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह उपरोक्त प्राइवेट लारी अड्डा रेलवे स्टेशन के समीप ही कायम कराने की व्यवस्था करे ताकि जनता के जानमाल की हिफाजत हो सके ?

हाटा-कप्तानगंज रोड पर मथौली ग्राम, जनपद देवरिया के चार व्यक्तियों की ट्रक द्वारा कुचल कर हत्या किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, चार व्यक्तियों को ट्रक द्वारा कुचल कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हाटा--कप्तानगंज रोड पर दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को एक ट्रक तेज रफ्तार से भागती हुई जा रही थी कि ग्राम मथौली बाजार, जनपद देवरिया के पास लगभग ११ बजे रात में श्रीमती सहोदरी जौजे राम अवध हरिजन, श्रीमती सरस्वती जौजे बीपत कानू, दीना पुत्र सूरज लोहार तथा विश्वकर्मा पुत्र राम नाथ को कुचल दिया जिससे चारों व्यक्तियों की हत्या तत्काल वहीं हो गयी, और ट्रक अपनी रफ्तार से चली गयी । उक्त व्यक्तियों के परिवार लावारिस हो गये हैं ।

अस्तु आपकी आज्ञा से माननीय सदन में मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि मृतक परिवारों को मुआविजा दिलाया जाय । ट्रक का पता लगाकर उचित कार्यवाही की जाय ।

प्रदेश में कोयले के अकाल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान प्रदेश में कोयले के भीषण अकाल और उससे उत्पन्न संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आज प्रदेश में कोयले की आमद इतनी कम हो गयी है कि जिसके कारण प्रदेश के निर्माण कार्य में जुटे लगभग ५० प्रतिशत ईंट भट्टों के बन्द होने की स्थिति हो गयी है । किसी प्रदेश के विकास के लिए सड़कों का कितना बड़ा महत्व है, यह किसी से छिपा नहीं है और इसीलिए जनता सरकार ने कृषि मंडी के माध्यम से प्रदेश में हजारों किलोमीटर सड़कें बनवाने का कार्य प्रारम्भ किया । प्रदेश सरकार, जिनको शीघ्र ही पक्का कराने जा रही है और इस सबके लिए ईंटों की बहुत बड़ी आवश्यकता है भट्टा ईंट उद्योग का कार्य बरसात में बन्द हो जाता है । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि प्रदेश के भट्ठा ईंट के लिए कोयले की अविलम्ब आपूर्ति हो, अन्यथा कोयले के अभाव में सारे भट्ठों के बन्द हो जाने से ईंट की भयंकर कमी हो जायगी और प्रदेश का सारा निर्माण कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुककर प्रगति कार्य अवरुद्ध हो जायेगा । यही नहीं, आजकल घरों में इस्तेमाल होने वाले उर्जा में भी कोयले का प्रमुख स्थान है और इसकी कमी से जहां एक ओर लघु उद्योग प्रभावित होते हैं, वहीं भोजन पकाने की भी कठिनाई हो रही है । यह भी जानकारी मिली है कि प्रदेश में कोयले की कीमत इतनी ऊंची बढ़ गयी है कि साफ्टकोक पर ६० प्रतिशत और हार्ड कोक पर ८० प्रतिशत ब्लैक मनी देनी पड़ रही है और इसका अनुचित लाभ उठाने के लिए प्रदेश के पूंजीपति अपनी फैक्ट्रियों का कोयला बेचकर कालाधन उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियों में बनने वाले माल की अपेक्षा ब्लैक से कोयला बेचने में उन्हें अधिक लाभ मिल रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल इस गम्भीर संकट से प्रदेश को उबारने और सारे मामले की जांच कराने की मांग के साथ-साथ कोयले की तत्काल आपूर्ति की मांग करता हूं जिससे प्रदेश का विकास अवरुद्ध न हो सके ।

कानपुर में श्री जार्ज फरनांडीज के आगमन पर श्रमिकों की सभा में झंडा उतारे जाने पर झगड़ा होने की घटना के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, दिनांक १६-४-७८ को कानपुर में भारत सरकार के उद्योग मंत्री श्री जार्ज फरनांडीज आये थे उनके आगमन पर स्वदेशी मिल के अनेक यूनियनों ने मोर्चा बनाकर एक सभा का आयोजन किया और उसपर यूनियनों के झंडा लगाए वहां पर इसलिए झगड़ा हो गया कि जनता दल के कुछ लोग चाहते थे कि जनता पार्टी का झंडा लगाया जाय । जबकि वह बैठक संयुक्त मोर्चा संगठन की बैठक थी । बैठक में हाथापाई हुई और चोटें भी आईं । कई लोग घायल हुए । मालूम हुआ है कि एक मजदूर बेहोश भी हो गया । अंत में किसी तरह से सभी मोर्चा वालों को हटा कर डायस पर केवल उनके अध्यक्ष के साथ में आयोजन किया गया और पुलिस डायस के समक्ष खड़ी कर दी गयी, और अन्य दलों के लोगों के मंच पर जाने से मना कर दिया गया इससे श्रमिक मोर्चा के लोगों में बड़ा असंतोष फैला । जब यह सभा श्रमिक मोर्चे के लोगों की थी तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके झंडे क्यों उतारे गये और वे लोग मंच पर से क्यों हटाये गये इसकी जानकारी आवश्यक है । इस समय मजदूर मोर्चा के लोगों का क्या कथन है । मेरा निवेदन है कि कृपया माननीय मंत्री जी इस पर वक्तव्य से अवगत करायें ।

जेलर की साजिस से जिला कारागार, लखनऊ से अपराधियों को जबरदस्ती भगाये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, महोदय, मैं आपके समक्ष कारागार विभाग में हो रही अत्यन्त अनुशासन-हीनता तथा अपराधियों के साथ मिलकर जेल विभाग के उच्च अधिकारी दिन के

[श्री गुलाब सेहरा---]

उजाले में भागने के दुष्कर्म में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आश्चर्य यह है कि प्रदेश की राजधानी और मंत्रिमंडल के नाक के नीचे यह कांड हुआ ।

६-४-७८ को जिला जेल, लखनऊ में कानपुर के कुख्यात बदमाश जेल में बन्द हैं, उनको मिलने तथा अपहरण करने एक कुख्यात बदमाश जिस पर २५, ३० हत्याओं के केस चल रहे हैं लल्लू उर्फ करीम बख्श अपने साथियों के सहित पिस्तौल और माऊजर के साथ मिलने के बहाने जेल में प्रवेश पा गया और बाहर चार मोटर साइकिलों पर चार सशस्त्र बदमाशों को व दो खाली कारों को जिसमें वह अपहरण करके ले जाने का प्रोग्राम था बाहर खड़ी कर गया था । किन्हीं सूत्रों से इस होने वाली घटना का पता स्थानीय पुलिस को लग गया और एस० पी० सिटी के नेतृत्व में पुलिस व पी० ए० सी० कम्पनी द्वारा जेल की चारों ओर से घेर लिया गया और दो कारों को जो बाहर खड़ी थीं उनको कब्जे में कर लिया । जेल के अन्दर गये हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जब उनके बयान लिये गये तो पता चला कि ६ पिस्तौल और पांच हजार रुपया जो एक थैले में थे जेलर को छुपाने के लिए उस वक्त दे दिया गया । जब यह पता चला कि पुलिस ने चारों ओर से जेल को घेर लिया है ।

ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी, लखनऊ उस जेलर को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन केवल इस जेलर का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस कान्ड की पूरी जांच उच्च स्तर पर कराई जाय और सुरक्षा और व्यवस्था में व्यवधान करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें ।

शेरगढ़-नौहझील व मांट-वृन्दावन मार्ग में यमुना नदी पर अविलम्ब पुल बनवाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मान्यवर, जमुना नदी जहां से मथुरा जिले में प्रवेश कर रही है और जहां पर इस जिले की सीमा समाप्त होती है, इतने बड़े लम्बे क्षेत्र में मथुरा शहर को छोड़कर जमुना नदी पर और कोई पुल नहीं है । सारा जिला वार-पार के दो हिस्सों से बिना पुलों के बटा हुआ है । जमुना पार छाता में एक चीनी मिल बन गयी है, उससे पूरे जिले का गन्ना आयेगा, परन्तु बिना पुलों के वह आना असम्भव है । अतः सारे जिले की जनता की विशेष मांग पर एक शेरगढ़ नौहझील व दूसरा मांट-वृन्दाबन मार्ग जमुना नदी पर पुल अविलम्ब बनाये जायें । अभी पिछले दिनों वित्त मंत्री को इन दोनों पुलों की विशेष उपयोगिता पर जनता ने मथुरा जिले के इनके दौरे पर बताया था, और कहा था कि ३० वर्ष से शासन बराबर इन पुलों के लिए आश्वासन देता रहा है, पर अभी तक नहीं बने । वित्त मन्त्री जी ने भी जनता को पुलों के निर्माण के लिए आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हुई है ।

शेरगढ़–नौहझील व मांट–बृन्दावन मार्ग में यमुना नदी पर अविलम्ब पुल ७१३ बनवाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान म लाना

अतः शासन से मांग है कि छाता चीनी मिल की उपयोगिता को देखकर तथा जनहित में ये दोनों पुल अवश्य बनाय जायं ।

मिर्जापुर नगर व विन्ध्याचल के घाटों के कटाव से होने वाली क्षति से व्यापक असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)––

महोदय, मैं मिर्जापुर नगर और विंध्याचल में गंगा नदी की बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष घाटों पर भारी कटाव होता जा रहा है जिससे न केवल धन की अपितु जन की भी भारी क्षति हो रही है । मिर्जापुर नगर की एक सड़क भी इस कटाव की चपेट में आ गयी है । कई पक्के आलीशान भवन धराशायी होने की स्थिति में पहुंच गये हैं और कई हो भी चुके हैं । कटाव के कारण प्रत्येक घाट पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ स्नानार्थियों की मृत्यु हो जाती है और प्रायः घाटों के भीतर भयंकर पोल बन गये हैं जिसमें लाशों के फंसने के कारण न तो लाशें बाहर निकल पाती हैं और न निश्चित संख्या ही मालूम हो पाती है ।

उल्लेखनीय है कि विगत नवरात्र में विन्ध्याचल देवी के दर्शनार्थ दूर-दूर से आये हुये कई दर्शनार्थी डूब कर मर गये और कुछ लाशों का पता भी नहीं चल पाया । प्रायः प्रत्येक घाट पर हर समय किसी न किसी दर्शनार्थी का परिवार रोते बिलखते दिखाई देता और पूरे वातावरण को अतीव कारुणिक बना देता था ।

इस सम्बन्ध में कई बार शासन का ध्यान विगत सरकार के समय से ही विभिन्न माध्यमों द्वारा आकर्षित कराया गया, किन्तु मात्र आश्वासन मिलता रहा और अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता में भयंकर असंतोष है ।

अतः मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये सरकार से अपेक्षा करता हूं कि मिर्जापुर नगर और विन्ध्याचल के कटाव को रोकने की व्यवस्था शीघ्र की जाय ।

सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों को भाषण के लिये अवसर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)––

मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । एक प्रश्न पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी कई बार उठ चुका है कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी उसी व्यक्ति को बुलायेंगे बोलने के लिये, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी या उनके पास जो सूची दल के सचेतक द्वारा भेजी जाती है उस सूची के अनुसार यह प्रश्न अभी तक स्पष्ट रूप से सदन के सामने नहीं आ सका । मान्यवर, यह अधिकार सचेतक का होता है कि वह जिस विषय पर जिन माननीय सदस्यों को बुलवाना चाहता है उनके नाम लिख कर वह आपको दे दे । मेरे पास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमाशंकर कौशिक--]

यह किताब है 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' महेश्वरनाथ कौल की लिखी हुई, इसके पृष्ठ १२९ पर लिखा है "सचेतकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने सदस्यों को जाने। इसके लिए सचेतकों को सभी सदस्यों से निकट सम्पर्क रखना पड़ता है और उन्हें उनकी रुचि के विषयों, विशेष अभिक्षमताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिये। वादविवाद तथा चर्चा का स्तर बनाये रखने के लिए, अध्यक्ष को अपने दल को ओर से बोलने वाले वक्ताओं की सूची भेजते समय सचेतक इन सब बातों का ध्यान रखते हैं।"...आगे लिखा है पृष्ठ १३१ पर..."सभा में गणपूर्ति कराने और उसे बनाये रखने के अतिरिक्त जो कि सभा के कार्य संचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, विशेष अवसरों पर वादविवाद की दिशा और उसके स्वरूप आदि के निर्धारण में मुख्य सचेतक का बहुत हाथ रहता है।..."

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज की कार्य सूची में आप देखें पहले प्रश्नोत्तर है, फिर गिरफ्तारी की सूचनायें, विशेषाधिकार के प्रश्न, नियम ३१५ आदि आदि प्रश्न हैं। माननीय कौशिक जी ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जिसके बारे में कल माननीय सदस्य ने आपसे पूछा भी था कि हमारे पास सूची है। मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर इस वक्त विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि लिस्ट आपके पास किसी की तरफ से जा सकती है। लेकिन वह लिस्ट जो है मान्य नहीं होगी, आपका विवेक इसमें मुख्य होगा कि आप किसको समय देते हैं, किसको नहीं देते है। यह जो प्रश्न उठाया गया है, अव्यवहारिक है। हमारी जो कार्य सूची है उसके भी तारतम्य के खिलाफ है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर जब कोई औचित्य का प्रश्न उठाता है, तो उस पर विनिश्चय करना पड़ता है और विनिश्चय करने में कभी-कभी अध्यक्ष दूसरे से भी सहायता ले सकते हैं। माननीय ऊदल ने एक प्रश्न उपस्थित किया है, लेकिन औचित्य के प्रश्न के रूप में श्री कौशिक ने भी उपस्थित किया है और औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता में लिखा है कि--"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" और कब होगा कि जब एक विषय समाप्त हो जाय और दूसरा शुरू होने वाला हो, तो उसकी अन्तरावधि में। तो अब श्री कौशिक मेरे संज्ञान में ले आए थे, मुझे लिख कर दिए थे, इसलिए उन्होंने यह औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है। मैं इसको सुनने के बाद अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री ऊदल --

श्रीमन्, एक मिनट और सुन लें। यह औचित्य का प्रश्न आपके सामने रखा जा सकता है लिखित रूप में और अगर आप आज्ञा देंगे तो उसको सुन भी सकते हैं। लेकिन अभी जो इस प्रश्न को ले लिया गया, मैं इसको इस वक्त आवश्यक नहीं समझता हूं। आपकी जो कार्य सूची है, भाषण के सम्बन्ध में जो औचित्य का प्रश्न है कि सचेतक की सूची से बोलवायेंगे या जब कोई माननीय सदस्य विरोध करता है कि हमारा नाम नहीं है, तो यह किसी तारतम्य को तोड़ कर उसको नहीं लिया जा सकता है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

नियमावली के पृष्ठ ८२ पर लिखा है--"परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो"। और फिर आगे लिखा है--"संज्ञान में हो"। तो यह मेरे संज्ञान में लाया गया। एक कार्य समाप्त हो गया, दूसरी मद शुरू होने वाली है, इसलिए मैंने इसे ले लिया।

*श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, सभा में गणपूर्ति कराने और उसे बनाए रखने के अतिरिक्त जो कि सभा के कार्य-संचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, विशेष अवसरों पर वाद-विवाद की दिशा और उसके स्वरूप आदि के निर्धारण में मुख्य सचेतक का बहुत हाथ रहता है क्योंकि वह अपने दल की ओर से भाषण करने वालों का चुनाव करता है और उनकी सूची अध्यक्ष को देता है, जिससे कि उनकी ओर "अध्यक्ष का ध्यान जाने में सुविधा हो"। मान्यवर, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि जो सूची सत्ता पक्ष की ओर से आती रहती है, उसमें से अतिरिक्त आप लोगों को बुलाते हैं या जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, आप बुलाते हैं। मान्यवर, मेरा तो कहना यह है कि इसमें आप देखें कि अब तक जो इस बात की कोशिश की जाती रही, जैसे कि जो सूची आती है, चाहे किसी भी पक्ष का दल हो, उसमें अनुशासन की बात और सदस्यों को वफादार रहने की बात बहुत जरूरी होती है।

मान्यवर, कल सत्ता पक्ष वालों को निर्देश दिया कि एक सूची बनाइये, यह आप निर्देश नहीं दे सकते, हो सकता है कि सचेतक की तरफ से जो सूची आपको जाती है, वह गलत बनाई गई हो, मान्यवर, जो सूची हम बनाते हैं, हो सकता है वह गलत भी हो सकती है। लेकिन इस मामले को आपको सचेतक के विवेक पर छोड़ना पड़ेगा और आप जो निर्देश देते हैं कि आप ऐसी सूची बनायें, ऐसे बोलने वाले हों या वैसे बोलने वाले हों तो यह निर्देश आप मान्यवर, नहीं दे सकते हैं। हमको दल की तरफ से सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। राजनीतिक नीति, कार्य-नीति, रण-नीति आदि को देखते हुये कौन से सदस्य किस चीज को रख सकते हैं, यह सब देखना होता है। दूसरी बहुत सी बातें होती हैं, जो सचेतकों को ध्यान में रखनी होती हैं। तो मान्यवर, मैं दो चीजें चाहता हूं। एक यह है कि जैसा सदस्यों ने कहा कि ऐसी सूची भेजना गैर कानूनी है, तो यह एक परम्परा है यह एक संसदीय प्रणाली है। दूसरी चीज क्या ऐसा निर्देश आप दे सकते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उनका व्यवस्था का प्रश्न है और उस पर मैं अपना निर्णय दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें।

(शोर)

श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं नियम २८७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये मैं अनुमति नहीं देता ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं नियम २८७ के अन्तर्गत कहना चाहता हूं । उसमें स्पष्ट लिखा है । अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना--'जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़े हों तो अध्यक्ष उनका नाम पुकारेंगे । यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायं तो जिस सदस्य का नाम पुकारा जायेगा उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा ' तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट तौर पर नियम है कि माननीय अध्यक्ष जिनको बोलने के लिए कहेंगे वही माननीय सदस्य बोलेंगे । सूची जो है वह तो सहायता के लिए है । मान्यवर, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं । मुझे नाम नहीं याद है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी की व्यवस्था थी की सूची सलाह देने के लिए, मदद के लिए अध्यक्ष या अधिष्ठाता के लिए रहेगी। सूची के लिए कोई बाध्य नहीं रहेगा ।

मान्यवर, कौशिक जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, कल मैं भी यहां मौजूद था । आज उन्होंने संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार जो श्री महेश्वर नाथ कौल तथा श्री श्यामलाल शकधर की है उसका हवाला दिया । मान्यवर, इसके पेज १२९ पर स्पष्ट दिया है कि सचेतकों के लिए आवश्यक है कि वे अपने सदस्यों को जानें । तो मान्यवर, यह नहीं है कि बगैर जाने हुए सूची दे दें । मान्यवर, इसमें आगे है कि इसके लिए सचेतकों को सभी सदस्यों से निकट सम्पर्क रखना पड़ता है और उन्हें उनकी रुचि के विषयों, विशेष अभिक्षमताओं, योग्यताओं तथा क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिये ।

मान्यवर, बिना ज्ञान के कोई सूची नहीं होनी चाहिए। यह सचेतकों के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके कर्त्तव्य क्या हैं । यहां पर जो सचेतक हैं न सदस्यों से निकट सम्पर्क स्थापित करते हैं और न सदस्यों की रुचि तथा योग्यताओं को ही जानते हैं ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें ।)

और मनमाने ढंग से सूची दे दिया करते हैं । कल माननीय कौशिक जी ने एक वाक्य कहा था जो उचित नहीं था । आपने जब उनको बोलने नहीं दिया तो उन्होंने कहा था । माननीय रवीन्द्र सिंह और जगदीश प्रसाद त्रिवेदी जी भी मौजूद थे । उन्होंने कहा था कि आप दल के नेता का काम भी करते हैं और स्पीकर का काम भी करते हैं । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह आपके प्रति एक तरह से आरोप है और उनको माफी मांगना चाहिए। किसी दल के सचेतक को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि आप उनसे माफी मंगवायें ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर विवाद नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या हम लोग जोर से बोलें तभी आज्ञा मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कौशिक जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है और उसी पर मेरा ध्यान श्री शत्रुद्ध प्रकाश जी ने नियम २८७ की ओर आकर्षित किया है। तो श्री कौशिक ने नियम २८७ को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने इस बात को चुनौती नहीं दी है कि अध्यक्ष किसको बुलायें किसको न बुलायें। लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है, औचित्य का, तो औचित्य के प्रश्न में नियम ३०० को देखें। इसमें कोई विवाद आवश्यक नहीं होता है। उसमें यह है कि किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी किन्तु अध्यक्ष यदि ठीक समझें तो विनिश्चय देने के पहले सदस्यों को सुन सकें। वादविवाद की अनुज्ञा न देने के माने हैं मैं दो से अधिक व्यक्तियों (एक इधर से और एक दूसरी तरफ से) को नहीं सुन पाऊंगा।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पीठ से दिए गये निर्णयों का संकलन के पृष्ठ २६५ के निर्णय संख्या १०१ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि "२० फरवरी, १९५९ को श्री मुक्तिनाथ राय ने निम्न व्यवस्था का प्रश्न उठाया—

"अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८७ में दिया हुआ है कि जब अधिक माननीय सदस्य खड़े होंगे तो जिस पर माननीय अध्यक्ष की निगाह पड़ जायगी उसी को वह पुकार लेंगे लेकिन मैं यहां देखता हूं कि एक लिस्ट पहले से दी जाती है तो इस तरह से लिस्ट देना उचित है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।" प्रश्न यह उपस्थित हुआ और इस पर व्यवस्था देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा—

"यह तो उचित है ही, क्योंकि बात यह है कि यह पद्धति मान ली गई है कि जहां पार्टी सिस्टम है वहां यदि सहूलियत के लिए बोलने वालों की फेहरिस्त दे दी जाती है तो उससे दिक्कत नहीं होती है। दोनों तरीकों का समन्वय सदन में होता है, कुछ लिस्ट के हिसाब से और कुछ दृष्टिपात के हिसाब से अध्यक्ष को चलना पड़ता है क्योंकि दृष्टि तो डालनी ही पड़ती है कि कौन कहां बैठा है, फिर भी लिस्ट से अध्यक्ष अपने को बाध्य नहीं समझता, यह स्पष्ट है। अगर अध्यक्ष समझे कि कोई अनुचित बात हो रही है और कुछ लोगों का बोलना आवश्यक है। जो कि कभी नहीं बोल सके हैं तो हो सकता है कि वह पार्टी लिस्ट की परवाह न करे। लेकिन अगर किसी लिस्ट की परवाह अध्यक्ष करता है तो उसमें कोई अवैधानिक कार्य नहीं होता।"

श्री अध्यक्ष—

इसमें विवादास्पद प्रश्न कहां है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अध्यक्ष जी को यह अधिकार है कि लिस्ट के बाहर या लिस्ट के अन्दर किसी को बुलायें। आपको यह भी अधिकार है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी दल की लिस्ट की परवाह करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरा कहना वह है कि यह प्रश्न तो तब उठेगा जब नियम २८७ को कोई सदस्य चुनौती दे। माननीय सदस्य कौशिक ने स्वीकार किया है कि हम सूची दे सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष उससे बंधे नहीं हैं। नियम २८७ के अनुसार जिस पर दृष्टि जायेगी, यदि एक से अधिक व्यक्ति खड़े होंगे, तो अध्यक्ष उसको बुलायेंगे और वह ही बोलेंगे। इसलिए इस पर विवाद नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपने जो निर्देश दिया है उसमें आपत्ति क्या है, उस पर हम कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, कुछ तो नियमावली में है और कुछ यहां और संसद में परम्परायें रही हैं कि जो लिस्ट जाती है वह सदैव से दे दी जाती रही है। यह यहां ही नहीं बल्कि संसद तथा और जगहों पर भी दे दी जाती है। लेकिन उसकी बाध्यता पीठासीन व्यक्ति पर नहीं रही है। वह विवेक से, पीठासीन व्यक्ति, अपने तय करते हैं। यदि अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता जी से कह दें तो उस समय जो पीठासीन व्यक्ति होगा वह अध्यक्ष का काम कर रहा है। यह उसकी योग्यता के अनुसार उसके विवेक पर निर्भर है कि क्या करें। उसको तय करना पड़ता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो अध्यक्ष जी कहते हैं वही पीठासीन व्यक्ति भी करे। विवेक की बात है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कौशिक जी ने जो बात कही उस पर मुझे आपत्ति है कि आप सलाह नहीं दे सकते कि सचेतक लोग अपनी लिस्ट बना के दें। वह तो हो ही रहा है और होना चाहिये। अगर नहीं देते हैं तब एक संसदीय प्रथा का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उसी प्रकार जैसा कि शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा सचेतक को जानना चाहिये, बड़ा दल है बड़ी समस्यायें हैं छोटा दल है उसकी अपनी समस्यायें हैं। यह सब जानना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि आप नेता का काम भी कर रहे हैं। अध्यक्ष का काम भी कर रहे हैं। शायद इसे वह बहुत लाइटली कहते हैं। आप हो सकता है दोनों काम करते हों लेकिन आपको हम एक अध्यक्ष के नाते जानते हैं। हम तो नेता सदन को जानते हैं जो बैठे हुये हैं सामने। आपको तो हम केवल अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। आपकी योग्यता है नेता, अध्यक्ष, सुपर नेता, सुपर अध्यक्ष, सबके रूप में है लेकिन हम तो आपको अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि आप नेता नहीं है। अध्यक्ष के नाते आप नेता हैं लेकिन नेता सदन के रूप में तो नेता सदन दूसरे हैं आप नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्याम धर जी यह कार्यवाही में नहीं है इसलिए इसका कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

कल उठाया गया ....।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आज है । निश्चित जानकारी है कि सदन के अन्दर यह बात हुई है ।

श्री ऊदल--

प्रोसीडिंग में आज की इन्होंने यह कहा कि ...

श्री श्याम धर मिश्र--

परम्परा के अनुसार आप निर्देश भी दे सकते हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप सक्षम हैं, आपको अधिकार प्राप्त है, आप अपने विवेक से, न केवल आप, पीठासीन व्यक्ति भी, अपने विवेक से लिस्ट को देख करके जिसको चाहे बुला सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

जो यह कहा गया कि आप माननीय कौशिक जी को निर्देश नहीं दे सकते सूची के सम्बन्ध में, मेरा केवल निवेदन यह है कि इस सदन की कार्यवाही कैसे सुचारु रूप से चले इस सिलसिले में आप राय देने के अधिकारी हैं, आप सक्षम हैं। आप चाहें सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सचेतक हो या नेता सदन हो या नेता विपक्ष हो, सब को आप परामर्श दे सकते हैं, आप उन को निर्देश दे सकते हैं। इस प्रकार के जो आप निर्देश देते हैं वे नियमानुकूल हैं, हमारे विधान सभा के नियमों के अनुसार हैं और उनका औचित्य भी है। श्रीमन्, कौशिक जी को जो आपत्ति है वह बिलकुल बेबुनियाद है। यह औचित्य का सवाल तो उन्हें नहीं उठाना चाहिए और सचेतक के जिम्मे विधान सभा की कार्यवाही यदि छोड़ दी जाय तो विधान सभा मृतप्राय हो जायगी चापलूस और चाटुकारों के लिए ही रह जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

श्री कौशिक ने जो प्रश्न उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने सचेतक के कर्त्तव्य के बारे में (व्यवधान) आप लोग शांत रहे (किसी सदस्य के जाने पर) देखिये आप चल रहे हैं। यह नियमों के विरुद्ध है कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों उनके सामने इस प्रकार नहीं आना चाहिए। माननीय कौशिक जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में सूची देने का अधिकार सचेतकों का है जैसा विधान सभा ने स्वयं स्वीकार किया कि नियम २८७ के अनुसार किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए खड़ा किया जायगा कौन बुलाया जायगा ? नियम २८७ के अनुसार अध्यक्ष जिसको बुलायेंगे। श्री श्यामधर जी ने उसी में दूसरा प्रश्न उपस्थित किया, यदि अधिष्ठाता हों तो उनको अध्यक्ष भी कोई निर्देश नहीं कर सकते। यह सही है। अधिष्ठाता जब पीठासीन हों तो वह अपने विवेक से जो भी व्यक्ति उनकी दृष्टि में आये उनको बोलने के

[श्री अध्यक्ष—]

लिए आह्वान करें । आपने जो यह प्रश्न उपस्थित किया इसमें न कभी कोई भ्रान्ति थी और न है । मैंने इसी पीठ से पहले भी स्पष्ट किया है कि दलीय राजनीति में संसदीय प्रणाली में विरोध और सत्तारूढ़ पक्ष को अधिकार है कि बहस को नियंत्रित और एक स्तर पर लाने के लिए वह एक सूची दें और अध्यक्ष, जैसा कि अभी कल्पनाथ सिंह जी ने पढ़कर सुनाया, उसमें समन्वय करें । जैसा कि श्री कौशिक जी ने पढ़कर सुनाया पृष्ठ १३१ पर लिखा है अपने स्थान पर रखने तथा अध्यक्ष की दृष्टि में जाने में सुविधा देने के लिए । लेकिन माननीय कौशिक जी इस बात का ध्यान रखें । जरा पृष्ठ १२६ को देखें । उसमें लिखा है कि सदस्यों को सदन के कार्यों के सम्बन्ध में सूचित करते रहते हैं, दल का अनुशासन बनाये रखते हैं, सदन के कक्षों आदि में सदस्यों के साथ सम्पर्क रखते हैं । जहां आप सूची रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेता की तरफ से अनुशासन बनायें रखें । आप सूची तो दे देते हैं लेकिन अनुशासन नष्ट हो जाता है । कल सवा दो बजे मैं पीठ-सीन हुआ । ३ बजे तक विवाद समाप्त होना था जिसमें कटौती प्रस्ताव कर्ता को बोलना था और माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना था । मैं सचेतक से कहूंगा कि यदि आपका सम्पर्क सदस्यों से होता तो सदस्यों में इतना संज्ञान और सौहार्द और साथ ही इतना आदर नेता के प्रति होना चाहिए कि वह अपने नेता को आदर पूर्वक सुनने के लिए तैयार हों । मैं निर्देश नहीं करना चाहता और एक ही कार्य मेरे लिए बहुत कठिन है । यहां से आपके दल को अनुशासित और संचालित करने का नेता का कार्य आप मुझ पर थोपना भी चाहें तो मेरे लिए वह असम्भव है और न मैं कर सकता हूं । लेकिन एक बात कहता हूं । पौने दो घंटे हुए । आपके बगल से ही एक खड़े हुए । दो मिनट का समय उन्होंने लिया । इधर से खड़े हुए, उधर से खड़े हुए । क्या यह अनुशासन है शकधर के अनुसार किसी भी सदस्य को यहां पीठ के पास नहीं आना चाहिए जो शिष्टता के विरुद्ध है । पर्चा लिखकर मुझे दे सकते हैं । मैं तो यही चाहता हूं कि डिबेट ऊंचे स्तर पर हो । आपकी सूची से अध्यक्ष और अधिष्ठाता भी सहायता लें । लेकिन फिर आपका कर्तव्य होगा कि कोई सदस्य मेरे पास विरोध न भेजें । एक माननीय सदस्य ने भेजा कि सूची में नाम नहीं तो उन्होंने कहा कि मुझे सुखपाल पाण्डेय का अनुकरण करना पड़ेगा । उन्होंने एक पत्र मुझे कल भेजा । जहां आप शकधर की बात कहते हैं तो अनुशासन बनाये रखने में मदद करें । आप जिन वक्ताओं को रखते हैं तो उनको उपस्थित रहना चाहिए । इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । कल मैंने कोई निर्देश नहीं दिया । मैंने आपको सलाह दी । कल की सूची मैंने देखी । मैंने सचिव को आदेश दिया कि इसमें कितनी बार लोग बोलें हैं । आपकी सूची में अधिकांश व्यक्ति तीन मर्तबा, चार मर्तबा, दो मर्तबा बोलने वाले थे । जैसा कि अभी नियम में कल्पनाथ सिंह जी ने बतलाया था यह व्यवस्था है, तो कल मैंने देखा कि जिन सदस्यों को सत्र में बोलने का अवसर नहीं मिला है और आपकी सूची में भी नहीं हैं, तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे सदस्यों को अवसर मिले, इसलिये यह निर्देश नहीं है लेकिन कार्य संचालन के लिये मैं परामर्श दे सकता हूं । मैंने परामर्श दिया था । आज पर्वतीय विकास का बजट है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों को प्राथमिकता देना है और देना चाहिये ।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप चाहें तो सम्बोधन भी कर सकते हैं और चाहें तो निर्देश भी दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अधिकार होते हुये भी उसका प्रयोग करना उचित नहीं होता, इसलिये मैं सूची बनाने में उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहता लेकिन पुनः निवेदन करूंगा कि प्रत्येक की आप सूची रक्खें । यह मेरी राय है । जब आप बोलने की अनुमति दें तो उसको देख लें । आप देखते हैं कि लोग ५, ५ और ६, ६ बार चिट भेजते हैं और कुछ लोगों से सिफारिश कराते हैं । तो पूरी तरह से सामंजस्य हो और कोई विवाद का प्रश्न न हो ।

श्री मैनेजर सिंह--

जब सूची प्रस्तुत हो तो देख लिया जाय कि वह लोग कब-कब बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह मैं देख लेता हूं ।

श्री ऊदल--

मैं व्यवस्था चाहता हूं । कल कौशिक जी ने कहा था कि आप दल के नेता का काम करते हैं और अध्यक्ष का काम भी करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कार्यवाही देखी है । इंगलैंड के स्पीकर, श्री शैलविन ने लिखा है कि कभी-कभी स्पीकर को जानबूझकर अपने कान बन्द कर लेना चाहिये, तो यह कार्यवाही में नहीं लिखा गया, शोर बहुत था । यह लिखा है "रमाशंकर कौशिक के खड़े होंने पर और कुछ कहने पर" तो इसको हमारे रिपोर्टर नहीं लिख सके, इसलिये यह बात प्रोसीडिंग्स में नहीं आई, इसलिये इसको समाप्त किया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो जो पिछला मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने है...

श्री अध्यक्ष--

मैंने कल ही निवेदन किया था कि संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि वह दो दिन के लिये बाहर जा रहे हैं ।

कई सदस्य--

वह तो बैठे हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मंत्री जी से) यह इस प्रश्न को लाना चाहते हैं तो मैं पहले एक प्रश्न निपटा लूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है ।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय श्री तिवारी का कहना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को सदन की कार्य सूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या एक के अनुपूरक प्रश्नों का जानबूझकर गलत उत्तर दिया और सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है ।

इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक २५ अप्रैल, १९७८, को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से सदन में वस्तुस्थिति बताने के लिये कहा था। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के उन अंशों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की, जिनके सम्बन्ध में श्री तिवारी का कहना था कि वे असत्य थे और जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए कहे गये थे ।

ये अंश निम्न प्रकार हैं :

"(१) इसमें शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(२) ऐसे मामलों में शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कोई आदेश दिया ही नहीं जाता ।

(३) एक उप मंत्री वहां गये थे । जनता ने उनसे कहा, इस सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी है ।.....वे फैजाबाद गये थे, वहां जनता ने उनसे कहा ।

(४) वहां पर दीन दयाल जी की मूर्ति लगाये जाने की बात है वह स्थान नगर पालिका के सामने है और जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी के स्मारक के निर्माण का प्रश्न है, वह स्थान पार्क से सम्बन्धित है । वे स्थान अलग-अलग हैं" ।

उपर्युक्त कथनों के सम्बन्ध में मुझे यह निर्णय करना है कि वे असत्य कथन है और जानबूझ कर सदन को गुमराह करन के लिए किये गये हैं ।

मैंने २० व २५ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही देखी । दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने स्पष्ट रूप से बतलाया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और न कोई आदेश जारी किया गया । श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप सचिव, नगर पालिका अनुभाग-५ के अर्ध शासकीय पत्र में केवल लालबहादुर एन्ड सन्स, वाच मेकर की दुकान के सामने पार्क में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित करने के जनता के सुझाव पर विचार करने का सुझाव दिया गया था और २५ अप्रैल, १९७८ को माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक से अधिक व्यक्तियों ने सुझाव दिया था तथा यदि केवल श्री मधुबन सिंह द्वारा ही सुझाव दिया जाता तब भी उस सुझाव को जनता द्वारा दिया गया सुझाव माना जाता क्योंकि एक व्यक्ति भी जनता की परिभाषा में आता है ।

"जहां तक इस बात का प्रश्न है कि जहां पर पंडित दीन दयाल जी की मूर्ति लगाये जाने की बात है, यह स्थान नगर पालिका के सामने है और जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी के स्मारक के निर्माण का प्रश्न है, वह स्थान पार्क से सम्बन्धित है । वे स्थान अलग-अलग हैं," श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का कथन असत्य है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में कोई गलतबयानी नहीं की गयी हैं और न ही सदन को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, एक मेरा भी प्रश्न था....

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खिलाफ जो विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया....

श्री अध्यक्ष--

वह देख रहा हूं। अभी उस पर स्पष्टीकरण नहीं मिला। उस पर मैंने कहा था कि उसी नियम ६४ में लिखा है, अगर वह किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध हो, तो उनको स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा। मैंने उसको भेज दिया है और स्पष्टीकरण आने पर फिर उस प्रश्न को लेंगे। उसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको अवसर मिलेगा।

आज पहले जिन मन्त्रियों को वक्तव्य के लिये कहा गया था, पहले उसे ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अभियन्ता संघ द्वारा १५ अप्रैल, १९७८ से कलम बन्द हड़ताल तथा २८ अप्रैल, १९७८ से कठोर कदम उठाये जाने के निश्चय के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही) -

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अभियन्ता संघ, दिनांक १५ अप्रैल, १९७८ से १ घंटा की कलम बन्द, औजार बन्द हड़ताल पर हैं तथा दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को उन्होंने २४ घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की थी। तत्पश्चात् यह फिर एक घंटे की कलम बन्द, औजार बन्द हड़ताल पर हैं तथा २८ अप्रैल को पूरे दिन कलम बन्द, औजार बन्द हड़ताल करने की सूचना उनसे प्राप्त हुई है।

यद्यपि अभियन्ता संघ ने उपर्युक्त आन्दोलन से मशीनों पर तथा ब्रेक डाउन अटेन्ड करने वाले अभियन्ताओं को छूट की घोषणा की थी परन्तु उनके आन्दोलन के समय से लगातार विद्युत् उत्पादन में गिरावट से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उत्पादन में जान बूझ कर कमी की है। विद्युत् उत्पादन जो क्रमशः बढ़ कर २६ तारीख तक लगभग १७०० मेगावाट था और पनकी में विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद १५ अप्रैल को लगभग १५०० मेगावाट था, क्रमशः घट कर २२ तारीख को जब कि प्रातः काल के समय १४०० मेगावाट था सायंकाल तक घटकर लगभग ८०० मेगावाट हो गया था।

इस आकस्मिक गिरावट की स्थिति को देखते हुए मैं स्वयं ओबरा गया और साथ में परिषद् के अध्यक्ष को भी ले गया। उसके बाद यह उत्पादन बढ़ोत्तरी की

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

ओर अग्रसर है और २६ तारीख की शाम को १९ बजे १३८६ हो गया । आशा है कि उत्पादन की स्थिति में और सन्तोषजनक सुधार होगा ।

अभियन्ताओं की मांगें निम्न प्रकार हैं :

(१) उन्हें अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय,

(२) उनकी जनवरी, १९७३ की हड़ताल के समय जिन अभियन्ताओं पर तोड़ फोड़ के मुकदमें कायम किये गय थे उन्हें उठा लिया जाय,

(३) उनके वेतनमान एवं प्रतिकर भत्ता में कुछ तथाकथित असंगतियों को दूर किया जाय,

(४) उन्हें १-६-१९७४ से ३१-१२-१९७६ तक का केन्द्रीय दर पर महंगाई भत्ता दिया जाय ।

(५) उनके लिए समयबद्ध वेतनमान स्वीकार किया जाय ।

उपर्युक्त मांगों में से अवकाश नकदीकरण की सुविधा को लागू कर दिया गया है तथा १९७३ से स्थापित मुकदमों को समाप्त करने के लिये भी कह दिया गया है । परन्तु उनसे इस विषय में अभियन्ता संघ से पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

वेतन इत्यादि की असंगतियों के विषय में विचार करने के लिये विद्युत् परिषद् द्वारा एक विशेष सेल का गठन कराया गया था, जिसकी संस्तुति १२ अप्रैल, १९७८ को प्राप्त हुई थी और उसे १५ अप्रैल, १९७८ को परिषद् के सम्मुख रक्खा गया था । उक्त सेल की संस्तुति जिससे लगभग दो करोड़ रुपये का अनावर्तक तथा लगभग ३० लाख रुपये का आवर्तक बोझ परिषद् पर पड़ने की सम्भावना है, वित्त विभाग के विचाराधीन है । उनकी समयबद्ध वेतनमान की मांग, जो इस समय विशेष सेल के विचाराधीन है, के विषय में उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

यद्यपि अभियन्ता संघ के पदाधिकारियों को बार-बार उपर्युक्त स्थिति से सूचित कराया गया है, परन्तु वे अपनी मांगों पर अडिग हैं । यह सन्तोष की बात है कि अब कल सायंकाल से वार्ता प्रारम्भ हुई है और हमें विश्वास है कि अभियन्तागण अपनी हठवादिता छोड़ देंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़े और वे शीघ्र ही पूरी निष्ठा के साथ अधिक से अधिक बिजली बनाने में तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने में जुट जायेंगे ।

फिर भी यदि दुर्भाग्यवस कहीं वार्त्ता विफल हुई तो शासन स्थिति के प्रति जागरूक है और आवश्यक सेवा नियम के अन्तर्गत हड़ताल को विफल बनाने तथा विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली आपूर्ति के लिये पूरी-पूरी कोशिश करेगी ।

आशा है आप सब के सहयोग और जनता के सहयोग से कोई भी गम्भीर स्थिति निकट भविष्य में खड़ी नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम नं० ६ के सम्बन्ध में गन्ना विकास मंत्री वक्तव्य देंगे । आइटम नं० ५ पर कोई प्रश्न नहीं होगें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

स्पष्टीकरण तो मांगा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

इस पर नहीं मांगा जा सकता । मंत्रियों का वक्तव्य जो इस आइटम में होता है उस पर कोई भी स्पष्टीकरण अथवा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । केवल नियम ५१ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था ।

श्री नेम सिंह चौहान--

आपने आश्वासन दिया था कि इस पर सूचना मांगी जा सकेगी । इसी आश्वासन पर मैंने वापस ले लिया था ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ की बात थी मैंने अपने दस्तखतों से लिखा है कि केवल वक्तव्य के लिए । तो केवल वक्तव्य देने के आदेश मैंने दिये हैं । नियम ३०१ की सूचनाओं पर स्पष्टीकरण करने की मैं अनुमति दूंगा तो दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकेगा ।

श्री नेमसिंह चौहान---

सारे प्रदेश में अंधकार होने की बात है । उस पर विद्युत् मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया । आपने आश्वासन दिया था कि इस पर सप्लीमेंटरी पूछ सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आपने वापस ले लिया इस पर कोई व्यवस्था की बात नहीं है । मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल का नोटिस है और उन्होंने कहा है कि एसेंसियल सर्विसेज में आपूर्ति होगी । उसकी तरफ वह जागरुक हैं । तो स्थिति सामने आ गई । आप इसमें चाहें तो दूसरे नियम हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

स्पष्टीकरण जरूरी है क्योंकि सही स्थिति सामने नहीं लाई गई है । कई बातें ऐसी हैं जिन पर स्पष्टीकरण चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

जब मंत्री का वक्तव्य उसके बारे में है तब फिर से आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि संशोधित वक्तव्य दें । लेकिन स्पष्टीकरण के लिए इसमें कोई औचित्य नहीं हो सकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा नाम वहां भी काट दिया और इसमें भी नहीं जोड़ा। आपने कहा था कि इसमें जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने कार्य स्थगन का दिया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कार्य-स्थगन को नियम ५१ में जोड़ा जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि विद्युत उत्पादन क्रमशः बढ़ कर २६ तारीख तक १७ सौ मेगावाट था। पनकी में कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद वह क्या था ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वह पिछले महीने की २६ तारीख है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंन कहा है कम हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

संशोधित क्या है वह आंकड़े बता दें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि ८ सौ हो गया था।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, गलतफहमी हो रही है। माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने यह लिखा है इसमें कृपया वह ध्यान दें। विद्युत् उत्पादन जो क्रमशः बढ़ कर २६ तारीख, यह मार्च २६ है मान्यवर, तक लगभग १७ सौ मेगावाट था और पनकी में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद १५ अप्रैल को लगभग १५ सौ मेगावाट था, क्रमशः घट कर २२ तारीख को जब कि प्रातःकाल के समय १४ सौ मेगावाट था सायंकाल तक घट कर लगभग ८ सौ मेगावाट हो गया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई बहस की अनुमति नहीं दूंगा। नियम के अनुसार केवल वक्तव्य के लिए मैंने कहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। श्रीमन्, आप देखें वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था उसमें यह कहा गया है कि २८७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन के बारे में बताया गया है और मंत्री जी बताते हैं २७ या कुछ बताते हैं, तो इसमें नई क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था वह स्थापित क्षमता के बारे में था, किन्तु यह वह बताया है कि वास्तविक क्षमता कितनी है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, इनके वक्तव्य पर यदि आप बहस चाहते हैं तो मुझे लिखकर दे दीजिए, इसके लिए बहुत से नियम हैं, मैं इस पर समय निर्धारित कर दूंगा ।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मैं केवल एक छोटी सी जानकारी मंत्री जी से चाहता हूं, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा...

श्री अध्यक्ष--

बैठिए आप । आप जब छोटी जानकारी चाहेंगे तो श्यामधर जी बड़ी जानकारी चाहेंगे ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

वक्तव्य में यह लिखा है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य । तो आपने वक्तव्य तो नियम ५१ के अन्तर्गत दिलवा दिया, किन्तु हम लोगों को प्रश्न कर सकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी व्यवस्था दें कि मैं प्रश्न कर सकता हूं, स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन में नियम ५१ का एक ही प्रश्न लिया जा सकता है और नियम ५१ में एक से अधिक प्रश्न होते हैं तो शेष, अब तक की परिपाटी रही है, उनमें से केवल एकाध वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिये जाते हैं । जो नियम ५१ में स्वीकार हो जाता है, उसमें स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरों के बारे में निर्देश दे देते हैं कि केवल वक्तव्य है । तो वह, जो खुद वक्तव्य दे देते हैं, उस परिधि में आ जाता है । नियम ५१ का प्रश्न दूसरा था, यह केवल वक्तव्य के लिए है ।

श्री राजनाथ सिंह--

आपने नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य देना स्वीकार किया है, तो उस नियम के विन्दु तीन की ओर आप देखें, उसमें है कि ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो, सूचनांकित विषय सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे ।" तो हम लोग इसमें कोई वाद-विवाद इस प्रश्न पर नहीं चाहते हैं, केवल आपके द्वारा मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं, मैंने नियम ५१ में इसको स्वीकार नहीं किया है । उस दिन की सूचनाओं में यह नियम ५१ में था, मैंने अपने अधिकारों

[श्री अध्यक्ष]

का प्रयोग करते हुए जो नियम ५१ की सूचना में दिया था, उसे मैंने नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया, लेकिन निर्देश दे दिया कि इस पर मंत्री जी वक्तव्य दे दें। यों तो मंत्री जी को किसी भी समय वक्तव्य देने का अधिकार है और मैं भी जिस विषय को आवश्यक समझूं उनको वक्तव्य देने के लिए कह सकता हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मैंने नियम ५१ में जो सूचना दी थी, उसमें जो प्रश्न में उठाया था, अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा था कि इंजीनियरों की हड़ताल सबोटेज करने के लिए है बिजली की स्थिति की। उनके वक्तव्य में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। सबोटेज करने की इनकी योजना है, जिससे आने वाली फसलें नष्ट हो जाएं।

श्री अध्यक्ष--

आपने अवश्य सूचना दी थी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले ही वक्तव्य देने का निर्देश दे चुका था। अब उसमें अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है, मैंने कहा इसके लिए, विवाद के लिए कोई समय अगर आवश्यक हुआ और समय में निकाल सका तो नेता सदन से परामर्श करके इस आवश्यक विषय पर मैं विचार कर सकता हूं, अगर आप पुनः नियम ५२ में लिख कर देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र--

एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। आपने मेरी व्यवस्था के सम्बन्ध में आज्ञा दी, मैंने कहा था कि मेरा नाम जोड़ दिया जाय आपने कहा कि ५६ की बात ५१ में नहीं जोड़ी जायगी। लेकिन धारा ७ में, आपने ठीक उसी तरह, ७ में मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव किया था, मेरा नाम वहीं जोड़ दिया है क्योंकि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मैंने उसके साथ किया था, आपने आज्ञा दी और जोड़ दिया। दूसरी बात आप स्वयं कह गए, कि ५१ की बात है नहीं। तो मेरा नाम इसमें क्यों नहीं जोड़ा जाता ? एक तो सातवें में कार्य-स्थगन की वजह से मेरा नाम आया, वह बात जो कहते हैं, ५१ और ५६ दोनों को मिला दिया। दूसरी बात यह है कि ५१ का यह नहीं है तब मेरा नाम इसमें होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ को ५१ में तब्दील नहीं किया जा सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपने किया है।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका नाम आ गया है, अगर आप कहें तो इसमें संशोधन कर सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपने बराबर किया है। अपने सचिव से पूछें, बराबर किये हैं। मेरा कोई अकेले का सवाल नहीं है। आपने बराबर कराये और किये हैं। मेरा कहना

है कि ५१ में जोड़ना चाहिए और बराबर आपने किए हैं। उसके अनुरूप आपने आज भी किया है।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निर्देश है और पहले की भी प्रणाली है, जो नियम ५६ में प्रश्न आता है अगर अस्वीकृत होता है तो नियम ५१ में तब्दील नहीं किया जाता है। जब नहीं किया तो आपका नाम किस परिस्थिति में आ गया है, ऐसा गलती से हो सकता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, उस पर कल मेरा ५१ में था, बाकी लोगों का ५६ में था। सारे नाम जुड़ गये हैं। लेकिन वह कट्रेडिक्टरी व्यवस्था हो रही है। कि ५६ का ५१ में नहीं जुड़ेगा और सात पर जुड़ा हुआ है। उस व्यवस्था को बदल दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ में जितनी सूचनाएं आती हैं, वही जुड़नी चाहिए। जो नियम ५६ में है वह नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कार्यालय की भूल हो नाम के जुड़ने में।

श्री श्यामधर मिश्र--

कई बार ऐसा हुआ है। आप दिखवा लें।

पन्तनगर विश्वविद्यालय का १० लाख क्विन्टल गन्ना किच्छा मिल को देने के शासन के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

मान्यवर, जनपद नैनीताल में किच्छा चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में पन्तनगर विश्वविद्यालय के गन्ने का क्षेत्र पड़ता है। अतः इस मिल को उक्त विश्वविद्यालय की गन्ना पूर्ति हेतु गत वर्ष की भांति सुरक्षित किया गया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा ७.१२ लाख कुन्टल गन्ना मिल को आफर किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों ने भी जैसे किच्छा समिति ने २४.८० लाख कुन्टल। हल्द्वानी समिति ने ७.२३ लाख कुन्टल तथा बहेडी समिति ने १.१८ लाख कुन्टल गन्ना उक्त मिल को आफर किया है जिसके विरुद्ध किच्छा समिति द्वारा १६.१८, हल्द्वानी समिति द्वारा ५.०२ और बहेड़ी समिति द्वारा ०.७६ लाख कुन्टल गन्ना पूर्ति दिनांक १५-४-७८ तक कर दी है जबकि पन्तनगर का ४.२१ लाख कुन्टल ही लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक १५-४-७८ तक पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा आफर्ड गन्ने की मात्रा की ५९ प्रतिशत की पूर्ति हुई है लेकिन उक्त मिल के सभी गन्ना समितियों द्वारा कुल आफर्ड गन्ने की मात्रा की ६५ प्रतिशत पूर्ति हुई है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि मिल केवल पन्ननगर विश्वविद्यालय का ही गन्ना क्रय कर रही है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एवं रुहेलखण्ड क्षेत्र में गन्ने की बाहुल्यता है। किच्छा चीनी मिल के क्षेत्र से इच्छुक कृषकों का एक लाख कुन्टल गन्ना न्योली चीनी मिल को भी व्यावर्तित किया जा चुका है। किच्छा चीनी मिल अपने क्षेत्र का समस्त आफर्ड गन्ना पेर कर जून, १९७८ के अन्त तक बन्द होने की सम्भावना है

अमरीकन गुप्तचर संगठन, सी० आई० ए० द्वारा नन्दा देवी क्षेत्र की जासूसी के लिए इस्तेमाल किये जाने एवं शक्तिशाली परमाणु उपकरण के छोड़ दिये जाने से गंगा के पानी का रेडियोधर्मी किरणों से विषाक्त होने से खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आइटम नं० ७ पर मेरी वैधानिक आपत्ति है। आप इसका अवलोकन करें। वक्तव्य हो जाये तब कर दूं या पहले। यह प्रश्न भारत सरकार के मुख्य कार्य क्षेत्र में आता है ...।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य तो पहले हो जान दीजिए।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने सदन को सूचना दी है कि नन्दादेवी क्षेत्र में प्लूटोनियम २३८ नामक एक ऐसा आणविक उपकरण रह गया है, जिससे कम से कम ५०० वर्षों तक रेडियोधर्मी किरणें निकलती रह सकती हैं। गंगा के पानी को विषाक्त होने का खतरा है और इस जल का प्रयोग करने वालों के लिए रेडियोधर्मी खतरे उत्पन्न हो गए हैं।

इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि यह मामला भारत सरकार के मुख्य कार्य क्षेत्र में आता है और यही विषय संसद में उठाया जा चुका है। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे इस सम्बन्ध में इस राज्य शासन को सविस्तार जानकारी देनें की कृपा करें। उनकी आख्या प्राप्त होने पर सदन को तद्नुसार स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो नियम ५१ के अन्तर्गत उठाया था और जिसे आपनें वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में मेरी वैधानिक आपत्ति है। मंत्री जी को आप पुनः वक्तव्य देने के लिए कहें क्योंकि जो विषय उठाया गया था वह यह था कि गंगा का जल विषाक्त होने का खतरा है और विदेशी संगठन ने वहां पर परमाणु उपकरण छोड़ दिया है, यह तो केन्द्र का विषय हो सकता है, लेकिन जो गंगा का पानी विषाक्त हो गया है और लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा के जल का परीक्षण तो राज्य सरकार का विषय था और परीक्षण कराना उसकी जिम्मेदारी थी, इस पर माननीय मंत्री ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी से कहें कि इस पर दुबारा वक्तव्य दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही देखें। आपने कहा था कि वक्तव्य देने में चाहे देरी हो लेकिन गंगा जल के परीक्षण के बाद ही वक्तव्य दिया जाये ताकि जनता आश्वस्त हो सके। आपके आदेश का परिपालन नहीं हुआ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, १४ को दिया गया और १५ दिन हो गये और वक्तव्य में कहा जा रहा है कि प्रार्थना की जा रही है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य शासन को

---

*वक्ता ने अपना भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सविस्तार जानकारी दें । पता नहीं कितने दिनों में की जायेगी । जवाब आना चाहिए था कि "की जा चुकी है" लेकिन जबाब आया है कि "की जा रही है ।" हम लोगों का अनुरोध था और आपका निर्देश था । नियम ५१ की यह दुर्दशा कर दी गई है ।

(श्री गुलाब सेहरा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

हर प्रश्न पर दलों का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है । कभी–कभी तो सेहरा के रूप में आप बोल लें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, नियम ५१ में जो हमने सूचना दी थी उसमें कहा था कि इसमें गंगा जी प्रभावित होती है, जिसका अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश से होकर जाता है । आपने परीक्षण के आदेश भी दे दिए थे । उसके बाद आज जो वक्तव्य सदन में आया है उसमें परीक्षण किए बिना मामले को केन्द्र पर डालना कहां तक उचित है ? इसको आज लगभग १५ दिन हो गये हैं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से दिया गया है । इसमें जल के विदूषण और जो अमेरिका द्वारा अस्त्र रखा गया था । उनके बारे में था । (व्यवधान)

मान्यवर, इसमें जो प्रश्न मैंने अपने कार्य स्थगत प्रस्ताव में उठाये थे वे ये थे कि यह अस्त्र हमारे प्रदेश की सीमा में रखा गया था, यह हमारे प्रदेश के शासन की आज्ञा से रखा गया या नहीं और यदि हां तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है । उसमें मैंने यह भी कहा था कि हमारे प्रदेश की सीमाओं से मिलने वाले देशों में आणविक परीक्षणों की प्रतिक्रिया जानने के लिए लगाया था । केवल जल के प्रदूषण की ही बात नहीं बल्कि एक दूसरे देश की सरकार द्वार हमारे प्रदेश की भूमि में गुप्तचरी की बात भी थी । केन्द्र सरकार की सहमति से यह लगाया गया हो लेकिन इसमें हमारे देश की भी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश में क्यों गुप्तचरी की गयी ? मान्यवर, मेरा तो यह कहना है कि अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दें तो वे इनके साथ न्याय कर सकते हैं ?

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है । यह मामला तो गंगा से सम्बन्धित है । उत्तर प्रदेश के शासन को कोई बात की जानकारी नहीं रहती है । पिछले साल समुद्र से आकाश तक अभियान चला । हर पुल पर लिखा होता है कि फोटो लेना वर्जित है, लेकिन उस दल ने लिए । मैं जानना चाहता हूं कि फोटो लेने कि क्या आवश्यकता थी, जो उन्होंने फोटो लिए ?

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

फोटो लेने का यह विषय नहीं है। जो विषय है उसी विषय से आप सम्बन्धित रहिए।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान--

केन्द्र की सरकार बिना प्रान्त की सरकार को बताये कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे सारा इलाका खतरे में पड़ जाय कहां तक उचित है। क्या सरकार पूरे गंगा के पानी की कृषि गंगा की जो नन्दा के पर्वत से आती है उसके पानी के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति गठित करेगी जिसके द्वारा तत्काल कार्यवाही हो सके। दूसरे पहाड़ों पर जितने भी पर्वतारोही दल जाते हैं, इस सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, भले ही वह केन्द्र की आज्ञा से जांय, कि उस दल में कितने लोग जासूस हैं और यन्त्रों से सज्जद होकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर)

आप कृपया बैठ जांय ? जो प्रश्न किया गया है मैंने उस रोज यह आदेश दिए थे कि सरकार विशेषज्ञों और यदि आवश्यकता पड़े तो केन्द्र से भी जानकारी लेनी पड़े तो ले ले ? अब रहा यह कि या जो वक्तव्य माननीय मालवीय जी ने दिया....

श्री अदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इसमें दो सवाल आते हैं। आपने दोनों के बारे में निर्देश दिए हैं, यह गंगा के जल के प्रदुषण के बारे में है। यदि दोनों के बारे मे निर्देश दिए हैं तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए उधर मालवीय जी का कहना है कि भारत सरकार से सम्बन्धित है। तो उनसे सूचना मंगा कर दी जा सकती है, लेकिन आपका निर्देश क्या है यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न उस रोज था वह गंगा के जल के विषाक्त होने के सम्बन्ध में है उसके लिए मैंने आदेश दिया था, अब श्री राजेन्द्र कुमार की आपत्ति यह है कि यह पुनः निर्देश दूं। माननीय मंत्री ने कहा कि "इस प्रश्न में उल्लेखनीय है कि यह मामला भारत सरकार के मुख्य कार्य क्षेत्र में आता है।" तो भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में "मुख्य रूप से आता है और प्रदेश के कार्य क्षेत्र में" गौण रूप से आता है। तो भी आता है।

अब तीसरी बात उन्होंने कही कि हम केन्द्रीय सरकार से सूचना ले रहे हैं। श्याम धर जी ने जो आपत्ति की वह सही है। जब यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है तो ज्यादा उपयुक्त होता मंत्री जी के लिए कि वह यह कहते कि हमने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के लिए अनुरोध किया है और "केन्द्रीय सरकार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।" तो आप यह करें कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें आपको इतना स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में आपकी तरफ से कोई प्रार्थना की गयी है कि नहीं की गयी है, केन्द्रीय सरकार से। और इस सम्बन्ध में सभी लोगों के संज्ञान में है कि प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दिया है। लेकिन इस सम्बन्ध में जो माननीय राजेन्द्र कुमार चाहते

हैं, तो जितनी अनुसंधानशालाएं हैं वैज्ञानिकों की वह सब केन्द्र की हैं । उत्तर प्रदेश की तो कोई ऐसी विज्ञानशाला नहीं है जो इन सब चीजों के परीक्षण करने में सक्षम हो और न जैसा पुष्पवान जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश कोई स्वतन्त्र राज्य है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक जानकारी अगर मंत्री जी दे दें कि १९६६ में प्लटोनियम २३८ जो रखा गया था तो उसको रखे हुए १० साल से ज्यादा हो गये हैं, क्या वैज्ञानिकों की ऐसी रपट या जानकारी हुई है कि गंग जल के विषाक्त होने के सम्बन्ध मे क्या असर पड़ेगा, उसको भी देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में जो उन्होंने कहा है कि मुख्यतः यह सवाल भारत सरकार की जानकारी में ही हो सकता है और जिस आधार पर आप कहते हैं, प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के राष्ट्रपति उन्होंने तो स्वयं कहा है कि भारत की रक्षा के लिए उस समय चीन से खतरा था और उन्होंने यह भी कहा है कि इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है । अब उनका जो बयान है वह इतना काफी है । माननीय मंत्री जी, यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तो इस सम्बन्ध में आप तुरन्त कदम उठायें और इतना सिर्फ बतला दें कि क्या भारत सरकार को कोई पत्र इस सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद और मेरे निर्देश के बाद लिखा गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, अभी जो पत्र भारत सरकार को जाना है वह लिखा नहीं गया है । मेरा वक्तव्य भी है इस सम्बन्ध में कि उनको लिखा जा रहा है । तो मान्यवर, इस विषय के सम्बन्ध में पत्र भारत सरकार को जा रहा है और मुमकिन है कि कल तक चला जाय ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह तो अनुचित है । जिस दिन प्रश्न आया यह तो वही बात हुई कि "आग लगी अब और वहां पर फायर ब्रिगेड भेजा जाय एक महीने के बाद ।" तो इसमें जब यह प्रश्न आया तो आपको तो जानकारी भारत सरकार से प्राप्त करनी थी और केन्द्रीय प्रधान मंत्री ने संसद में जानकारी भी दे दी । यह तो सिर्फ प्रश्नों पर प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न है । मुझे खेद है कि विभाग के लोग, जैसे रोटीन होता है उस तरह कार्य करते हैं । कोई सूचना जब स्वीकार की जाती है तो आज आप उत्तर दे रहे हैं तो इससे पहले कम से कम केन्द्रीय सरकार को लिखा जाना चाहिए था । इसके लिए तुरन्त आपको केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

गंगा के पानी की जांच होगी या नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । यह प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

जितने भी अखबार हैं सब में छपा है ।

श्री अध्यक्ष---

यह मैं कह चुका हूं ।

अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर जिला कानपुर में रामायण तथा मनुस्मृति को जलाये जाने का एलान तथा सद्भावना समिति द्वारा इसका विरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष की सम्भावना के सम्बन्ध में वक्तव्य

(राजनैतिक पेंशन उपमंत्री) श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल जनपद कानपुर की ओर से श्री शिवकुमार भारतीय आदि चार व्यक्तियों के नाम से एक पर्चा शीर्षक "चेतना दिवस पर रामायण व मनुस्मृति की होली जलेगी" के वितरण उनकी मांगे एवं २९ अप्रैल, १९७८ को "शम्बूक बध उर्फ राम राज्य" नाटक के मंचन तथा ३० अप्रैल, १९७८ को ग्राम दयानतपुर में रामायण एवं मनुस्मृति की होली जलाने की घोषणा तथा सवर्णों में उसकी प्रतिक्रिया की जानकारी शासन को तथा जिला अधिकारियों को है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं घटनाक्रम पर दृष्टि रखी जा रही है ।

डाक्टर अश्विनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मुझे माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि आपने कई मर्तबा यह अनुरोध किया था कि नियम ३०१ की सूचनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिये कोई माध्यम निकालिये और यह भी विरोध पक्ष ने सुझाव दिया कि कम से कम मंत्री वक्तव्य ही दे दें । अब इस पर अगर प्रश्न होने लग जायेंगे तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस तरह के वक्तव्य का निर्देश दूं या नहीं ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

यह वक्तव्य गलत है....

श्री अध्यक्ष---

गलत है तो उसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं, नियम ५१ में लिख कर दे सकते हैं, और तरीके हैं । मगर इस वक्त मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठिये । आप किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं ?

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

नियम ३०० के अन्तर्गत, जो सदन के समक्ष कार्य विन्यास हो उस पर मुझे प्रश्न उठाने का अधिकार है। (व्यवधान) इस बयान में ४ व्यक्तियों के नाम हैं..

श्री अध्यक्ष—

मैं इस वक्तव्य के बारे में कोई प्रश्न करने की इजाजत नहीं दे रही हूं। आप कृपया बैठिये। नियम ३०० में कार्य विन्यास का मतलब है सदन के समक्ष जो कार्य चल रहा हो। आप बैठिये।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

न सरकार को जानकारी है, न मंत्री जी को है, जब पंत नगर जैसी घटना घटेगी तो मंत्री जी कह देंगे कि हम सजग हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं। मंत्री जी गलत वक्तव्य देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं मैं विशेषाधिकार के भंग की सूचना देता हूं। इस गलत बयानी के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं, पर आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

(डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न श्री राकेश ने उठाया, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उनको विशेषाधिकार के सूचना देने का अधिकार है। वह लिख कर देंगे, उस पर विचार करेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, आपके बार-बार निवेदन करने के बाद, आ की व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने सदन का त्याग किया, यह मान्यवर, आपका अपमान है और सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने अवज्ञा नहीं की, यह सिर्फ कहा कि जो वक्तव्य दिया है, उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं और उसके लिए सदन का त्याग करता हूं। तो यह वैसे दल का अन्तरंग मामला है। आप वैसे देखें, सत्ता पक्ष के लोगों को सदन का त्याग करना अनुचित है, लेकिन यह आ के दल का प्रश्न है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया, इसमें लिखा है कि नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष —

मैंने कहा वह गलत लिखा है। उसको संशोधित कर लीजिए।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८‡

श्री गणेश दत्त बाजपेयी (श्रम मंत्री)--

माननीय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

माननीय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, झगड़ा शब्द बदल दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट का हिन्दी रूपान्तर है—'औद्योगिक झगड़ा' शब्द ।

दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय, यह जो व्यवस्था का प्रश्न मैंने उस दिन उपस्थित किया था, वह इसलिए था कि इस सदन के प्रति यह सरकार का उत्तरदायित्व है और यह हमारे संविधान के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है माननीय, संविधान में जब यह सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी सरकार में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर न दें, यह मुनासिब नहीं जान पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत आप देखें कि प्रश्नों के उत्तर देने का ढंग, नियम २८ में लिखा हुआ है कि--"प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे ।" उसमें विषय से सुसंगत उत्तर देना सरकार के लिए अनिवार्य था और ऐसा सरकार ने नहीं किया । आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार के प्रश्नों का निषेध है अपनी नियमावली में, उसका भी उल्लेख सीधा-सादा आपकी नियमावली में है । और इस नियमावली में जिन प्रश्नों का निषेध है उसमें यह भी है, नियम २८(४) में है कि वह राय प्रकट करने या विधि सम्बन्धी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन के समाधान के लिये नहीं पूंछा जायगा । तो श्रीमन्, जिस प्रकार से

दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

‡*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों के लिये बाध्यता है कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जायंगे वहीं पर सरकार के लिये बाध्यता है कि इस प्रकार उत्तर सरकार नहीं देगी ।

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें सरकार ने अपनी राय व्यक्त की है । सरकार ने उत्तर नहीं दिया बल्कि राय प्रकट की है । जो श्रम तथा धन और समय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये लगेगा वह वांछित फल को देखते हुये उचित नहीं है । श्रीमन्, इस प्रकार का उत्तर दिया गया है । तो यह सरकार की राय है यह कोई उत्तर नहीं है । सरकार को स्पष्ट तौर पर कहना चाहिये था, अगर उत्तर नहीं देना चाहते थे तो कहते कि विषय गोपनीय है और गोपनीय विषय का उत्तर नहीं दिया जायगा । श्रीमन्, अब मैं अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था आपके सामने रखना चाहता हूं । पृष्ठ १९५ पर नम्बर ७ में है , हेडिंग है कि मंत्री किसी सदस्य को कोई प्रश्न करने से रोक नहीं सकते । इसमें लिखा है कि १९ अप्रैल, १९६१ को प्रश्नोत्तर के समय श्री गौरी शंकर राय के एक अनुपूरक प्रश्न पूछने पर मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्त ने कहा कि "मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता । "

श्री अध्यक्ष—

आपने कौन सा पृष्ठ बताया ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

पृष्ठ १९५ पर नम्बर ७ । अब इसमें आप देखें, अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय हुआ उसमें लिखा है कि "मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है क्योंकि बात यह है कि जब मैंने किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया यानी इजाजत दे दी तो यह आप कह सकते हैं कि सरकार को जानकारी नहीं है इसलिए उत्तर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी किसी को प्रश्न पूछने से रोक दें, यह उचित नहीं है ।" तो मान्यवर, यह अध्यक्ष पीठ से निर्णय दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी जिसका आप हवाला दे रहे हैं वह तो यहां बैठता नहीं है । क्योंकि उसमें एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन मंत्री ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता । तो उस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह आपका अधिकार नहीं है । यह तो मैं कई दफे कह चुका हूं । एक दफे एक मंत्री ने कहा कि इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं हो सकते हैं तो मैंने कहा कि यह तो मेरा अधिकार है । अगर मैं किसी प्रश्न की अनुमति देता हूं तो मंत्री कह सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है या इसका उत्तर देना संभव नहीं है । लेकिन यह नहीं कह सकते कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप कोई निर्णय स्वयं दें तो एतराज नहीं है, मैं यह इस लिये कह रहा हूं कि आपको अधिकार है आप किसी सदस्य का कोई प्रश्न स्वीकार करें या न करें । लेकिन आपका प्रश्न स्वीकार करने के बाद सरकार बाध्य है कि वह आपको संतुष्ट करने के बाद उस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देना चाहती ।

[श्री कल्पनाथ सिंह--]

यही तो मेरा प्रश्न है । सरकार इसके लिये नहीं कह सकती है कि उत्तर नहीं देंगे । बल्कि उत्तर नहीं देना है तो वह आपको संतुष्ट करे कि यह गोपनीय विषय है और इसलिये मैं उत्तर नहीं देना चाहता मंत्री जी यह कहेंगे । आपने जो कहा वह भी ठीक है । इसलिये रूलिंग को पढ़ें । अध्यक्ष महोदय, राय जानने के बारे में भी रूलिंग है । राय जानने पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह राय जानने के लिये ही अपना उत्तर दिया है । आप देखें उस दिन रूलिंग बतायी गयी थी उसमें पृष्ठ २२० में निर्णय संख्या १०२ है और इसी पेज पर दूसरी रूलिंग मौजूद है निर्णय संख्या १०१ में और यह है कि " २५ मार्च १९६३, को श्री दीप नारायण सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में वन मंत्री श्री अलगू राय शास्त्री के यह कहने पर कि अब विस्तार से उस नाम को पढ़ने से और हर बात को बताने से कोई उचित लाभ नहीं प्रतीत होता, श्री दीप नारायण सिंह ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्री जी को इस प्रकार का उत्तर देने का अधिकार है ? इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा--

"मंत्री जी, जब तक आप किसी बात को गोपनीय न कहें तब तक प्रश्न जो पूछा जाय उसका जबाव देना ही पड़ेगा ।"

मेरा निवेदन है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में नहीं कहा है कि यह प्रश्न गोपनीय है बल्कि उन्होंने यह कहा है कि समय और धन लगेगा । इसलिये मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि कोई यह सवाल कर सकता है कि जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया और सरकार उत्तर देने से इन्कार कर दे तब क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह आपके स्वविवेक का मामला है । मान्यवर, संसदीय प्रणाली और व्यवहार पुस्तक में सीधा--सीधा यह पूरा मामला आपके विवेक पर छोड़ दिया गया है । इसमें राय प्राप्त करने वाले मामले में भी लिखा गया है । पृष्ठ ४३३ पर आप देखें--प्रत्येक प्रश्न का फैसला तथ्यों और गुणावगुणों के आधार पर करना पड़ेगा । वह देखना पड़ेगा कि प्रश्त का स्वरूप क्या है, प्रश्न में निहित रूप से जो आक्षेप किये गये हैं वे किस प्रकार के हैं और उसके बाद यह फैसला करना पड़ेगा कि इस प्रश्न की अनुमति दी जाय या कि नहीं । यह अधिकार आपका है ।

मान्यवर, इसी पुस्तक के पृष्ठ ४३३ के अन्तिम पैरा में लिखा है--"वास्तव में अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है, जो उसे नियमों ने दिया है और अध्यक्ष के पद में अन्तर्निहित है । वह अधिकार यह है कि वह चाहे तो कोई कारण बताए बिना किसी प्रश्न को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है और कोई भी उसकी शक्ति के इस प्रयोग पर आपत्ति नहीं कर सकता ।

किसी प्रश्न के सम्बन्ध में अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन तथ्य उसके सामने रखे जा सकते हैं या वह स्वयं तथ्य मंगा सकता है लेकिन यह बात पूरी तरह से उसके विवेकाधिकार में है कि वह किसी मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जैसा निर्णय उचित समझें करें । "

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी यह निवेदन किया था कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है । आज भी मैंने वही बात कही । अध्यक्ष महोदय, आप मान लें कि मैं अगर एक सवाल पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक खसरा नम्बर के किस-किस खेत में एक साल में कौन-कौन सी फसल बोई गई.....

दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७३६ ७ के उत्तर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

देखिये तीन बजे तक इस पर विवाद होना है । तीन बजे पर्वतीय विकास का बजट भी है । तो तीन बजे इसे समाप्त होना है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, तो उस पर उत्तर देना किसी भी सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा और न उसके लिए बाध्य किया जा सकता है । लेकिन श्रीमन् जिस प्रकार का यह प्रश्न है उसको देखते हुये मेरा यह निवेदन है कि सरकार का यह कथन नितान्त अनावश्यक है, अनुचित है और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह परम्परा अध्यक्ष महोदय, चलती रही तो हर प्रश्न के उत्तर में सरकार इसका बहाना लेकर भाग जायगी और कह देगी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मुनासिब नहीं है । मैं फिर अपनी बात वहां तक लाकर समाप्त करूंगा कि अगर आपके आदेश का उल्लंघन यह सरकार करती है तो अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता सदस्य की चाहे यह सरकार हो या कोई भी सरकार हो जो भी सरकार यहां बैठेगी चेरी रहेगी, मालिक नहीं हो सकती । सरकार इस सदन की चेरी रहेगी और उसका उत्तरदायित्व है कि प्रश्न का उत्तर दे । तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि अगर सरकार उत्तर नहीं देती है तो माननीय सदस्य को जिसका यह प्रश्न हो और आपके आदेश का यह उल्लंघन करे तो उसके बाद दूसरा प्रस्ताव लाने का अधिकार इस सदन में रहेगा । लेकिन आपका उसमें विवेक काम करता रहेगा । आप सारी प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे कोई व्यवस्था इसके पूर्व रही हो लेकिन आज आप एक नई व्यवस्था डाल दें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि इतना पेचीदा यह मामला नहीं है कि इतना समय लगे मैंने बहुत समझने की चेष्टा इसकी की है और जितना ही समझता जाता हूं उतना ही सरल होता गया । मैंने यहां के पीठासीन अध्यक्षों के व्यक्तियों के निर्णय देखे । मैंने हाउस आफ पीपुल-क्योंकि यही नाम उसके लिए है लोक सभा नहीं कहा जाता, के निर्णय देखने की चेष्टा की है । मैंने नियमों को भी पढ़ने की चेष्टा की है । जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दिया उसको भी मैंने पढ़ा जो जवाब दिया उसको भी पढ़कर देखने की कोशिश की । मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि आप यह देखें कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के ३८ नियम में तीसरा यह है। यदि मन्त्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा पूछी सूचना लोकहित में नहीं दी जा सकती तो ऐसा कहेंगे । सबसे अच्छी बात तो यह होती । गोपनीयता की बात नहीं है । उधर मैं नहीं जा रहा हूं । उसके लिए अलग है । मैं इस पर कह रहा हूं । अगर मन्त्री जी यह समझते हैं कि श्रम और धन ज्यादा लगेगा और उपयुक्त नहीं होगा तो सीधे एक लाइन उनको जोड़ना चाहिए था कि लोक हित में नहीं होगा । यह ३८ का प्रयोग करते तो कोई विवाद की बात नहीं होती । माननीय कल्पनाथ जी ने कुछ बातें उठायी और उन्होंने इस बड़ी पुस्तिका का उल्लेख किया जो आपके सामने है । २२०, जिसकी आप कल चर्चा कर चुके हैं । हाउस आफ पिपुल की २ अप्रैल, १९३५ में मैंने एक रूलिंग देखी । उसमें बहुत साफ है । मैंने उसमें उल्टा देखने की बहुत कोशिश की तो भी साफ यह मिलता है कि यदि मन्त्री जी यह कहें कि श्रम और धन लगेगा और उपयुक्त

[श्री श्यामधर मिश्र]

नहीं होगा तब हमारी बाध्यता होगी, हमें मानना पड़ेगा । चाहे हम उसको स्वीकार करें या न करें लेकिन उसको मानना होगा । हमारी दिक्कत और परेशानी यह है कि हमें डर है कि ऐसी बातों का कहीं बराबर दुरुपयोग न हो । मैंने इसके विपरीत भी निर्णय देखने की चेष्टा की । यह देखने की कोशिश की कि इसके विपरीत निर्णय मिलें लेकिन हमें नहीं मिले ।

पूर्व वक्ता महोदय ने एक बात कही कि विवेकाधिकार अध्यक्ष जी को है । मैं ऐसा समझता हूं कि यह अधिकार आपको नहीं है । बाअदब मैं यह कहना चाहता हूं । आपका विवेकाधिकार आपको वहीं प्राप्त है जहां कि स्थिति साफ न हो । पूर्ववत फैसले हो गये हैं और बराबर एक तरह के फैसले हैं । मैं समझता हूं कि आप भी परम्पराओं और नियमों से बंधे हैं । हमारी परम्पराएं, लोक सभा परम्पराएं हमें आपको बराबर बांधे है । जो जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया है उसमें शाब्दिक कमियां रह गयीं । उन्होंने इतना लंबा कहा । उसमें इतना और जोड़ देते कि यह लोकहित में नहीं है । लेकिन मैं अर्थ यह लगाता हूं कि उन्होंने जो लिखा कि श्रम, धन मिलेगा और उपयुक्त नहीं होगा तो उसके माने यह है कि लोक हित में नहीं होगा । इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह उनके अधिकार की सीमा के अन्दर बात थी ।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ जी ने प्रस्तुत किया है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है । जब तक इस व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो हमारे मष्तिक में एक प्रश्न उभर कर आता है कि माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं हम सभी सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं और हमारे जो अधिकार हैं प्रश्न पूछने का उसके भी आप संरक्षक हैं । यह माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वह सरकार से जानकारी प्राप्त करें । अब एक प्रश्न उठता है कि जो प्रश्न पूछा गया उसको श्रीमान् जी ने स्वीकार कर लिया । श्रीमन् जी अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि माननीय मन्त्री जी को उसका उत्तर देना चाहिए । माननीय मन्त्री जी ने इसका उत्तर केवल यह कहकर दिया कि सूचना प्राप्त करने में समय और धन अधिक खर्च होगा और उसका लाभ उतना नहीं होगा । तो यह कस्वेचन आफ ला नहीं है, टक्वेश्चन आफ फैक्टस है । जहां तक संसदीय परम्पराओं का प्रश्न है मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, को तीन अधिकार हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय. पुरानी रूलिंग को ओवर रूल कर सकते हैं, पुरानी रूलिंग को फालो आप कर सकते हैं और पुरानी रूलिंग को डिसेन्ट भी कर सकते हैं । यह कहना कि पुरानी रूलिंग्स ऐसी हैं कि उनका फालो करना अनिवार्य है, इससे माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकारों पर अंकुश लगता है ।

हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि पुराने जजमेन्ट में परिवर्तन किया जाता है और उसको ओवर रूल किया जाता है तथा अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर किया जाता है, इसलिये यह जो प्रश्न उपस्थित किया गया कि आपने ऐसा स्वीकार किया था कि सम्मानित सदस्यों को यह जानकारी दें । अब यह प्रश्न उठता है कि सदस्यों को यह जानकारी देने में मन्त्री जी किस रूप में विरत हो सकते हैं । तो मिश्रा जी ने कहा कि तात्पर्य यह था तो जो उत्तर दिया गया उसमें संशोधन कोई दूसरा सदस्य नहीं कर सकता है । उसमें यह नहीं कहा गया है कि यह उत्तर देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनहित में नहीं था । यह भी नहीं कहा गया था कि कोई गोपनीय प्रश्न था । तो यह गोपनीय नहीं है और कोई सूचना ऐसी नहीं है कि जनहित में कहना उपयुक्त न हो, तो सूचना देना चाहिये । इसलिये अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आफ फैक्टस इन्वोल्व है, क्वेश्चन आफ ला नहीं है । समय और धन अधिक खर्च होगा यह अधिकार यदि मन्त्री जी को दिया जाता है, शासन को दिया जाता है, तो या वही होगा यह हमारे अधिकारों का हनन होगा और निरंकुश अधिकार शासन को मिल जावेंगे । इस कारण यह अधिकार आपका है । इस संदर्भ में मैं एक पुरानी रूलिंग का हवाला देना चाहता हूं । संसद में एक प्रश्न पर १९३७ में व्यवस्था दी गई है उसको बतलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--

किस पेज पर है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

वह ३८७ पर है । उसमें आप देखें, लिखा है :

देअर में बी सम आविअस केसेज इन व्हिच...

श्री अध्यक्ष--

अंग्रेजी में नहीं बोलिये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

इसमें साफ दिया हुआ है कि ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जिसमें माननीय अध्यक्ष इन्टरफिअर कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं और शासन को वह सूचना देने के लिये मजबूर कर सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न था और यह जानकारी सदस्य को होना चाहिये यह कहना कि समय सूचना एकत्र करने में अधिक लगेगा तो अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा होता तो उसको आप स्वीकार नहीं करते तो यह आपका अधिकार है। यह माननीय मन्त्री जी के जूरिस्डिक्शन की बात नहीं है कि वह कह दें कि सूचना में अधिक खर्च होगा और समय लगेगा । यह उनके विवेक की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई है । मैं यह देखता हूं कि जितना प्वायन्ट आपको कहना था, आप कह चुके । मैंने आपका विचार सुन लिया । निर्णय का उल्लेख आपने कर दिया । आप कृपया बैठिये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं कनफ्यूज कर रहा हूं ।

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन था और आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि माननीय मन्त्रियों को ऐसे अधिकार न दिये जायं कि जिससे यह केवल उनके जूरिस्डिक्शन

[श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी]

की बात हो जाय । यह अधिकार उनको न हो जाय कि किसी भी प्रश्न पर वे न कर दें और कह दें कि उसमें व्यय अधिक होगा और समय अधिक लगेगा । मान्यवर, केवल ५७ जिलों से सूचना की बात थी, उसमें यह स्वयं आपके विवेक, अधिकार और डिस्क्रीशन की बात है । इसको तय करने का अधिकार माननीय मंत्रीं को नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि मान्यवर, इसमें यह नयी व्यवस्था दे कि यह मन्त्रियों का अधिकार नहीं, स्वयं अध्यक्ष का अधिकार है । मन्त्रियों के लिये व्यवस्था दें, मान्यवर, कि वे इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना सदन में देने के लिये बाध्य किये जायं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री लोग किसी प्रश्न के उत्तर में कह सकते हैं कि इसमें श्रम और धन ज्यादा लगेगा ? यह प्रश्न, मान्यवर, आपके विचार करने का है । जब आपने, मान्यवर, प्रश्न स्वीकार कर लिया तो उसका उत्तर सरकार को देना पड़ेगा । सरकार की तरफ से इसमें दो ही चीजें कही जा सकती हैं, मान्यवर, एक तो यह कि यह गोपनीय कहा जा सकता है और इसलिये उत्तर नहीं दिया जा सकता । दूसरा एक और पहलू है, वह है कि यह जनहित में बताना ठीक नहीं है, जैसाकि हमेशा इनकी ओर से कह दिया जाता है । तो, इन दो के अलावा तीसरी बात सरकार की तरफ से नहीं कही जा सकती, जब आपने किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया । अगर इस तरह का अधिकार, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, सरकार को प्राप्त हो जायेगा, तो बहुत से प्रश्नों में सरकार ऐसा कर सकती है और सही तथ्यों को सदन में नहीं लाया जा सकता । इसलिये ज्यादा न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात आपके अधिकार क्षेत्र में है, मान्यवर । जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया तो सरकार को उत्तर देना पड़ेगा । सरकार को अपने को बचाने के लिये और केवल बचाने के लिये कहना चाहता हूं केवल दो उपाय हैं । उसमें है कि---(१) यह गोपनीय है, और (२) कि यह जनहित में बताना सम्भव नहीं है । इसके अलावा तीसरा सहारा सरकार के पास नहीं है । इसलिये श्रीमन्, आप इसी के ऊपर व्यवस्था दें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय अत्यन्त महत्व का है । यह विषय केवल इधर के बैठने वालों का नहीं है । यह प्रश्न इस आदरणीय सदन के अधिकार का है जो हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सम्बन्ध निर्धारित करने वाला है । अब मैं अपने मुख्य प्वाइन्ट पर आता हूं ।

मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि प्रश्न को निर्धारित करने का अधिकार आपको है । आप जो प्रश्न तय कर देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये एक मन्त्री बाध्य है । यह निर्विवाद है । इसके सम्बन्ध में माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो रूलिंग दी थी, उसको दुबारा दुहराना नहीं चाहता । यह भी बात निर्विवाद है कि ये मन्त्रिगण केवल जनहित और गोपनीयता---इन दो ही कारणों पर उत्तर देने के लिये मना कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में भी रूलिंग दी जा चुकी है । पुनः उसको उद्धत नहीं करना चाहता ।

अब प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कारण दे दिया है कि इसमें इतना व्यय निहित है कि जितना लाभ होगा वह कम होगा । आपने व्यवस्था पढ़कर सुना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी । मैं पुनः उसी व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था से विवाद उत्पन्न हो गया । मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का सही संकलन देखने की कृपा करें । यह पृष्ठ २२१ पर है जिसमें यह बात श्री नारायण दत्त तिवारी ने उठायी थी कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे नियमों के अनुसार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री लोग इस प्रकार का जवाब दें कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना समय और श्रम या खर्चे के अनुकूल नहीं है । इस पर उस समय जो माननीय अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि—मैं १०/१२ साल से देख रहा हूं कि यहां उत्तर देने की यही प्रथा रही है, चाहे यह कहीं और हो या न हो । यह कोई अनुचित भी नहीं है । इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होता । और इस कारण उत्तर में कहा गया है "क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है । इसलिये यह बताते हैं कि इतने खर्च और मेहनत करना सार्वजनिक हित में क्यों नहीं है ।" यह अनुचित नहीं है अगर यह बतला दिया और एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वह बात जनहित और सार्वजनिक हित में क्यों नहीं है । संसदीय व्यवहार प्रणाली और व्यवहार नामक पुस्तक में जिसे एम० एन० कौल तथा शकधर ने लिखी है उसके पृष्ठ ४३३ पर यह लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न का फैसला तथ्यों और गुणावगुणों के आधार पर करना पड़ेगा । यह देखना पड़ेगा कि प्रश्न का स्वरूप क्या है, प्रश्न में निहित रूप से जो आक्षेप किये गये हैं वे किस प्रकार के हैं और उसके बाद यह फैसला करना पड़ेगा कि इस प्रश्न की अनुमति दी जाय या कि नहीं ।" प्रश्न के गुणावगुण को देखें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी के जिस प्रश्न पर व्यवस्था दी गयी थी उसके मूल प्रश्न को देखने की कृपा करें । श्री बंशीधर ने प्रश्न किया "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त गांवों में जो वन विभाग की भूमि है उसमें कितने-कितने दरख्त किस-किस प्रकार के हैं ।" मैं स्वयं समझता हूं कि बड़ा व्यापक प्रश्न है । एक-एक पेड़ कहां तक गिना जायगा । इसलिये यह उत्तर समझ में आ सकता है कि जो व्यय इसमें होगा वह उससे प्राप्त लाभ से कम होगा । अब उत्तर प्रदेश की कार्यवाही दिनांक १ सितम्बर, १९५० पर पृष्ठ १०५ को आप देखें । खुशवक्त राय जी ने एक प्रश्न किया था "क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला लखनऊ में आर्थिक वर्ष १९४६-४७, १९४७-४८, १९४८-४९ व १९४९-५० में कितने रिवाल्वर तथा पिस्तौल के लाइसेन्स दिये गये ? जिनको ये लाइसेन्स दिये गये उनके नाम और पते क्या हैं ? उपरोक्त वर्षों में पृथक्-पृथक् कितने और किस-किस प्रकार के प्रार्थना-पत्र रिवाल्वर और पिस्तौल के आये ? इन प्रार्थना-पत्रों में से कितनों पर पुलिस तथा जिलाधीश या किसी अन्य अधिकारी की सिफारिश थी ? उपरोक्त प्रकार के सिफारिश किये हुए कितने प्रार्थना-पत्र कमिश्नर महोदय ने स्वीकार किये । अस्वीकार करने के क्या कारण थे ? इस पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो पुलिस मंत्री थे ने उत्तर दिया 'यह प्रश्न बहुत व्यौरे का है, इसमें जो श्रम और समय लगेगा उसके मुकाबले में उत्तर की उपयोगिता बहुत कम प्रतीत होती है ।" तो यह उत्तर भी समझ में आता है जैसा श्री कौल और शकधर ने स्वीकार किया है प्रश्न के गुणावगुण पर फैसला करना होगा । अब यहां प्रश्न यह किया गया था इस आदरणीय सदन के कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पहले हिस्ट्रीशीटर रहे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर अगर यह दिया गया

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

होता कि उत्तर देना गोपनीयता की दृष्टि से तथा जनहित में नहीं है तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इस बात को मानता हूं कि यह आदरणीय सदन विधायिका तथा कार्यकारिणी दोनों में चेक एन्ड बैलेंसेज का काम करती है। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि उस पर अपना नियंत्रण तथा अधिकार अक्षुण्य रखना होगा।

अब मैं इसके गुणावगुणों की ओर आता हूं। इस बात की शंका हो गयी है, हर आदमी यह समझता है कि ४२५ में से जाने कौन सा विधायक है जो हिस्ट्रीशीटर होगा और जो कल डकैती के चक्कर में फंसा होगा। इसलिये इसका उत्तर दिया जाना आवश्यक था लेकिन इसमें जो व्यय किया जाता वह जनहित में होता या न होता इसको भी दृष्टि में रखकर अब यह देखना होगा कि जनहित फिर क्या है ? जनहित कोई आर्बिट्रेरी बात नहीं है। इसको भी विनिश्चित करना आपका काम है। सदन की रूलिंग्स तथा परम्पराओं के अन्तर्गत तय हो चुका है क्या गोपनीय और जनहित है। जैसे देश पर आक्रमण हो जाय। अब सेना की ब्यूह रचना क्या है यह बतलाना गोपनीय होगा। अभी सम्भल में कांड हो गया। उससे पहले शिया सुन्नी झगड़ा हो गया। हम सबने तय किया कि उसकी चर्चा करना सार्वजनिक हित में नहीं है और चर्चा उसकी अगर समाचार-पत्रों में होगी तो शान्ति व्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न होगा, इसलिये उसकी चर्चा करना जनहित में नहीं था।

लेकिन मान्यवर, यहां पर कौन सा सवाल पैदा हुआ या तो बताया नहीं जाता। अगर हम मंत्री जी के वक्तव्य को स्वीकार कर लें तो कितना भीषण संकट पैदा हो जायेगा। मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज की कार्य सूची के पृष्ठ १४ पर प्रश्न संख्या ४३ को देखने की आप कृपा करें। माननीय सदस्य विश्वनाथ पाण्डेय जी का प्रश्न था "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र इटावा में तैनात डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित स्थानीय नागरिकों का कोई शिकायती आवेदन-पत्र क्षेत्रीय विधायक, विश्वनाथ पांडे के पत्र के साथ दिनांक २६ सितम्बर, १९७७ को स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें आरोप क्या थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उसका उत्तर जो प्राप्त हुआ मान्यवर, वह यह है 'जी हां', शिकायती-पत्र मूल रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को जांच हेतु भेज दिये जाने के कारण शिकायतों का विवरण देना संभव नहीं है। विचार कीजिये मान्यवर, अगर यह बात मान लें तो मंत्रि परिषद् को पूर्ण अधिकार दे दिया वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें जो व्यय होगा उससे प्राप्त होने वाला लाभ कम होगा। आप यह विश्वास मानिये किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। जो हम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना चाहते हैं वह हथियार गुठल हो जायेगा यह कौन तय करेगा कि इसमें जो व्यय है वह प्राप्त होने वाले लाभ से ज्यादा या कम है ? क्या मंत्री जी के विवेक पर यह तय होगा ? इस आदरणीय सदन में सब अधिकार जहां आपको देखने हैं, आपके ऊपर भी मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि एक नियंत्रण इस बात का है संविधान और नियमावली और परम्परायें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हैं उन सब को मिलाकर आपके विवेक को प्रभावित करती हैं। आप भी मान्यवर, जब कोई निदेश देने के लिए मुंह खोलते हैं, तो ये सब मामले आकर खड़े हो जाते हैं और उन सबके आलेख में निदेश देते हैं। मान्यवर, जब आप

इन सब बातों को देख कर निर्देश देते हैं तो हम उसके सामने अपना मस्तक नत कर देते हैं। इस अधिकार से मान्यवर, कार्यकारिणी निरंकुश हो जायेगी और इसका परिणाम जनतंत्र और संसदीय प्रणाली पर कितना गंभीर होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि विषय बहुत गंभीर है। मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा माननीय सदस्य ब्रह्म दत्त जी ने जो कहा है कि जो निर्णय पीठासीन अधिकारी ने दिये हैं उनको आप परिवर्तित कर सकते हैं। जो बात आज यहां होगी वह हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व की सभी धारा सभाओं को प्रभावित करेगी इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अगर आप समझते हैं कि इस समय हम पूरा-पूरा सब बातों पर विचार नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने विवेक से सदन की एक समिति गठित कर दें और वह समिति पूरे विस्तार के साथ विचार करके रिपोर्ट दे। मान्यवर, जहां हमारा संविधान और नियमावली मौन हो जाती है वहां पर इंगलैंड और दूसरे सदनों हाउस आफ कामन्स को हम देखते हैं। तो इसमें हम दुनिया की पार्लियामेंट्स को देख लें और गंभीरता के साथ आपको सलाह दें। मान्यवर, यह गोपनीयता और व्यय की बात को कौन तय करेगा ? केवल मंत्रिगण के विवेक पर गोपनीयता और जनहित को छोड़ देना उचित नहीं है।

मान्यवर, मेरी प्रार्थना पर आप विचार कर लें कि क्या यह उपयोगी होगा कि समिति गठित की जाय? इससे पूरी बातें सामने आ जायेंगी मंत्रि परिषद् को यह अधिकार देना जनतंत्र और संसदीय व्यवस्था पर कुठाराघात होगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बन्धित प्रश्न कोई जटिल नहीं है। वह केवल शासन को उत्तर देने से छूट तभी दी जा सकती है नियमों के अन्तर्गत, हमारे पीठासीन अधिकारियों के निर्णयानुसार जब जनहित या गोपनीयता के आधार पर आपसे उत्तर न देने का सरकार निवेदन करे। इसमें जैसा, मिश्रा जी ने कहा इसमें जनहित और गोपनीयता की कोई बात नहीं है। इसलिए इस अपवाद से यह बच नहीं सकते। उसमें उनको संरक्षण नहीं मिल सकता है। जो व्यय और लाभ की बात है, तो ऐसा कोई उदाहरण अब तक प्रस्तुत नहीं हुआ है, न देखने को मिला है कि इसके आधार पर उत्तर देने की मंत्रियों को छूट दी गई हो। श्रीमन्, जिस रूलिंग-व्यवस्था का जिक्र कल्पनाथ सिंह जी ने किया, उसमें स्पष्ट है कि जो प्रश्न माननीय अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार होंगे, उनके उत्तर सरकार को देने ही होंगे। तो इसमें भी उनके लिए बाध्यता है, जब आपने प्रश्न स्वीकार किया तो शासन को उसका उत्तर देना ही होगा, जबकि गोपनीयता और जनहित के आधार पर छूट नहीं चाहिए। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनहित और गोपनीयता के आधार पर अन्धी छूट शासन को नहीं दी जा सकती है। जैसा कि श्री एस० डी० मिश्र जी ने कहा, उनका दिमाग वर्षों के बाद ऐसा बन गया है, वह कभी उस दायरे से नहीं निकल रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर पन्त नगर कांड के बारे में विचार हो और शासन कह दें कि गोपनीयता के आधार पर उत्तर देना सम्भव नहीं है तो क्या आप यह इजाजत देंगे इस सरकार को कि वह उस सम्बन्ध में कोई सूचना इस आधार पर न दें। ऐसी छूट अगर दे दी जाए, तो इस सदन की कार्यवाही

[श्री मैनेजर सिंह---]

का कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए गोपनीयता और जनहित के मामले में आपको भी विचार करना होगा और शासन को आपको सन्तुष्ट करना होगा कि यह मामला जनहित अथवा गोपनीयता का है या नहीं । श्रीमन्, सम्बन्धित मामले में हमारे गुप्ता जी ने स्पष्ट कहा है और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, केवल यह सूचना मांगना कि इस आदरणीय सदन के ४२५ सदस्यों में से कितने सदस्य ऐसे हैं, जो हिस्ट्रीशीटर हैं । वह सूचना एक दिन में एक घंटे में सारे जिला पुलिस अधीक्षकों से मंगाई जा सकती है एक रेडियोग्राम द्वारा या फोन पर सम्पर्क करके । हिस्ट्रीशीटर्स की सूचना प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर उपलब्ध रहती है । यह लोकहित का सवाल है और स्वस्थ जनतन्त्रीय परम्परा के लिये आवश्यक है कि जनता के मन में अपने आदरणीय सदस्यों के प्रति कोई भ्रम या गलतफहमी न फैले, जिससे जनतन्त्र के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है । जैसा कल्पनाथ सिंह जी ने कहा सवाल केवल इतना है कि आया गवर्नमेंट के मंत्रियों को इस प्रकार का उत्तर देने का अधिकार है या नहीं । उत्तर प्राप्त हो सकता है या नहीं, सिर्फ यह देखना है, सिर्फ अधिकार का सवाल इसमें अन्तर्ग्रस्त है । इस पर आप कहना चाहें तो कहें, क्योंकि २५ मिनट हो चुके हैं, अब आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार की छूट देना जनतन्त्र के लिए घातक होगा । अतः आपको यह निर्णय लेना होगा कि कौन मामला जनहित का है और कौन गोपनीयता का है । इसमें शासन को अन्धी छूट नहीं दी जा सकती है । लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, जिलों के मुख्यालयों से यह सूचना मिल सकती है, ४२५ मेम्बरों के सिलसिले में । यह मामला जनहित में है इसकी सूचना आनी चाहिए । इस बात की सफाई होनी चाहिए कि कौन-कौन माननीय सदस्य हिस्ट्रीशीटर हैं, इसकी सूचना आपको दिलवानी चाहिए । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा माननीय अध्यक्षों की व्यवस्था में एक नयी कड़ी जोड़ना चाहिए कि किसी भी मामले में अध्यक्ष को निर्णय करने का अधिकार है कि कौन मामला जनहित में है, गोपनीय है, उस पर भी आपको निर्णय देने का अधिकार है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न खड़ा हो गया है उसके सम्बन्ध में दो तीन चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं । विशेष रूप से जब प्रश्न रखा जाता है तो नियमावली के नियम ४५ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष प्रश्न की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे । जब आप देख लेते हैं कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है, जनहित में है तभी उस प्रश्न को स्वीकार करते हैं । इसी नियमावली के नियम ३८ में लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे । जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया, उसके बाद मंत्रि परिषद् उत्तर देगा । यह सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व असली रूप में करते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देंगे । अगर आप संसदीय विशेषाधिकार तथा संसदीय शिष्टाचार देखें, तो नम्बर (१२) पर दिया है कि मंत्रीगण का प्रश्नों के सम्बन्ध में पूर्णतया तैयार हो कर ही सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित एवं संतोषजनक उत्तर देना चाहिए । संतोषजनक और समुचित का निर्णय आपको करना है ।

दूसरा विषय यह है कि जो यहां प्रश्न उठा है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में जनता के बीच में कोई भ्रम न रहे। जो इस प्रश्न को उठाया गया है कि वर्तमान सदन में जो विधायक हिस्ट्रीशीटर हों या जिनके ऊपर हत्या या डकैती के मुकदमें चल रहे हों इसमें भावना एक आक्षेप की भी है।

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल जो आप उठा रहे हैं यह पहले आ चुका है। मैं यह कह रहा हूं कि पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। इसको ब्रह्मदत्त जी ने और कई लोगों ने बार बार कहा है कि यह सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है। इसको दोहराएं नहीं।

श्री गुलाब सेहरा--

इस दृष्टि से कह रहा हूं, अगर आप संसदीय तथा संसदीय शिष्टाचार देखें तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है "आरोपों और शिकायतों की जांच तत्काल की जानी चाहिए और युक्तियुक्त समय के अन्दर मंत्री को उन आरोपों का सदन में उत्तर देना चाहिए। आरोपों और शिकायतों में उल्लिखित तथ्यों का तर्कपूर्ण उत्तर होना चाहिए, जिससे यह आभास न हो कि मंत्री किसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहना है कि मंत्रि-परिषद् जो गोपनीयता और जनहित की आड़ लेती है उसका फैसला आपके द्वारा हो, तो एक सुदृढ़ प्रणाली, स्वच्छ प्रणाली भी बनेगी और अगर मंत्रि परिषद् जनहित और गोपनीयता का उपयोग अपने आपको बचाने के लिए करती है तो उसका फैसला अपने विवेक से करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि रूलिंग का जहां तक सवाल है, और उत्तर न देने की बात आयी है। तो जनहित की बात को लेकर उत्तर नहीं दिया गया है। मान्यवर, समुचित उत्तर दिया गया है या नहीं इस बात का फैसला आपको करना है।

* श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

यह जो प्रश्न उठा है इसके बारे में एक बात तो यह है कि क्या मंत्री को ऐसा उत्तर देने का अधिकार है और दूसरा यह है कि इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता था ? जब तक हम इन दोनों बातों को अलग-अलग नहीं रखेंगे हम किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं नियमावली के नियम ३८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम ३८(३) में लिखा है कि यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे इस आधार पर मंत्री का सूचना देने से इनकार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है। मान्यवर, यह जो लोकहित का शब्द है वह व्यापक है। इसके अन्तर्गत और भी सवाल आते हैं। इसके बहुत से हिस्से हो सकते हैं। यह गोपनीयता का सवाल है, या इस में पैसा खर्च अधिक होगा या यह किसी ऐसी व्यवस्था से संबन्धित है जिससे उन पर असर पड़ेगा। यह सब चीजें लोकहित शब्द में समाविष्ट हैं। जो कारण दिया गया है वह इस व्यापक शब्द में समाविष्ट है जो माननीय मंत्री जी ने दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम शंकर कौशिक—]

दूसरा जो प्रश्न है कि क्या वाकई ऐसा प्रश्न है जिसका इस प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है । यह आपके देखने की बात है । मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीजें लोक हित शब्द में समाविष्ट हैं । यह जो प्रश्न है वह उस परिधि में आता है या नहीं आता है । यह आप देखें । आगे नियमावली बदली जाये तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाये कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर दिया जा सकता है, उनका उत्तर दिया जाये, इस राय का मैं भी हूं । इस बात का निर्णय होना चाहिए । इस पर विचार होना चाहिए कि क्या लोक हित के आधार पर इसको टाला जा सकता है ? आज की स्थिति में आपकी नियमावली में ऐसी कोई परिधि नहीं बनी हुई है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें अकल लगाने की जरूरत है । हम परिपाटी और नियमों से बंधे हैं । विशेष प्रश्न के संबन्ध में मैं बाद में जाऊंगा, आप १९५२ से १९६२ तक अध्यक्ष पद के जो निर्णय दिये गए हैं उसके पेज १२४ को आप पढ़े । उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देने से जनहित में इन्कार कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि इसमें जो खर्चा, समय और श्रम लगेगा, वह सार्वजनिक हित से कहीं अधिक होगा । यह उचित है । हाउस आफ दि पीपुल्स की प्रोसीडिंग के पृष्ठ २७३ को पढ़ लें कि यह उत्तर देना कि जो इस पर खर्चा, परिश्रम और समय लगेगा, वह उत्तर के अनुपात में बहुत अधिक होगा । इस प्रकार का उत्तर वैध है, दिया जा सकता है मैं समझता हूं कि मंत्री जी के पक्ष में ये ही दो बातें मिली हैं । उनके विभाग ने यह कह दिया कि मंत्री ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हुआ है, करते रहे हैं और इस तरह की दो नजीरें आपके सामने पेश कर दीं लेकिन चूंकि यह दूसरा प्रश्न है, किसी ऐसे प्रश्न को भी इसके तहत में लिया जाय तो मामला बड़ा जटिल हो जायगा । यह ४२५ सदस्यों से सम्बन्धित मामला है कि इनमें से कितने हिस्ट्री शीटर्स हैं और माननीय सदस्यों से अपनी बात को सम्बद्ध करते हुए यह कहना कि इसमें हुआ खर्चा और परिणाम जो निकलेगा उससे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है । यह थोड़ी देर में हो सकता है । थानों पर ८ नम्बर के रजिस्टर मौजूद रहते हैं, थोड़ी देर में वायरलेस भेज कर सूचना मंगायी जा सकती है और अगर उसे २-३ घंटे में माननीय मंत्री जी सदन में सुना देते तो मामला समाप्त हो जाता । वैसे तो मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह टल सकता है चूंकि जो रूलिंग मैंने बतायी है, उसे वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न ऐसा है जिससे भ्रम फैलेगा ।

कल जब मैं अपने घर पर बैठा हुआ था तो कुछ मिलने वालों से बात कर रहा था । उनकी यह धारणा बन रही थी कि १ लाख २० हजार के जो प्रतिनिधि हैं इनमें ज्यादातर हिस्ट्रीशीटर्स हैं, डकैत हैं, कत्ल करने वाले हैं । तो अगर यह भ्रम १ लाख ३० हजार के प्रतिनिधि के प्रति फैल रहा है तो यह सदन उस ८ करोड़ जनता के प्रति क्या इन्साफ करेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे उत्तर दे सकते हैं, नजीर उनके पक्ष में है । उनका सहारा न लें । आप इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दें, ताकि सदन की कालिमा और धूमिलता जो अखबारों में छप रही है, उसको आप सफाई कर दें और जो लोग मंत्रि परिषद् में घुस गये हैं, उनकी पोजिशन साफ हो जाय ।

(श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७४९
७ के उत्तर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठाए गए व्यवस्था
के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ?

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं एक मिनट लूंगा । मैं एक रूलिंग पढ़ना चाहता हूं । एक मिनट से अधिक नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं रूलिंग पढ़ रहा हूं । अपनी तरफ से एक हरूफ भी नहीं कहूंगा ।

मान्यवर, विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों (१९५२-६७) के पृष्ठ २२० को आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । यह माननीय नारायण दत्त तिवारी का प्रश्न है । यह सदन में पहले रखा जा चुका है । अब मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो मैं पढ़ रहा हूं वह पहले कोट नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इस पर मैंने जितनों को सुना...

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप सुन तो लीजिए । श्री दीप नारायण सिंह ने अपने प्रश्न के उत्तर में ।

श्री अध्यक्ष--

यह भी पढ़ कर सुना दिया गया है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मैंने कल निवेदन किया था, मेरी विशेषाधिकार की सूचना आपके पास है । आपने जब कहा था कि मैं आपको सुनूंगा तो अगर अब आपके पास समय नहीं है, मुझको फिर सुनना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि जो माननीय सदस्य, जैसे अभी रवीन्द्र सिंह जी ने कहा या राधेश्याम जी ने दो बात कहीं-एक तो भावना से जोड़ दिया...तो नियमों और कानून की भावना से कोई ताल्लुक नहीं होता । यहां पर जितने माननीय

[श्री अध्यक्ष--]

सदस्यों ने तर्क उपस्थित किये हैं अगर आप कोई नया तर्क देते हैं या रूलिंग बताते हैं तो मैं आपको सुनने को तैयार हूं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैं पुनरावृति का बिल्कुल आदी नहीं हूं और मुझे शौक भाषण करने का नहीं है कि कुछ कहने को न हो तब भी कुछ कहूं । मैं आपका समय बरबाद नहीं करूंगा । मेरा कहना है कि कौशिक जी न बोलते तो मैं भी खड़ा नहीं होता । कौशिक जी ने एक बात उपस्थित की और नियमावली का सहारा लिया है । उन्होंने कहा है कि यह प्राविधान है नियमावली में कि गोपनीयता और जनहित में कोई भी सूचना सरकार रोक सकती है । मान्यवर, हमारे यहां प्रक्रिया नियमावली है और यह प्राविधान है कि प्रक्रिया नियमावली में जो व्यवस्था नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद १९४ के अनुसार वही परिपाटी अपनायी जायगी जो हाउस आफ कामंस में अपनाई जाती है ।

अब हमारे सामने केवल दो ही विकल्प हैं । एक तो प्रक्रिया नियमावली और दूसरे हाउस आफ कामंस की मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस । उसमें मान्यवर, मैनडेटरी प्राविजन है जिन चीजों पर मंत्री सूचना रोक सकते हैं । मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी दिया है और नियमावली २८ में भी दिया है । मान्यवर, आप तो कानून के ज्ञाता हैं । मैनडेटरी प्रावीजन आफ ला जहां पर होता है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बार बार कहा है कि कोई रूलिंग जो मैनडेटरी ला में प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ हो वह स्वीकार नहीं की जा सकती । तो मैं स्पष्ट निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इसके अन्दर एक नहीं हजार बार की तो परिपाटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की है और ४५ वर्ष की हमारे यहां की है । तो हमारी नियमावली में या मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में कहां नहीं लिखा है कि शुद्ध आर्थिक आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर न दिया जाय । मेरे लायक दोस्त ने कहा कि गोपनीयता और उसके आधार पर तो वह सूचना रोकी जा सकती है तो मान्यवर, गोपनीयता और सार्वजनिक हित में मंत्री जी रोक सकते हैं, उसमें भी व्यवस्था है कि पीठासीन अधिकारी या चेयरमैन कहते हैं कि यह गोपनीय या सार्वजनिक हित में है या नहीं है । लेकिन जिस तरह का मैनडेटरी प्रावीजन है इसमें कानून का वहां पर आपको भी अधिकार नहीं होता कि यह सूचना रोकी जा सकती है ।

दूसरे आपके सामने रूलिंग जो श्री नारायण दत्त जी के मामले की वह है या नहीं है । मैंने कानून पढ़ा है, मैं वकील भी हूं । रूलिंग तीन होती हैं । एक तो आबजरवेशन होता है जो निर्णय करते वक्त किया जाता है । वह रूलिंग नहीं होती । यह जो उन्होंने कहा है, मैं उसे पढ़कर समय नष्ट नहीं करूंगा, यह आबजरवेशन है इस सदन में होता आया है और इससे सदन के माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते इस लिए कहना है यह व्यवस्था नहीं हो सकती । यह उस समय के पीठासीन अधिकारी का आबजरवेशन है । तो इसे हम रूलिंग नहीं मान सकते और आपके सामने कोई प्रतिबन्ध इसको मानने का उपस्थित नहीं होता ।

अब मान्यवर, एक निवेदन करूंगा कि एक तर्क है जो सामने आया है । मेरे मित्रों का कहना है जिनका यह ख्याल है कि रूलिंग ठीक है कि आर्थिक आधार पर रोक सकते हैं । मान्यवर, क्या ऐसा एक भी नया पैसा है जिसका खर्चा मंत्रि मंडल इस सदन की आज्ञा के बिना कर सकता है ? इस प्रदेश की सारी संपत्ति का मालिक मंत्रिमंडल नहीं है । यह सदन है । इस सदन की आज्ञा

के लिए ही आज बजट पर बहस होती है और हमारी आज्ञा लेकर वह रुपया खर्च होगा । यह प्रश्न एक सदस्य ने पूछा था । आपने आज्ञा दी तो इसका निर्णय किसी मंत्री के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता । कानून के अनुसार भी साधारण ज्ञान के अनुसार भी उत्तर किसी प्रश्न का आर्थिक आधार पर नहीं रोका जा सकता । तो मैं कोई भावनाओं के आधार पर नहीं कहता हूं । मैं तो शुद्ध रूप से जो प्रस्तावित व्यवस्था है हमारे देश के कानून को उसके अनुसार कहता हूं कि शुद्ध रूप से कोडिफाइड ला है, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस है उसमें निबद्ध है कि किस आधार पर सूचना रोकी जा सकती है । उसमें आर्थिक कारण नहीं है और यह रूलिंग नहीं है, अगर है और वह कोडिफाइड ला के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि उसके खिलाफ कोई रूलिंग लागू नहीं हो सकती । गोपनीय है या सार्वजनिक हित में वह रोक सकते हैं, मगर वह इसमें एप्लीकेबिल नहीं है । हम रोज सदन में खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं कि फलां फलां इन्जीनियर के खिलाफ मंत्री जी यह बतायें आदि-आदि, अब इसके उत्तर में यदि वह यही कह दें कि उत्तर देना जनहित में नहीं आदि-आदि । तो हम कोई प्रश्न कभी पूछ ही नहीं सकते । फिर आजकल हिस्ट्रीशीटरों का कोई रजिस्टर किसी थाने में नहीं रखा जाता । उसमें तो आप भी आ जाते, महात्मा गांधी, नेहरू तथा अन्य बड़े बड़े नेता रहे हैं । अब प्रश्न तो रह जाता था ऐसे कत्ल और डकैतियों से ही संबन्धित केवल और उसकी सूचना मंगानी थी । यह कोई विस्तृत प्रश्न भी नहीं है और इसमें कोई आर्थिक हानि भी नहीं है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, जो प्रश्न विचाराधीन है उसमें मुख्यतः देखना यह है कि हमारी संसदीय परम्परायें क्या रही हैं । यदि चली आ रही परिपाटियों और परम्पराओं के अतिरिक्त कोई काम करना होगा तो उसके लिए हमें निर्णय पहले लेना होगा मैं इसी तक अपने को सीमित रखूंगा कि क्या विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है ? जो भी अभी तक अध्यक्ष पीठ से निर्णय हुये हैं उनके अनुसार यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं बना है । ऐसे प्रश्नों पर केवल यहीं नहीं, सेन्ट्रल असेम्बली में भी १९३५ में और आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों के निर्णय लिए गये हैं । माननीय अध्यक्ष ने उस समय जो वहां पर व्यवस्था दी है मैं उसे भी आपके सामने रखना चाहूंगा । सन् १९३५ में डा० एन० बी० खरे ने तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा में एक इसी तरह की व्यवस्था का प्रश्न उठाया और वह प्रश्न था मुरादाबाद मंडल के ईस्ट इंडियन रेलवे के टिकट एग्जामिनर, टिकट कलेक्टरों के सम्बन्ध में, जिसमें उत्तर में यह कहा गया था कि शासन के पास सूचना नहीं है और शासन यह नहीं समझता कि इस सूचना को एकत्र करने में जो व्यय तथा श्रम होगा वह प्राप्त लाभ के अनुपात में होगा ।

तो मान्यवर, ऐसा उत्तर कोई यहां पर नहीं दिया गया है । यह प्रश्न पुनः वहां सेन्ट्रल असेम्बली में उठा और उस वक्त भी तत्कालीन विधान सभा के सभापति सर अब्दुर रहीम ने यही कहा कि डा० एन० बी० खरे के प्रश्न के संबन्ध में जो व्यवस्था दी गई है वह ठीक है । एक मिस्टर मोहम्मद याकूब साहब ने उसे उठाया था और उस पर तत्कालीन सभापति ने कहा था कि किसी भी मंत्री को इस प्रश्न का जवाब देने का अधिकार है कि श्रम और लाभ को देखते हुए उसको सूचना एकत्र करना उचित नहीं है और वह इनकार कर सकता है ।

[श्री मधुकर दिघे--]

अब मान्यवर, यह तो हुआ सेन्ट्रल असेम्बली का । इसी तरह से आपके यहां भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी १९५० में श्री दीप नारायण द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री जो न जवाब दिया था, तो उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न उठा था । उसमें भी माननीय सभापति ने यही निर्णय दिया था । तो एक तो प्रश्न हुआ कि अभी तक के क्या निर्णय रहे हैं, क्या व्यवस्थायें रही हैं ? उनसे इस प्रकार का जवाब देना कोई असंसदीय नहीं है, संसदीय परम्परा के अनुरूप है । इसलिए यह प्रश्न अब अगर उठाया जाता है कि माननीय अध्यक्ष अपने विवेक से निर्णय दे दें, मैं इसे मानता हूं, शकधर और कौल ने, जिसका जिक्र माननीय सदस्य, श्री कल्पनाथ सिंह ने किया, तो वह विवेक आपका है । इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया होता तब भी मैं माननीय सदन का ध्यान आपकी नियमावली की तरफ आकर्षित करता ।

चूंकि यह प्रश्न व्यापक था, इसलिए आपने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर किसी एक सदस्य का नाम इस प्रकार से आ जाता, तो मान्यवर, आपकी नियमावली आपको बाध्य कर देती, आप पुनः उसको नहीं उठाने देते । इसमें पृष्ठ १३ पर आप देखें, नियम २८--प्रश्नों का रूप तथा विषय--इसमें उप नियम (१०) में लिखा है--उसमें व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण नहीं किया जायगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा। यह दोनों नहीं होगा माननीय सदन में । अनेक लोगों के बारे में पुलिस ने अपने यहां पर इस प्रकार का आरोप लगा कर रखा है, मैं तो कहता हूं कि अगर पुराने राजनीतिक कार्यकर्त्ता यहां हैं, तो शायद ही एक आदमी ऐसा होगा कि जिस पर अनेकों मुकदमें नहीं चल चुके हों । ३९५ डाका है । मान्यवर, मेरे ऊपर ३२ बार मुकदमें चल चुके हैं और मैं ३२ बार जेल जा चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या डकैती में ?

श्री मधुकर दिघे--

क्या किसी जगह पर डाके की रिपोर्ट लिखी है, अगर इसकी सूचना एकत्र करना पड़े तो ४२६ सदस्यों के बारे में देखना पड़ेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि वह ३२ बार जेल गए हैं, ३२ मुकदमें उन पर चल चुके हैं । तो माननीय मंत्री जी किस-किस बार, किस-किस मुकदमें में जेल गए हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, अगर इसकी सूचना एकत्र करने का प्रश्न खड़ा कर दिया जाय तो सारे थाने में पुराने ३०-३५ साल के रिकार्ड निकालने पड़ेंगे । अतः माननीय मंत्री जी ने जो जवाब सदन में दिया, उससे उसकी व्यापकता का ज्ञान माननीय सदस्य को हो जाना चाहिए । उसके लाभ की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से जो जवाब दिया, वह बिलकुल सही था । उस जवाब में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी । जो इस प्रकार के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में प्रश्न हों, वे माननीय सदन में नहीं आने चाहिए ।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर--

मान्यवर, प्रश्न यह था कि कत्ल-डकैती जैसे गम्भीर अपराधों में जेल गए ? वह मान्यवर, हाउस को मिस्लीड कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह उनका अपना कथन है ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कितनी सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी, कितना व्यापक प्रश्न है और इस प्रकार के व्यापक प्रश्नों के बारे में पहले कई बार रोक लगाई गई है । यह मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि इतने सदस्यों का, इतने समय का रिकार्ड निकालना कितना दुश्कर कार्य है । इसलिए मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह सही था ।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, यहां जो प्रश्न उठाए गए हैं, माननीय कल्पनाथ सिंह ने एक बात उठाई कि अध्यक्ष को संतुष्ट होना चाहिए, तो अध्यक्ष जी तो संतुष्ट थे ही तभी तो यह प्रश्न आया और इस प्रश्न पर प्रश्न का जवाब दे दिया गया । जैसा माननीय श्यामधर जी ने कहा और माननीय कौशिक जी ने कहा कि अगर जनहित में नहीं है, तो जनहित में इस दृष्टि से भी नहीं है कि अगर माननीय सदन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आ गए तो उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई सूचना माननीय सदन में दिया जाना उचित नहीं है । अगर किसी विशिष्ट सदस्य पर आरोप हो तो जनहित नहीं होगा और जवाब आ जायगा । लेकिन व्यापक रूप से जनहित के प्रश्न के बारे में अगर मंत्री जी ने नहीं माना तो उचित ही था । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जवाब आया है वह सारे पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए दिया गया है । इसलिए कहीं नियम कानून, कहीं परम्पराओं और कहीं संसदीय प्रणाली तथा माननीय अध्यक्षों की व्यवस्थाओं, इन सारी चीजों को देखकर मैं यह समझता हूं कि जो आपने इस प्रश्न का जवाब आने के बाद व्यवस्था दी, वह सही है । इस व्यवस्था को बदलने का और कोई कारण नहीं है । यदि व्यवस्था बदल दी जाय तो ऐसे व्यापक प्रश्न व्यापक तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जब ग्राह्यता को स्वीकार करते हैं तो उसमें जो निहित प्रश्न हैं उसको ध्यान में रखकर, करते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो अध्यक्ष जी के ऊपर भी रोक लग जायगी ।

माननीय तोमर जी ने नया प्रश्न रखा कि माननीय अध्यक्ष के अधिकार में है, कोई सदस्य प्रश्न उपस्थित कर दे तो उसका जवाब आना ही चाहिए । मान्यवर, यदि ऐसा हो तो जो परंपरायें और व्यवस्थायें हैं और सदन को चलाने के लिये नियम बनाए गए हैं, उनमें सबमें व्यवधान उत्पन्न होंगे और अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जायेंगे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो परंपरायें हैं, निर्णय हैं उन्हीं के अनुसार हमको चलना चाहिए और इस प्रश्न को यहां पर समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

ब्रह्मदत्त जी ने जो प्रश्न किया और उसका उत्तर जो माननीय राज्य नियोजन मंत्री ने दिया और उस सम्बन्ध में जो आपत्ति की गई तो पहली आपत्ति

[श्री अध्यक्ष—]

यह है कि नियम ३८ के उप नियम (३) के अनुसार किसी मंत्री को यह तो अख्तियार है कि वह यह कह सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर देना लोकहित में नहीं है और इस आधार पर मंत्री का सूचना देने से इंकार करना विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मुख्य आपत्ति श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सोहनवीर सिंह तोमर और श्री गुलाब सेहरा और अन्य माननीय सदस्यों को यह है कि उत्तर में माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि यह प्रश्न लोकहित में गोपनीय है अतः इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। उनका कथन तो यह है कि इसमें जो श्रम और जो धन व्यय होगा उससे जो लाभ निकलेगा वह उसके अनुपात में नहीं होगा। तो क्या ऐसा कहना मंत्री के अधिकार में है? दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि अध्यक्ष किसी भी प्रश्न को स्वीकार कर सकते हैं? इस सम्बन्ध में नियम ४५ है, जिसमें अध्यक्ष को पूर्णतः अधिकार है कि किसी प्रश्न को स्वीकार करें। जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा कि शकधर और कौल ने अपनी पुस्तक के ४३३ पेज पर लिखा है कि अध्यक्ष को विवेकाधिकार प्राप्त है, जो उन्हें नियमों ने दिया है और अध्यक्ष पद में अंतर्निहित है। वह चाहे तो कोई कारण बताए बिना किसी प्रश्न को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है और कोई भी उसकी शक्ति के इस प्रयोग पर आपत्ति नहीं कर सकता।

जहां तक प्रश्नों के स्वीकार करने का सवाल है यह विवादास्पद नहीं है। इसमें अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा। किसी भी प्रश्न के ग्राह्यता के बारे में और प्रश्न के उत्तर देने में नियम ३८ में मंत्री जी को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो जहां तक अध्यक्ष के विनिश्चयों का सवाल है उसमें यह दोनों बातें नियम ३८ बाध्य करता है और अध्यक्ष को नवीन व्यवस्था देने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसा अभी संसदीय कार्य मंत्री और स्वयं श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा कि १९३५ में एक प्रश्न केन्द्रीय एसेम्बली में किया गया तो उसमें यही था। जो मुख्य प्रश्न व्यवस्था का था वह इस पर था कि जो श्रम और व्यय इस सूचना के एकत्र करने में लगेगा वह फल के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए मेम्बर का प्रश्न जिसको स्वीकार किया गया था, ने प्रश्न पूछा कि क्या अध्यक्ष के प्रश्न स्वीकार करने के बाद मंत्री को ऐसा करने का अधिकार है? तो तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा इस व्यवस्था के संदर्भ में जो प्रश्न उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि यह सरकार की अधिकार की परिधि के अन्दर है और उनको यह कहने का अधिकार है कि सूचना इकट्ठा करने में जो श्रम और धन व्यय होगा वह उस फल के अनुरूप नहीं होगा। अध्यक्ष को इस बात का संज्ञान नहीं हो सकता है कि धन कितना लगेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में १९३५ की व्यवस्था है। लेकिन श्री ब्रह्मदत्त ने दूसरे वाक्य खंड की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और वह यह है कि प्रत्यक्षतः ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें अध्यक्ष सम्मानित मंत्रिगणों को इस बात के लिए निर्देश दे सकते हैं कि वह किसी प्रश्न का उत्तर दें। लेकिन साधारणतः ऐसे प्रश्नों को मंत्रियों के विवेक पर छोड़ना चाहिए। यह निर्णय है।

उसके बाद हमारी विधान सभा में इस तरह का एक प्रश्न श्री खुशवंत राय ने पेश किया कि खीरी जिले में कितने लाइसेन्स दिए गए, उनके नाम क्या हैं? इस पर उस समय स्व० लाल बहादुर शास्त्री जो गृहमंत्री थे, ने कहा—यह प्रश्न तो व्यवस्था का है, इसमें जो श्रम और समय लगेगा उसके मुकाबले में उत्तर की उपयोगिता बहुत कम प्रतीत होती है। इस पर श्री खान चन्द्र गौतम ने आपत्ति किया तो अध्यक्ष ने कहा "मंत्री जी उत्तर देते हैं, मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता किसी खास किस्म के उत्तर देने के लिए।"

उसके बाद इसी प्रकार का प्रश्न इस सदन के अन्दर १९५६ में हुआ और श्री हरिदत्त कांडपाल ने पूछा था। उस समय श्री राम स्वरूप यादव मंत्री थे तो उन्होंने कहा इस प्रश्न की सूचना में जो श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए लाभप्रद नहीं होगा। माननीय सदस्य यदि किसी विशेष प्रार्थी की पेन्शन आदि दिए जाने के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो कार्यालय में आकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस पर श्री कांडपाल ने आपत्ति किया। तो अध्यक्ष ने कहा--- "इस तरह का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए उनको दिया गया है। प्रश्न यह पूछा गया था कि प्रदेश में कितने लोगों को राजनीतिक पेन्शनें दी गई हैं ?

इसी प्रकार फिर एक प्रश्न, जब माननीय चौधरी चरण सिंह यहां गृह मंत्री थे, तो पूछा गया। तो श्री चरण सिंह जी ने उत्तर दिया "वांछित सूचना एकत्र करने में जितना श्रम और समय लगेगा जनहित तथा प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुए लाभप्रद न होगा।" यह चरण सिंह जी ने विधान परिषद् में कहा।

इसी प्रकार एक प्रश्न श्री मन्ना लाल जी ने जो आज भी सदस्य, खीरी के हैं, उन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एपीडेमिक स्टाफ में कितने लोगों की सर्विस बुक कम्प्लीट नहीं है और क्या इससे सम्बन्धित लोगों के पेंशन व रिटायरमेंट में जो दिक्कत होगी उसे दूर करने का सरकार कोई उपाय शीघ्र करेगी तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय दाऊ दयाल खन्ना ने कहा "सम्बन्धित सूचना के संकलन में जितना श्रम और व्यय लगेगा उसके अनुरूप सूचना की उपादेयता संदिग्ध है।"

फिर अंत में नियम १०१ की रूलिंग जिसका उल्लेख श्री कल्पनाथ जी ने किया उस पर कांग्रेस (ई) के वर्तमान नेता श्री नारायण दत्त तिवारी की आपत्ति थी तो उस पर भी अध्यक्ष ने यह रूलिंग दी कि यह मंत्रियों का अधिकार है।

तो इसलिए मेरे सामने प्रश्न यह है....।

श्री श्याम धर मिश्र—

उस समय कांग्रेस (ई) के नेता नहीं थे।

श्री अध्यक्ष--

वर्तमान कांग्रेस (ई) के नेता कहा मैंने।

तो इसलिए जो प्रश्न मेरे सामने उपस्थित था वह यह है कि क्या मंत्री जी सदन से सूचना छिपाना चाहते हैं और फिर उसमें कुछ लोगों ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भी दिया। सन् १९३५ की केन्द्रीय असेम्बली की व्यवस्था और सन् ५० में जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे, बाद में चरण सिंह जी थे, उस समय की व्यवस्था और अब तक भी यही व्यवस्था रही है कि यह मंत्रियों का अधिकार है। इसलिए यह जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, लेकिन जैसा कि सन् ३५ की रूलिंग में कहा है कि अगर अध्यक्ष कभी यह उचित समझे तो मंत्रियों को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिसमें श्रम और साथ ही साथ समय ज्यादा खर्च होता है उसका निर्णय करके आदेश दे सकते हैं। इसलिए जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और यह जो उत्तर दिया गया है वह नियम के अनुकूल है, लेकिन मैं इस प्रश्न पर पुनः

[श्री अध्यक्ष—]

विचार करूंगा कि क्या मैं इस तरह का निर्देश मंत्रियों को दूं कि वह इसकी सूचना सदन के अंदर दें। लेकिन इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह जी का प्रस्ताव है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई में खोलने की रजिस्ट्रार की घोषणा से छात्रों में भारी असंतोष के सम्बन्ध में है। श्री श्याम धर जी का भी चूंकि इसी विषय पर है मैं दो मिनट सुनना चाहूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

कल मुझे सूचना मिली थी विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में माननीय अशोक बाजपेयी के बारे में। उसकी कोई बात नहीं हुई। आप उसे नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्पष्टीकरण मांगा है। मैं तो स्वयं इस सदन को समय पर सूचित करूंगा। उसको देख लूंगा।

देव बहादुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, ऐसा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसी रजिस्ट्रार की घोषणा हुई है कि विश्वविद्यालय जुलाई में खुलने वाला है और इस सत्र की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इसलिए जब जुलाई में विश्वविद्यालय खुलेगा तो फिर सत्र की पढ़ाई पूरी होगी। तब कहीं जाकर परीक्षाएं होंगी। हो सकता है कि परीक्षाएं अगले दिसम्बर और जनवरी में हों। अभिभावक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं। इसलिए कार्य-स्थगन करके चर्चा हो कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे कि विश्वविद्यालय खुले, विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सके और अभिभावकों का पैसा बच सके। स्थिति गम्भीर है। यहीं की बात नहीं है। तनावपूर्ण स्थिति वहां क्यों है और क्यों आवश्यकता पड़ी विश्वविद्यालय बन्द करने की और सरकार इस विषय में क्या सोच रही है, अगर कार्य-स्थगन करके चर्चा हो तो यह बातें सामने आवेंगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया और रजिस्ट्रार ने केवल एक वाक्य की विज्ञप्ति निकाल दी कि अब आगे विश्वविद्यालय पहली जुलाई को खुलेगा। कारण तक नहीं बतलाया। आपको, हमको, पूरे लखनऊ वालों को, वहां जाकर पूछना होगा कि किसलिए बन्द किया गया है। हमलोग इस पर इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि अभी इम्तहान का समय हो रहा था। अगर पहली जुलाई को खुलता है तो कहीं अक्तूबर में जाकर इम्तहान होगा। लड़कों का एक साल निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं कार्य-स्थगन में स्वीकार भी करता हूं तो इस प्रश्न को आप जानते हैं कि जब आज का कार्यक्रम समाप्त हो उससे एक घंटा पहले लिया जा सकता है। फिर उसमें गवर्नमेंट को भी तैयार होकर आना चाहिए। मैंने इसको

ग्राह्य नहीं किया है। नियम ५१ में बहुत से सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। मैंने नियम ५१ में ग्राह्य किया है और मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त करके वक्तव्य दें।

श्री श्यामधर मिश्र —

मान्यवर, आपने रूलिंग दी थी। तो इसमें हमलोगों का काम भी जुड़ जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में देते तो आपका नाम जुड़ता।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४४—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या ७७—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७१,४३,०८,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७७—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४,९१,२४,४०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह आय-व्ययक पर्वतीय क्षेत्र का है जो एक तरह से एक विशिष्ट आय-व्ययक है। यह सारे प्रान्त से सम्बन्धित नहीं है। यह राज्य के एक भू-भाग से सम्बन्धित है जिसमें केवल ८ जिले हैं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। यह वह भू-भाग है जिसको पुराणों में हिमवत प्रदेश कहा गया है। यहां हमारे हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां जैसे नन्दा देवी, नीलकंठ, चौखम्बा आदि हैं।

(इस समय ३ बजकर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

जितनी भी हिमालय की हमारे प्रान्त में चोटियां हैं वे इसी भू-भाग में हैं। वे इन्हीं जिलों में हैं। इन ८ जिलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह पिछड़े हुये रह गये हैं। यह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये रह गये हैं। इसलिये इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया और हमारा शासन इसके लिये प्रयत्नशील है कि यहां का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन

[श्री शोभन सिंह जीना—]

द्रुतगति से दूर किया जाय । यहां के लोग गरीब हैं और उनकी जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो और पिछड़ापन हटे इसके लिये यह विभाग है । इस विभाग का यही उद्देश्य रहा है कि इन ८ जिलों का द्रुतगति से विकास किया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बजट में अलग प्राविधान रक्खा गया है और यह प्राविधान वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ।

चूंकि यह विकास का बजट है और विकास के जो काम होंगे वे एक तरह से नहीं रहते हैं जितना परिव्यय एक वर्ष में है केवल उतना ही दूसरे वर्ष में भी होगा । शासन ने जबकि ७६-७७ में इसका परिव्यय ३७ करोड़ स्वीकृत किया था जिसमें २२ करोड़ केन्द्र का अनुदान था और शेष हमारे राज्य का, तो वह ३७ करोड़ से ७७-७८ में बढ़कर ५६ करोड़ हो गया जिसमें २७ करोड़ केन्द्र का अनुदान था और शेष हमारे राज्य का । वह ५६ करोड़ ७८-७९ में शासन ने बढ़ाकर ६६ करोड़ कर दिया जिसमें ३१ करोड़ केन्द्र का बजट है और ३५ करोड़ राज्य का है । यह जो ६६ करोड़ का अनुदान है इससे विकास की योजनायें बनती हैं और कार्यान्वित होती हैं । इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष में जो कुछ किया गया, जो कार्यक्रम रहे और इन कार्यक्रमों की जो उपलब्धियां हुई उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा । पिछले वर्ष विशेष जिन पर बल दिया गया था वह तीन कार्यक्रम थे । (१) कृषि उत्पादन बढ़ाना (२) बागवानी के क्षेत्रफल में वृद्धि करना और (३) पर्यटन बढ़ाना । इन तीनों में हमारी विशेष उपलब्धियां हुई हैं । पिछले वर्ष जब ५६ करोड़ का बजट १४ सितम्बर को यहां लाया गया था तो उसको स्वीकृत करते समय माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की थी कि अब केवल ५ महीने रह गये हैं इसलिये यह ५६ करोड़ आप कैसे खर्च करेंगे ? तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पूरा का पूरा परिव्यय जो ७७-७८ के लिये स्वीकृत किया गया था, व्यय हो गया है ।

इसमें यह अवश्य है कि जब परिव्यय बढ़ता है, जब बजट बढ़ता है तो इसमें जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके भी उत्तरदायित्व बढ़ते हैं । मैं इस सम्बन्ध में सराहना करता हूं उन अधिकारीगण और कर्मचारियों की कि जिन्होंने इन पांच महीनों में इतने परिव्यय का पूरा उपयोग करने में काफी परिश्रम किया और काफी लगन और निष्ठा से कार्य किया ।

पिछले वर्ष जो कृषि का कार्यक्रम लिया गया था, उस कृषि के कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम था सिंचाई की उपलब्धि को बढ़ाना, सिंचाई के साधनों को बढ़ाना क्योंकि भूमि तो सीमित ही है । उसका क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं सकते । इसलिये सघन खेती करके और सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर कुछ उत्पादन खेती में बढ़ा सकते हैं । इसलिये यह कार्यक्रम रखा गया था कि सिंचाई के साधनों को बढ़ा दिया जाय। इसलिये सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये जो पिछले वर्षों से कार्यक्रम चले आ रहे थे कुछ नहरें और गूलों को बनाना, उनके अलावा एक कार्यक्रम और लिया कि जहां पर पानी बहुत नीची सतह पर है और खेती ऊपर है, वहां पर हाइड्रम लगाया जाय । हमारी यह योजना पिछले वर्ष अच्छी सफल हुयी है और इस योजना के अनुसार नीची सतह से पानी को उठाकर (बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी इन्जन के, बिना किसी शक्ति के) ऊपर पहुंच गया है सिंचाई के लिये । उसके अनुसार कुछ उपलब्धि हुयी है । इसलिये इसकी चर्चा करना उपयुक्त समझता हूं। १९७७-७८ में हमारी जो योजना थी उसके अनुसार हमने १६५९० हेक्टेयर और अतिरिक्त भूमि सिंचाई के योग्य बनाई है इस वर्ष भी जो लक्ष्य है वह १९ हजार हेक्टेयर में सिंचाई के साधनों को बढ़ाना है । यह पिछले वर्ष १६५९० हेक्टेयर

था । इस साल हाइड्रम योजना को अधिक बढ़ावा दिया गया है । इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक चालू कर सकेंग । इस हाइड्रम योजना में हमने पिछले वर्ष ५५ योजनाओं पर कार्य शुरू कराया ह और इस वर्ष हम ६३ योजनायें और कार्यान्वित करेंगे १९७८-७९ में ।

इसी प्रकार, हमारा जो बागवानी का कार्यक्रम था, उसमें भी काफी उपलब्धि प्राप्त की है । उसमें ६ हजार हेक्टेयर १९७७-७८ में हमने अतिरिक्त भुमि में बाग लगवाये । अब हमारा १९७८-७९ का ६३०० हेक्टेयर का लक्ष्य है । यह हमने इस तरह के बढ़ाया है कि लोगों को कुछ और सुविधायें दी गयी हैं । उसमें एक तो दीर्घकालीन ऋण दिया है । पिछले वर्ष प्रति ब्लाक एक लाख रुपया ऋण के लिए दिया है । ७८ लाख रुपया में दीर्घकालीन ऋण की तरह दिया है और यह बड़ी आसान ब्याज की दरों पर दिया गया है । ब्याज की दर ५ १/२ रुपया प्रति सैकड़ा सालाना की दर है । उसमें यह किया गया है कि जब तक ७ सालों तक जब तक कि उनके बाग फलदायक नहीं हो जाते तब तक वसूली नहीं होगी तत्पश्चात १५ सालों में वसूल किया जायेगा और ५ १/२ रुपये सैकड़ा ब्याज की दर होगी । जब १५ साल पूरे हो जायेंगे तो १/६ भाग छोड़ दिया जायेगा । यह बडा आकर्षक रहा ह । लोगों ने इसको अपनाया है । इसके कारण ६ हजार हेक्टयर अतिरिक्त भूमि में हम बाग लगवा सकें हैं। पिछले वर्ष हमने ७८ लाख ऋण के लिये रखा था । इस वर्ष हमने ७० लाख रुपया ऋण के लिये रखा है ।

इसमें हमने अतिरिक्त प्रजनन उद्यान और पौधशालाओं का कार्यक्रम रखा है । इस साल इसमें और विकास किया जायगा । आर्चर्ड्स में कैश क्राप्स को विकसित करने के लिये हल्दी, अदरख तथा मुक्तेश्वर में ग्लैडियोलाइ के फूल पैदा करने की योणना बनाई है और इस योजना को विकसित करने के लिये इस साल हमने २ लाख १५ हजार रुपये रख हैं जो ऋण के रूप में दिये जायेंगे । एक नई योजना इस साल के लिये प्रस्तावित है और वह है जड़ी-बूटियों की खेती ।

हमारे हिमालय में जड़ी बूटियों का पूरा भंडार है । सब प्रकार की जड़ी-बूटियां वहां मौजूद हैं और विभिन्न सतहों पर वे होती ह और लोग उनको संग्रह करते हैं लेकिन विधिवत् नहीं करते जिससे बड़ी क्षति होती है इन जड़ो-बूटियों की ।इसलिये यह सोचा गया कि इनकी खेती की जाय । ये जड़ी-बूटी बड़ी मूल्यवान भी हैं । अगर उनकी खेती की जायगी उस जमीन में जिसमें किसान मोटा अनाज पैदा करता है तो उसको अच्छी आय होगी, उनके रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा किया जा सकता है । इसके अलावा पर्यटन के कार्यक्रम में गत वर्ष जो हमने विशेष कार्य आवास गृह पर्यटकों के लिये बनाने का लिया था, इस साल हम और अधिक आवास गृह उनके लिये बनवा रहे हैं । पर्यटकों को अधिक आबास गृह देना तथा अधिक सुविधायें देना यही आकर्षण उनके लिये होता है , जलवायु, नैसर्गिक दृश्य, हिमाच्छादित पहाड़, तीर्थ स्थान ये सब आकर्षण के केन्द्र तो हैं ही लेकिन एक यात्री के लिये आवास की सुविधा भी चाहिय जिसकी बहुत कमी थी । आकर्षक स्थानों पर पर्यटकों के लिय जो केन्द्र हैं वहां पर पिछले वर्ष भी हमने आवास गृह बनवाये थे और इस वर्ष भी उसके लिये योजना है और उनके लिये तीन चार सौ शैय्याएं और बन जायंगी स्थान-स्थान पर ।

[श्री शोवन सिंह जीना---]

पिछले साल हमने इसके लिये १ करोड़ ५ लाख रुपया रखा था लेकिन इस वर्ष १ करोड़ ८२ लाख रुपया रखा गया है और इस प्रकार इस वर्ष काफी आवास गृह बन जायेंगे । इन आर्थिक कार्यक्रमों पर हम बल दे रहे हैं । लेकिन य आर्थिक कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब वहां यातायात की भी सुविधाएं हों और पहाड़ों में यातायात की एक ही सुविधा हो सकती है और वह है मोटरेबिल रोड का होना । वहां पर बैलगाड़ी, रेल या साइकिल चल नहीं सकती । केवल मोटरों के लिए सड़कें बनाने से ही काम चल सकता है ६५४ किलोमीटर पिछले साल मोटरेबिल रोड में वृद्धि हुई थी और इस वर्ष ८०७ किलोमीटर मोटर सड़कों म वृद्धि करने का लक्ष्य है और २८९ किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करना है । १४ पुल बनाने हैं ।

पिछले साल हमने इस सबके लिये १६ करोड़ ५० लाख रुपये का प्राविधान किया था । और इस साल १८ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । इसी प्रकार चिकित्सा के लिये भी और सुविधायें हमने वहां दी हैं । ऊंची नीची जमीन होने के कारण अधिक स्थानों पर चिकित्सा के साधन देने होंगे । पिछले वर्ष हमने ४० एलोपैथिक अस्पताल, २० आयुर्वेदिक अस्पताल खोले थे और इस साल ३८ एलोपैथिक अस्पताल तथा १९ आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का प्राविधान है । इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में २९७ नये प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, ३८ जूनियर हाई स्कूल, १९ हाई स्कूल तथा ५ इंटर कालेज खोलने का प्राविधान किया है ।

इसके अलावा उनके भवनों के लिए भी अलग से हमने प्राविधान किया है । जो हाई स्कूल वगैरह हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके भवनों के लिए भी ८६ लाख रु० का हमने प्रावधान किया है । प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के लिए भी भवनों की कमी है और उनकी हालत भी खराब है । इस ओर भी ध्यान दिया गया है । प्राइमरी स्कूलों की इमारतों के लिए प्रत्येक ब्लाक में पिछले वर्ष से एक लाख रुपया दे रहे हैं । इस प्रकार एक ब्लाक में करीब चार इमारतें बन जाती हैं क्योंकि एक इमारत के लिए २५, २६ हजार रुपये खर्च होते हैं । अगर किसी जिले में १६ ब्लाक भी हैं तो वह ६४ इमारतें हर साल जोड़ लेता है । इसके अलाव जो बेसिक शिक्षा परिषद् है उसको हम ग्रांट देते हैं जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें बनान के लिए ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम पूरा नहीं और मंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

एक और दो के बीच में इसकी आवश्यकता नहीं है । कोरम की घंटी बजवाये देता हूं । आप बैठें, मंत्री जी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

मंत्रिमंडल का दायित्व है, चार मंत्री भी बैठ जायं तो कोरम हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका भी उत्तरदायित्व है ।

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (जिला टेहरी गढ़वाल)––

पर्वतीय जिलों के कुल १७ एम० एल० ए० हैं बाकी . . .

(कोरम की घंटी बजाई गई)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाइये ।

श्री अधिष्ठाता––

आप का भी दायित्व है । श्री पूरन चन्द जी आप लोगों को बुलाइये तकि कोरम हो जाय ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शोबन सिंह जीना––

मान्यवर, इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ३ करोड़ ५० लाख रुपये का प्राविधान रखा गया ह, जिसमें से २२५ ग्रामों में विद्युतीकरण किया जायगा और २२५ हरिजन बस्तियों में यह काम किया जाएगा, इस तरह कुल ४५० ग्रामों में विद्युतीकरण होगा। उस क्षेत्र में एक दूसरा सबसे बड़ा संकट पेय जल का है। वहां कितने गांव ऐसे हैं, जहां लोगों को पीने का पानी ३–३ व ४–४ मील दूर से लाना पड़ता है और कहीं–कहीं १–१, २–२ मील नीचे से लाना पड़ता है । इसलिये इन भागों को उच्च प्राथमिकता दी गई है पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ६१७४ ग्रामों मे पेय जल का संकट था । उसको ध्यान में रखते हुए ७६–७७ में ११०२ गांवों को पानी मिल गया और उसके बाद जो ५०७२ गांव शेष रह गये थे, उनके लिए ७७–७८ में १२०० गावों में पेयजल की सुविधा जुटाने का लक्ष्य रखा गया था । यह कार्य हम नलों द्वारा, पम्प द्वारा या हाईड्रम के द्वारा पूरा कर रहे हैं और इस प्रकार गांवों तक पानी पहुंचा रहे हैं। किन्तु समय कम होने के कारण तथा सीमेन्ट की भी कमी होने के कारण हम अपने १२०० गांवों के लक्ष्य के विपरीत ७९२ गांवों में ही पेयजल की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर सके। तो यह भी एक अच्छी प्रगति है । इसमें बड़ी और छोटी सभी प्रकार की स्कीमें हैं । हमारे पास एक बड़ी स्कीम और है, जो मई या जून में पूरी हो जाएगी, जो पौड़ी गढ़वाल में अलखनन्दा से पानी ले जाने के लिए है, उस स्कीम के द्वारा साढ़े चार हजार फिट ऊंचाई पर पानी पम्प से ले जा रहे हैं । इससे पौड़ी गढ़वाल के अलावा अन्य २२ गांवों को पानी मिलेगा । यह एक करोड़ ५७ लाख रुपये की स्कीम है । इसी तरह पिथौरागढ़ की भी हमारी पम्प स्कीम पूरी हो जाएगी वह भी ४ हजार फिट ऊपर पानी ले जा रहीं है . . .

श्री अधिष्ठाता––

आप संक्षेप में कहें, समय बहुत कम है ।

श्री शोबन सिंह जीना––

मैं संक्षिप्त करता हूं । इस बार भी फिर से १२ सौ गावों का लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए ९ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । ये मुख्य-मुख्य जो कार्यक्रम है, उनका मैंने जिक्र किया है । इनके अलावा और भी जो

[श्री शोभन सिंह जीना—]

कार्य पिछले वर्ष से चलते आ रहे हैं, वे चालू रहेंगे और ६४ साढ़े-६४ करोड़ रुपया उनमें ही व्यय हो रहा है । नये कार्यक्रमों के लिए लगभग ढ़ाई करोड़ रुपया हम रख रहे हैं । इस तरह से पर्वतीय विकास के कार्य होते रहेंगे तो म समझता हूं कि अगले ३-४ सालों में वहां से पानी का संकट पूरी तरह दूर हो जाएगा । यह ऐसे कार्यक्रम हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ ऊंचा उठाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए और वहां के निवासियों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए तथा सामाजिक सुविधायें लोगों को देने के लिए हैं । इसमें कोई दलगत नीति या राजनीति का कोई सवाल नहीं है । मुझे उम्मीद है कि पिछड़े क्षेत्रों के हेतु ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए आप सब सदस्यों का हमें पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७७ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, पर्वतीय विकास के बारे में जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है, इस क्षेत्र की समस्या अलग है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मैदानी इलाके से भिन्न है । इसलिए इस विभाग को अलग कर के बनाया गया है जिससे इस क्षेत्र का विकास आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जल्दी से जल्दी द्रुत गति से किया जा सके । श्रीमन्, अगर हम पिछले वर्षों का लेखाजोखा लें तो जिस गति से विकास हो रहा है उसको द्रुत गति से नहीं कह सकते । मंत्री जी ने जिक्र किया कि पिछले पांच महीनों में जितना कार्यक्रम इन्होंने निश्चित किया था पिछले साल में उसको आपने कहा कि सबका सब पूरा हो गया । इसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है ? पिछले वर्ष सितम्बर में जो बजट स्वीकार किया गया और मार्च, १९७८ तक सभी कार्यक्रम पूरे कर दिये गये । और ५६ करोड़ रुपया यदि मैं भूलता नहीं, खर्च कर दिया गया, यह तो मूल्यांकन करने पर ही पता चल सकता है कि द्रुतगति से कितना विकास हुआ, कौन सा काम पूरा हुआ कितना अधूरा है । मेरा निश्चित मत है कि इस मामले में ३० फीसदी से ज्यादा कार्य पूरे नहीं हुए हैं । इसलिए उन कार्यों का मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है ।

तीन कार्यक्रमों का माननीय मन्त्री जी ने मुख्य रूप से जिक्र किया है, कृषि, बागवानी और पर्यटन । इन पिछड़े हुए पहाड़ी जिलों में कृषि इतनी पिछड़ी हुई है उसको किस तरह से उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं यह ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि पहाड़ों के अन्दर एक हिस्सा में भी घूमा हूं, पश्चिमी हिस्सा, उसमें नदी की तराई जो समतल भूमि है, उसको छोड़ कर बाकी जो कृषि की भूमि है उतार चढ़ाव पर है और उससे हर साल कटान हो जाता है । नतीजा यह होत है कि उसकी उपजाऊ शक्ति बह जाती है और किसानों को फिर मेड़बन्दी करि में बड़ी परेशानी होती है । उसमें श्रम और धन भी काफी लगता है । इसला

फटान की वजह से फिर दोबारा मेड़बन्दी नहीं हो पाता है । उस भूमि को विकसित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया, जो भूमि समतल नहीं है, जो तलहटी में नहीं हैं, जो उतार चढ़ाव की है, उसको ठीक करने के लिए, उसका बहाव रोकने के लिए क्या कार्यक्रम क्षेत्र में बनाया गया, इसके बारे में माननीय मंत्री न कोई जिक्र नहीं किया । यह पहाड़ों के लिए बहुत महत्व का प्रश्न है । अगर हम कृषि का विकास करना चाहते है, जब तक हम भूमि संरक्षण और उसके साथ-साथ जो हर साल भूमि की उर्वरा शक्ति बह जाती है और बह कर समुन्दर में चली जाती है उसको रोकने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया, अगर नहीं बनाया गया तो मेहरबानी करके आगे से इस प्रश्न के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। तभी हम उस पहाड़ की खेती को चालू करवा सकते हैं । दूसरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, बागवानी का । मैं कहता हूं कि यह कृषि से सम्बन्धित हैं, लेकिन उसकी हालत यह है कि मैंने देखा कि बागवानी के क्षेत्र में या तो व्यापारी लोग लगे हैं या बड़े-बड़े उद्योगपति लगे हैं या जिनके पास जमीन है वही लोग लगे हुए हैं । ये लोग इस क्षेत्र के ९० प्रतिशत कारोबार पर हावी हैं । छोटे किसानों को बागवानी के लिए, उद्यान के लिए हमने कितना प्रोत्साहित किया, कितना उनको आकर्षित किया, इस पर भी गौर करने की जरूरत है । इसी के साथ ही साथ एक दूसरा प्रश्न यह भी आ जाता है कि पहाड़ों पर किसानों की जमीन बिखरी होती है । वह एक जगह होनी चाहिए। छोट किसानों के सामने यह समस्या पैदा होती है कि बागवानी कैसे की जाय, इस पर भी सोचने कीने आवश्यकता है ।

इसी पिछले साल की बात मैं बता रहा हूं कि इतना सेव पैदा हुआ, और उस बागवानी से चाहे जो कुछ पैदा हो उसकी सुरक्षा, उसकी बिक्री का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पिछले साल सेब इतना पैदा हो गया कि उसकी सब्जी बना कर लोगों ने खायी । इतना सस्ता था । सब्जी महंगी थी और सेब सस्ता था । अगर यही हालत रही बागवानी की तो इसका क्या हस होगा । तो किस तरह से पहाड़ों पर रहने वालों का उत्थान होगा । हम यह देखना चाहिए की अपने देश में में उसकी कहां-कहां बिक्री हो सकती है । जहां पर उसकी बिक्री हो सके उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाये और श्रीमन् कुछ फल एसे हैं जैसे सेब को ही लेता हूं और केला को लेता हूं इनकी विदेशों में बहुत मांग हैं, बड़ी खपत है । अगर हम विदेशों में सेब को ही भेज दें तो कितना पैसा हमको मिल सकता है, कितनी विदेशी मुद्रा मिल सकती है । यही नहीं हम जो उपजाते हैं उसका सही माने में उपयोग होगा । आप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या कोचीन में स्टोरेज बनवाए और वहां पर आपका मार्केटिंग स्टाफ भी रहे । अगर हम इसकी बिक्री की और ध्यान नहीं देगें तो यह निरर्थक रहेगा और जो हम उसका आर्थिक जीवन सुधारना चाहते हैं वह नहीं सुधार पावेंगा ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक बात कहनी है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । आपको जवाब के लिए समय मिलेगा । यह ठीक नहीं कि जब मन में आवे खड़े हो जायें ।

श्री ऊदल--

नदी की तलहटियों में या जहां समतल घाटियां हैं, वहां तो सड़क बना जाती है। पहाड़ में जो गांव बसे हुए हैं वे २ हजार फुट से लेकर १० हजार फुट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। अगर एक गांव से दूसरे गांव को जाना पड़े तो ३-३ और ४-४ मील का चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि नदियों और तलहटियों को छोड़कर जो गांव या जो आबादी है, उनकी जो पगडंडियां है, पुरानी हैं, उनका सर्वेक्षण होना चाहिए कि एक गांव को दूसरे गांव से उन गांवों की छोटी-छोटी सड़कों को मुख्य-मुख्य सड़कों से किस प्रकार से जोड़ा जाय ? जब तक यह कार्यक्रम नहीं बनेगा, मैं समझता हूं कि इन ८ जिलों में जो परेशानी हो रही है उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। मैं आलोचना की दृष्टि से कोई बात नहीं कह रहा हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए और इन ८ जिलों में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

अब मैं शिक्षा के बारे में आता हूं। जहां तक शिक्षा का जिक्र है इसमें काफी प्रगति हुई है लेकिन आबादी की दृष्टि से नहीं भौगोलिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि अभी तक जो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, बहुत कुछ करना शेष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करे। पहाड़ों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बीच में नदी और नाले पड़ते हैं छोटे-छोटे बच्चों को २-२ और ३-३ मील का फासला तय करके स्कूलों में जाना पड़ता है। कभी-कभी वे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार कम से कम प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सोचे और जिन गांवों के बीच में नदी और नाले पड़ते हैं उनमें दर्जे तीन तक पढ़ने की कोई स्कीम लागू करे ताकि उन गांवों के बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। उसी के साथ मेरी तो राय यह भी है कि वहां पर टेक्नीकल एजूकेशन की व्यवस्था हो। औद्योगिक क्षेत्र मे, तकनीकी क्षेत्र में प्राविधिक संस्थाओं का खोलना बहुत जरूरी है। इनकी संख्या इस समय बहुत कम है और इतनी कम है कि जिसको कहा जा सकता है कि नहीं है, या नहीं के बराबर है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की बड़े पैमाने पर यह भी मांग है कि वहां पर जूनियर स्कूल और हाई स्कूल खोले जायें। मान्यवर, मेरे पास उत्तरकाशी के इलाकों में जो एक क्षेत्र गाजडा कठर है वहां से बराबर चिट्ठी आती रहती है कि हमारे यहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है। वहां के जिलाधीश और डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने रिकमेन्ड भी किया है लेकिन शासन ने अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया है। मेरी राय है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक और उसमें भी लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो कि पहाड़ की आर्थिक आधारशिला है। स्त्रियां ही हैं जो पशुपालन और खेती का काम वहां पर करती हैं और जो बचपन से अपने सिरों और पीठ पर बोझ ढोती हैं जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

तीसरा उद्योग आता है पशुपालन तो जबसे तिब्बत गया तब से सत्यानाश हो गया। इस ओर जो कुछ हुआ है, सरकार ने कोशिश भी की थी। एक प्रस्ताव विदेशी नस्ल की भेड़ मंगाने का भी था। लेकिन इनके यहां चरागाह नहीं हैं, उचित प्रबन्ध नहीं है। अच्छी-अच्छी बकरियां नहीं है इसलिए पशुपालन के ऊपर जो अब तक ध्यान दिया गया वह नगण्य है। पशुपालन से ऊन मिलेगी। आज गृह उद्योग जो हैं वह चौपट हो गए हैं, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

वहां अच्छी नस्ल की बकरियां और भेड़ें पहुंचाई जायं (लाल बत्ती जलने पर) दो तीन मिनट में समाप्त करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी ।

उद्योग–धंधे वहां बहुत जरूरी ह । मंत्री जी, अभी मैंने देखा कि वहां रोजगार कितना है । आपकी जानकारी में शायद हो, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अल्मोड़ा में एक हजार में ३·६ व्यक्तियों को रोजगार है और पिथौरागढ़, चमोली में २·४, नैनीताल में ४·७, टहरी उत्तरकाशी में १·२ है, यह हैं रोजगार की दृष्टि से हालत । तो मेरा निवेदन है कि जो कुछ उद्योग चल सकते हैं वह वन–सम्पदा के ऊपर आधारित हो सकते हैं । आपने जड़ी–बूटी का नाम लिया । सिर्फ एक उद्योग है जो शायद रानीखेत में रसायनशाला है जड़ी–बूटियों की । इतने दिनों में यह उपलब्धि है आपकी जड़ी–बूटी अब लगायेंगे तो पता नहीं कब रसायनशाला खुलेगी, कब दवाइयां बनेंगी । तो इसको ऐसा स्वरूप दीजिए कि छोटे–छोटे उद्योग–धंधे ह उनको देखा जाय कि किस क्षेत्र में बढ़ाए जा सकते ह

लीसा है जो चीड़ के पेड़ों से निकलता है । मैंने देखा कि कोई पेड़ नहीं है जिसमें ५०–५० कुल्हड़ न लगे हों, बर्तन न लग हों । लकड़ी का सामान है उससे लीसा का सम्बन्ध होता है । मैं तो चाहता हूं कि हिमालय का सर्वेक्षण होना चाहिए, खनिज सम्पदा कहां और क्या–क्या मिल सकती है, उसका ध्यान होना चाहिए ।

पर्यटन केन्द्र की बात है, कितने मकान उस सम्बन्ध में बनाए गए उसका तो विभाग ने जो दे दिया वह आपने बता दिया, लेकिन कोई मूल्यांकन नहीं है । और पर्यटन केन्द्र को बढ़ाने के लिए द्रुतगति से काम होना चाहिए । अगर सीमेन्ट का अभाव है तो चूना और दूसरी चीजें लगाना चाहिए और सीमेन्ट को मांगना चाहिए सरकार से । क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सोच रहे हैं । अगर वह नहीं करेंगे तो जो खतरा है कि जसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उमड़ रहा है, पहाड़ में भी आन्दोलन चल रहा है, इसको रोकना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, नहीं तो उत्तराखंड अलग बनता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी ।

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात को खत्म करता हूं कि उद्योग की दृष्टि से सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिए और पहाड़ों में जो कच्चे माल के स्रोत हैं उनको मैदानी इलाके के पूंजीपति लूटे जा रहे हैं । आपकी वजह से नहीं वर्षों से यह हो रहा है । इसको रोकिए । पहाड़ में छोटे–छोटे लघु उद्योगों की स्थापना कीजिए तभी उस पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है ।

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । श्रीमन्, हमारे पर्वतीय विकास मंत्री जी ने कुछ योजनायें बतायीं और हमारा जो हटौनी का प्रस्ताव जिन्होंने रखा है मुझे इस बात का हर्ष है कि उन्होंने जो विवेचना की है वह बहुत ही सुन्दर है । वास्तव में उत्तर प्रदेश के सभी सदस्य. को बता देना चाहता हूं कि यह जो ८ जिलों का विकास है इसका सम्बन्ध खाली ८ जिलों से नहीं है ।

इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब तक मध्य हिमालय का विकास नहीं होगा आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा । तमाम नदियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणी बड़ोनी---]

मध्य हिमालय से ही निकलती हैं । वहां के विकास के लिए जितना दायित्व हम पर्वतीय लोगों का है उतना ही आप सभी माननीय सदस्यों का भी है । यदि आप चाहते हैं कि आपकी नहरों में पानी रहे, बाढ़ न आए, आपको बिजली मिले, तो आपको पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में सोचना पड़ेगा । मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सत्ता में आते ही पर्वतीय विकास का मंत्रालय ही अलग से खोल दिया और उसके लिए अलग से मंत्री को नियुक्त किया । जब से यह सरकार आयी है काफी काम हुए भी हैं । सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी इस सरकार ने समझा है और उनको अब पर्वतीय भत्ता भी मिलने लगा है और भी बहुत से अच्छे काम हुए है ।

जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि आप लोगों को तो इतना पैसा मिल रहा है तो कभी किस बात की है । मैं इस सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों में पर्वतीय इलाको को दी जाने वाली सहायता के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । काश्मीर से लेकर आसाम तक पर्वतीय इलाके हैं । जितना रुपया उन इलाकों को मिलता है उतना हमारे यहां हमारे इलाकों को नहीं मिलता । अरुणाचल का क्षेत्रफल ८३,५७८ वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या ४,६७,५११ है, और १९७५-७६ में सहायता मिली है ७६·५ करोड़ तथा १९७६-७७ में ६७·०० करोड़ रुपए । मणिपुर---क्षेत्रफल है २,३५६ वर्ग किलोमीटर, जन संख्या १०,७२,७५२ सहायता १९७५-७६ में १५६ करोड़ तथा १९७६-७७ में १५७·२० करोड़ । मेजोरम---क्षेत्रफल २१,०९० वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या ३,३२,३९०, सहायता १९७५-७६ में ७२·५ करोड़ तथा १९७६-७७ में ८६·७ करोड़ रुपए । इसी तरह से हिमांचल प्रदेश में क्षेत्रफल है ५५,६७३ वर्ग किलोमीटर, आबादी है ३४,६०,४३४ पंचवर्षीय योजना में सहायता है इसके लिए २,३१४ करोड़, सालाना है ४६० करोड़ रुपए । उत्तर प्रदेश में ८ पर्वतीय जिले हैं और इसका क्षेत्रफल ५,११,२२ वर्ग किलोमीटर है, आबादी भी लगभग ४० करोड़ है और आपने १९७५-७६ में दिया है २३ करोड़ तथा १९७६-७७ में दिया है ३७·७५ करोड़ ।!

हम लोग तो आज भी आपके साथ हैं लेकिन हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता---

एक मिनट में समाप्त कीजिए ।!

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी---

तो मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि हिमांचल के लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा है । लेकिन हमारे यहां टेहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पियौरागढ़ वगैरह में प्रति व्यक्ति आमदनी केवल २०० रुपए से भी कम है । ये जिले पिछड़े हुए हैं । तो मेरा निवेदन है कि टेक्नो इकोनामिक सर्वे कराया जाय । दूसरा सुझाव यह है कि जो आपकी पर्वतीय विकास परिषद् है, वहां स्टेटटरी बोर्ड बनना चाहिए । तीसरा सुझाव यह है कि पर्वतीय जिले के लिए जिस उद्देश्य से आपने पैसा लिया है, उसी उद्देश्य से बटवारा आपको करना चाहिए । आज जो पैसा पर्वतीय क्षेत्र के नाम पर आता है, श्री नारायण दत्त तिवारी ने काशीपुर वगैरह में सब लगा दिया, लेकिन हम लोगों के पर्वतीय जिले के लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया । पर्वतीय विकास के लिए बिजली का कहीं भी जिक्र नहीं आया । वहां पर बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं । बनों की रक्षा नहीं करते है । इसमें

बिजली का कोई समाधान नहीं है। इन शब्दों के साथ में बजट का स्वागत करता हूं और अन्य जो सुझाव होंगे वह लिखकर दूंगा।

*श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि जो आज पर्वतीय क्षेत्र का बजट प्रस्तुत किया गया है, सर्वप्रथम मैं वहां के जिलों और मोटर रोड के लिए सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बजट बहुत कम है, जो १८ करोड़ रुपए का जो बजट पर्वतीय क्षेत्र में मोटर रोड और पुलों के लिए रखा है, उसको कम से कम २५ करोड़ सरकार को रखना ही होगा। यदि हमें पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना है, तो वहां का विकास पूर्ण रूप से वहां के यातायात पर निर्भर है, इसलिए वहां के यातायात, मोटर रोड का निर्माण करना है। उसके लिए वहां के बजट को सरकार को बढ़ाना ही होगा। जो आज पर्वतीय बजट है, उसमें मैं सर्वप्रथम शिक्षा को लेता हूं। वहां की जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा है, वह बहुत पिछड़ी हुई है, उसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष १९७७-७८ का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल आदि की मात्रा बढ़ाई जाय और जितने विद्यालय का प्रान्तीयकरण रखा है, उनका प्रान्तीयकरण शीघ्र किया जाय, जिनको मान्यता देना है, उनको शीघ्र मान्यता दी जाय।

अब मैं स्वास्थ्य के बारे में आता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में जो अस्पताल हैं, स्टेट डिस्पेन्सरी जो खोली गयी हैं, उनके लिए सरकार की ओर से ढाई हजार रुपए का प्रति वर्ष का बजट है। स्वास्थ्य के मद में पर्वतीय क्षेत्र के लिए कम से कम १२ हजार रुपए होना चाहिए। वहां पर सरकारी अस्तपाल तो खोले जाते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का भवन निर्माण नहीं किया जाता है जिससे वहां के डाक्टरों को बड़ी परेशानी होती है।

तीसरा वहां का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भूमि का कटाव, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में इस समय भूमि के कटाव की बहुत बड़ी समस्या है। अभी पर्वतीय क्षेत्र में भू-संरक्षण विभाग खोला गया है जो इस भूमि के कटाव से संबंधित कार्य को करता है, परन्तु इस पर पर्याप्त रुपया बजट में नहीं रखा जाता है। वहां पर ऐसा है कि जिसकी भूमि का कटाव होता है, उसके लिए ५० प्रतिशत वहां के लोगों को देना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग गरीब हैं उनसे किसी प्रकार का व्यय नहीं लेना चाहिये। सरकार को देखना चाहिये कि वह पूरा व्यय भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वहन किया जाय। इसके अलावा वहां पर बिजली की समस्या है, यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी-बड़ी नदियां गंगा यमुना, सरयू मैदानी इलाकों को जल देती हैं। तो यह बड़ी-बड़ी नदियां वहां से निकलती हैं लेकिन वहां पर बिजली की समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां छोटी-छोटी विद्युत् योजनायें बनायी जायं जो छोटे-छोटे गांवों को बिजली दे सकें। और इसके साथ ही साथ हमारे यहां जल निगम की योजनायें पहाड़ पर चल रहीं हैं। उसमें ऐसा है कि कम से कम ३ या ४ हजार की जनसंख्या वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन चन्द्र---

गांवों में जल योजनायें बनायी जा रही हैं। वहां पर गांव छोटे-छोटे हैं, इसलिये इस तरह से योजनायें बनाने न्यायिक नहीं है।

जल निगम द्वारा वहां पर छोटे-छोटे गांवों में योजनायें बनायी जायं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में सबड़े बड़ी दिक्कत आधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर उपस्थित होती है। इसलिये में निवेदन करुंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर वहीं के लोगों को नियुक्त किया जाय। वहां के निवासियों के लिये पर्वतीय केडर के रूप में एक केडर बनाया जाय और वहां पर वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाय। यहां से मैदानी भागों से जो लोग जाते हैं वह रुक नहीं पाते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु और परिस्थितियां होती हैं जिनसे दिक्कत होती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को वहां नियुक्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

आप समाप्त कीजिये।

श्री पूरन चन्द्र---

मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या वहां पर यह है कि यदि वहां पर पिंडारी घाटी योजना बना दी जाय तो आठों पर्वतीय क्षेत्रों को बिजली और पानी मिलेगा और हमारा विकास आगे बढ़ेगा। पर्वतीय क्षेत्र का विकास उत्तर प्रदेश का ही विकास नहीं है राष्ट्र का विकास है। इसलिये मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहता हूं। मान्यवर, कनाघार में जिला परिषद् की जो डिसपेन्सरी है उसका शीघ्र से शीघ्र प्रांतीयकरण करना चाहिये। वहां पर मान्यवर, मोटर रोड की समस्या है। इसलिय यहां मोटर रोड ज्यादा से ज्यादा बनाई जायं। प्रतिवर्ष एक मोटर रोड ५ कि० मी० पूरी की जाय जिससे यह समस्या हल हो सके। इ के अलावा बागेश्वर में बाबू और कुदिल दो हरिजन गांव हैं। यहां पर १०० परिवार रहते हैं लेकिन इनके लिये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि वहां पर प्राइमरी स्कूल बनाया जाय। धन्यवाद।

(श्री श्याम दत्त पालीवाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप भी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

मेरे पास पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार का केस है, मैं कहना चाहता हूं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। यह मेरा निश्चित मत है कि, एक साल की अवधि में पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर घूमा हूं तो मुझसे जनसाधारण ने यह कहा है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में विकास के इतने काम नहीं हुये जितने एक वर्ष में किये गये हैं। यद्यपि सीमित साधन हैं, यह सही है। जितने साधन पिछड़े हुये पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक हैं उतने माननीय

पर्वतीय विकास मंत्री को इसके लिये उपलब्ध नहीं हैं। मान्यवर, मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा था कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह भारत में है। यदि आप कश्मीर और हिमालय में जायं तो वहां देखने के बाद जरूर कहेंगे कि स्वर्ग है। लेकिन दूसरी तरफ यह सही है कि हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र, हमारे देश और प्रदेश में भले ही सैलानियों की दृष्टि से स्वर्ग हो, किन्तु हम लोग जो वहां रहते हैं, उसकी सच्चाई को बताना चाहते हैं कि वह एक भूखा स्वर्ग है। वहां के रहने वालों को उस स्वर्ग का आनन्द और आकर्षण की अनुभूति इसलिये नहीं है कि वहां भीषण गरीबी है, उनको खाने की समस्या है। पेयजल, बिजली, सड़कें अस्पताल और स्कूलों की आवश्यकता बुनियादी है जिनका विकास होना चाहिये। वैसे इनके बारे में हमारे अन्य सहयोगियों ने कहा होगा। लेकिन मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि गांधी जी ने जिस विकेन्द्रीयकरण का स्पप्न देखा था तो उसको कहां से शुरू किया जा रहा है? मेरा तो कहना है कि इसके लिये उपयुक्त क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश है।

मान्यवर, जापान और स्वीडन दोनों ही पर्वतीय प्रदेश हैं। भारत में महात्मा गांधी के देश में हम उस विकेन्द्रीकरण का स्वप्न नहीं उतार पाये लेकिन वहां मौजूद है। स्वीडन में २२ लाख लकड़ी के काम करने वाले लोग हैं जिन्हें यहां बढ़ई कहते हैं। लकड़ी से पचासों काम होते हैं। मेरी जेब में यह जो कलम है वह प्लास्टिक का नहीं है बल्कि वह लकड़ी का है। कोई काम ऐसा नहीं है जो लकड़ी से न बनता हो। दुर्भाग्य है कि पहाड़ों से लकड़ी आती है लेकिन बरेली में उसका करोड़ों रुपये का फर्नीचर बनता है। वहां से फिर पहाड़ों को फर्नीचर सप्लाई होता है। ३० साल में हिल के विकास के लिये कोई काम नहीं किया गया है। लकड़ी से फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी गयी है। हमारे वहां खिलौने की इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर हो सकती है।

इसलिये मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि वहां यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजेज खोलने के बजाय बल्कि मेरा सुझाव है कि वहां बड़े पैमाने पर आई० टी० आई० कालेज और टेक्निकल ट्रेनिंग कालेज खोले जायं, जिसमें इस बात की ट्रेनिंग दी जाय कि लकड़ी से क्या-क्या बना सकते हैं। मान्यवर, आज वहां की स्थिति यह है कि सिर्फ नई पीढ़ी नहीं बल्कि पुरुष वर्ग ९० प्रतिशत खाली बैठा रहता है। महिलायें काम करती हैं। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार स्वीडन लकड़ी के अकेले कारोबार से इतना रिच है और समृद्ध है कि वहां हर साल भूमध्य सागर के टापू साइप्रेस उनकी यूनियन को किराये पर ले लेती हैं, और हर सरदियों में अपनी यूनियन के सदस्यों को शिफ्ट बाइज वहां मनोरंजन के लिये भेजते हैं। कितनी ऊंची समृद्धि उनकी है। मैं माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का विकास सही अर्थों में गांधी जी के स्वप्नों से हो सकता है जो उन्होंने ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीयकरण और लघु-उद्योग में देखा था। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं।

मान्यवर, असंतुलित विकास हुआ है पर्वतीय क्षेत्र का। नैनीताल जिला है नैनीताल और भाभर, ये तो पिछड़े क्षेत्र हुये लेकिन तराई में केवल आदिवासी क्षेत्र को छोड़ कर बाकी सारा का सारा इलाका उन्नति और समृद्धि का इलाका है। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने अपने जमाने में पांच साल में दस करोड़ रुपया पर्वतीय विकास का अकेले काशीपुर में खर्च कर दिया और पहाड़ की उपेक्षा की

[श्री रामदत्त शौशी–]

गयी । काशीपुर का विकास हो गया । माननीय काशीपुर की विकास की नुमाइस आप देखेंगे कभी आयेंगे तो जो इंदिरा गांधी की रायबरेली में आप को देखने को नहीं मिलेगी । इस प्रकार से पहाड़ों के साथ अन्याय किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह केन्द्र से कहे कि जो अनुदान हिमांचल प्रदेश को मिलता है केन्द्र से वह आप को भी मिले । उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री देवबहादुर सिंह––

माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है और उस पर जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर यह पर्वतीय विकास का अनुदान हमारे समक्ष रखा गया है । यह उस अंचल के विकास के लिये हैं जो अंचल प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न है लेकिन वहां के रहने वाले विपन्न हैं और उनके विकास के लिए अलग व्यवस्था की गयी और इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने इसके विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद् और विकास निगम का गठन किया जिससे कि उस अंचल का विकास हो सके । पिछली सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी थी कि हिमांचल प्रदेश के विकास में जितना पैसा व्यय होता है उतने पैसे का प्राविधान इन आठ जिलों के विकास के लिए कर दिया था । अब नई सरकार आयी है । अच्छा है । माननीय मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो ।

मान्यवर, कोई मुझ से पूछे कि पर्वतीय विकास में किस चीज की आवश्यकता सब से अधिक है तो मैं यह कहूंगा कि सब से ज्यादा पेयजल की आवश्यकता वहां है क्योंकि मान्यवर, जो मैदान हैं उनमें तो आदमी अपनी निजी व्यवस्था पानी पीने की कर सकता है लेकिन यह पहाड़ है, भाभर है, वहां ऐसा नहीं कर सकते । भाभर में कोई कुआं नहीं खोद सकता, हैण्ड पम्प नहीं लगा सकता । इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पर्वतीय अंचल और भाभर में पीने की पानी की व्यवस्था करें । इस के साथ ही हाथ यह भी कहना चाहता हूं कि एक जगह तो पानी की व्यवस्था की जा रही है, नई योजनायें चला रहे हैं लेकिन दूसरी जगह पुरानी योजनायें खराब होती जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है । हलद्वानी में मान्यवर, एक नलकूप हैं छोरखेड़ा जो दो तीन साल से खराब है, बनायी ही नहीं गयी । लोग पानी नहर से लाते हैं । मेरा निवेदन है कि इसे ठीक कराया जाय ताकि भाभर में पानी मिल सके ।

दूसरी बात मैं उद्यान की करना चाहता हूं । पहाड़ में फल पट्टी बनायी गयी । उद्यान खोले गये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि फल पट्टी के नाम पर जो क्षेत्र चुने गये वे पेड़ विहीन हो गये हैं । वहां पर ऐसे उद्यान लगायें जिनकी उपयोगिता हो और उनका लाभ उठाया जा सके । इस तरफ भी ध्यान दिया जाय कि वहां के रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन्हीं को इन कामों में लगाया जाय । दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि वहां के जिन चीजों की बड़ी मात्रा में बम्बई और दूसरी जगह ले जाते हैं उसपर आधारित उद्योग वहां पर लगाये जायं ताकि उस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा और उनको दूसरी जगह न जाना पड़े ।

एक आप की स्कीम है हाडा । इस में आपने हलद्वानी और रामनगर ब्लाकों को नहीं रखा है । मेरा निवेदन है कि इन को भी उस स्कीम में रखा जाय जिससे लोग लाभान्वित हो सकें ।

इसके बाद में कहूंगा कि मंत्री जी ने एक लाख रुपया ब्लाक को स्कूल निर्माण के लिए दिया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से यह स्कूल बनते हैं। १८ प्रतिशत वे अधिक चार्ज करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गांव सभा के माध्यम से इनको बनवायें तो २६ हजार के व्यय में ३० हजार का भवन बन सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में खड़की भवन संस्थान द्वारा सैकड़ों स्कूलों के भवन बनाये गये लेकिन एक भी ऐसा भवन नहीं है जो टपकता न हो। इसकी जांच करवायें और जितने स्कूल के भवन पहले से बन हुए हैं उनको ठीक करवाय। इसी प्रकार आपने बहुत से स्कूल और अस्पताल खोल दिये हैं। जहां जहां डिग्री कालेज हैं उनके भवन बनवायें। इसी तरह से सड़कों की बात है। सड़कों की भी कमी है।

*श्री वेवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव इस विषय में रखे हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और दो एक विशेष सुझाव और देना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं और जो बजट है वह बहुत कम है। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति बहुत विचित्र है। पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई उद्योग अपने आप में सर्वांगीण और पूर्ण हो सकता है तो वह है पर्यटन विकास। पर्यटन विकास की दृष्टि से अगर पुराना इतिहास देखें तो शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के मन्दिरों की स्थापना की। काली कमली वालों ने वहां रास्ते में चट्टियां बनाकर औषधियों और राशन की व्यवस्था कर दी थी और इस तरह से पर्यटन केन्द्र के रूप में उनका विकास हुआ था।

हमारे देश में ही नहीं विश्व में अगर बढ़िया पर्यटन केन्द्र बन सकता है तो वह पर्वतीय क्षेत्र में ही बन सकता है। पर्यटन विकास का जो बजट है ६१ करोड़ का यह तो पर्यटन विकास में खर्च होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मैं आपके माध्यम से पर्यटन विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से और अधिक पैसा इसके लिए लेना चाहिए। टेहरी के अन्दर ११ अरब का डैम बन सकता है, कालागढ़ डैम बन सकता है तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि १५०० किलोमीटर सड़क की योजना है देहरादून से लेकर नैनीताल तक सड़क बनायी जाय। इसमें ८ बड़ी-बड़ी नदियां आयेंगी। १८ ऊंची चोटियां होंगी। ८ मैदान होंगे जिनमें घुड़दौड़ के मैदान बनाये जायं। नौका विहार के स्थान यहां होंगे। १५ तीर्थ स्थान होंगे। १२५ ऊंचे ऊंचे झरने हैं। १२ जगहों में वन जन्तु विहार बनने चाहिए। इस तरह के १०१ इस बीच में बाग लगेंगे और इस तरह से देहरादून से नैनीताल का जो क्षेत्र है, इस तरह से विकसित किया जायगा। उससे उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं, पूरे भारत वर्ष और विश्व के लिये स्वीट्जरलैंड बन जावेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां बड़े-बड़े डैम से आमदनी होगी वहीं पर्यटन केन्द्रों से भी आमदनी होगी और उससे गरीबी दूर होगी। श्रीमन्, मैं दो सुझाव और देना चाहता हूं। एक तो जहां बड़े-बड़े डैम बनाये जा रहे हैं, छोटी-छोटी नदियों में छोटे-छोटे बिजलीघर बनाने चाहिये। दूसरे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री---]

६२ प्रतिशत सैनिक परिवार हैं। इसलिये वहां जूनियर हाई स्कूल, कालेज तक सैनिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि पहाड़ पर के सभी लोग बोल लें, इसलिये कृपया संक्षेप में बोलें ।

*श्री नारायण सिंह भैंसोड़ा---

मान्यवर, आपने मुझे पर्वतीय विकास के अनुदान पर बोलने का अवसर दिये इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं पहाड़ की समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र पर अगर आप नजर डालें तो पहाड़ पर समस्यायें ही मिलती हैं । इस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा । केवल जो सुझाव हैं उनको रखना चाहता हूं । आज पहाड़ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिये रोजगार के लिये बड़ी कठिनाई है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहां पर चाय के बगीचे लगाये जा सकते हैं । चाय की खेती के लिये अभी तक विचार नहीं किया गया है । टी बोर्ड ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में इस बारे में सर्वे कराया है और संस्तुतियां उनके पास हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान दे । इसके लिये बहुत यातायात की भी कठिनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि चाय की पत्ती बहुत हलकी होती है । वहां ग्राम सभा या ग्राम समाज के द्वारा यह कार्य कराया जा सकता है । दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह रेशम के उद्योग के बारे में है । वहां सिविल वन में शहतूत के पेड़ लगाये जा सकते हैं । इससे जो स्लाइड्स आ रहे हैं उसमें कमी आवेगी । वहां पर भूस्खलन होने की समस्या है इससे उसमें भी कमी आवेगी तो शहतूत के पेड़ लगाये जायं जिससे रेशम का उद्योग चल सके ।

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इस उद्योग को चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार चाय के उद्योग के लिये भी बिजली की आवश्यकता होगी । वहां पर बिजली की न्यूनता है इस कारण कोई उद्योग वहां नहीं हो सकता है । तो बिजली का प्रबन्ध किया जाय । तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर अधिकतर बांझ के जंगल होते हैं । टसर की बात कही गई है । मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाय और जहां टसर पैदा हो सकता है, पैदा किया जाय, जिससे लोग रोजगार के लिये मैदान की ओर न भागें । ताकि वहां के लोग जो मैदानी क्षेत्र में भाग रहे हैं, वे अपने घरों में ही रह कर रोजी प्राप्त कर सकें । इस समय विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वह है कि विभाग में किसी भी स्तर पर समन्वय नहीं है । मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि किस तरह से समन्वय नहीं है । कोई भी उद्योग की अगर इकाई लगाना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई आदमी लकड़ी का उद्योग करना चाहता है तो अगर वन विभाग उसको लकड़ी दे देता है तो रेवेन्यू विभाग जमीन नहीं देता या जमीन और लकड़ी मिल गयी तो ऋण नहीं मिलता या मशीन नहीं मिलती । तो इस प्रकार से उस आदमी में जो आर्थिक और शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होती है, वह समाप्त हो जाती है क्योंकि उन तमाम चीजों में सम्बन्ध नहीं है । इसलिये निवेदन है कि अगर कोई उद्योग, सरकारी स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर या पब्लिक स्तर पर लगाना चाहता है, तो उसके लिये सम्बन्धित विभागों से पहले ही विचार कर लिया जाय और सम्बन्धित विभाग द्वारा विचार कर आवश्यक जो सामग्री है, वह उसको दी जा सके जिससे कि वह उद्योग लगा सके अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक, जनजाति के लोग और हरिजन ५०,००० की संख्या में तराई और भावर के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बसे हैं । ये लोग बिना किसी स्वामित्व के वहां पर बसे हैं और उनका जीवन अनिश्चित है । अतः मैं निवेदन करूंगा कि इन ५० हजार लोगों को वहां पर जमीन पर स्वामित्व दिलाया जाय ।

अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जो माननीय ऊदल जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें आदरणीय सदन में कहा गया है कि अगर पहाड़ों की हालत सुधारना है तो वहां सड़कों के विकास की नितान्त आवश्यकता है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का संकेत किया गया था कि सम्पर्क मार्गों के लिये पर्वतीय अंचल में अधिक ध्यान दिया जायेगा । लेकिन खाली सम्पर्क सड़कों के बनाने से काम नहीं चलेगा । जहां कोई जल मार्ग नहीं, रेल या दूसरे यातायात के साधन नहीं है, वहां केवल सड़कों के माध्यम से ही यातायात हो सकता है । उसी के द्वारा पर्वतीय अंचल म स्थिति को सुधारा जा सकता है ।

माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने कहा कि हमने वहां हासपिटल्स की व्यवस्था की, विद्यालयों की व्यवस्था की, स्कूलों की व्यवस्था की । इसके लिये उन्हें धन्यवाद । लेकिन, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई बिल्डिंग का काम पहाड़ों पर नहीं कर रहा है । इस साल, मान्यवर, आपको और इस माननीय सदन को सुनकर ताज्जुब होगा, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले एक भी आगणन भवनों का हमारे पर्वतीय विकास विभाग में नहीं आया । तो मेरा सुझाव है कि जितने हास्पिटल्स हैं, जितनी भी स्कूल बिल्डिंग्स हैं, चाहे डिग्री कालेज हों, सारा काम जो अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में चल रहा है, जिनकी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके लिये एक बिल्डिंग कान्स्ट्रक्शन डिवीजन वहां खोला जाय । अल्मोड़ा या वहां के किसी भी जिले में जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल सड़कों की ओर ही तवज्ज दे रहा है क्योंकि सड़कों पर सरलता से काम हो सकता है, जहां भवनों का काम निगलेक्टेड (Neglected) है, वहां पर मेरा निवेदन है कि एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन डिवीजन खोला जाय और उस कान्ट्रक्शन डिवीजन को यह काम सौंपा जाय । अध्यक्ष महोदय, पेयजल की बात मैं कहूंगा । एस० एस० ओ० डी० ने मैथाना

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा---]

ेवी पेयजल योजना बनाई और १ करोड़ रुपया उस पर खर्च किया लेकिन किसी भी गांव में इतना व्यय करने के बाद भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका । इसका कारण यह है कि छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ हमारे जल निगम और जल संस्थान की दृष्टि नहीं है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि छोटी-छोटी योजनायें जो २५ हजार तक की योजनायें वे क्षेत्रीय समिति से बनें, ५० हजार तक की जिला परिषद् के माध्यम से बनें और एक लाख से कम की जो योजनायें हों उन पर इस तरह से काम हो जिससे पेयजल की व्यवस्था वहां हो सके ।

श्री ऊवल जी ने रानीखेत में रसायनशाला की चर्चा की जो कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के जरिये कायम की गयी है लेकिन वहां रसायन नहीं बनते हैं, सुरा का उत्पादन जरूर हो रहा है । मद्यनिषेध के जमाने में पहाड़ों की आर्थिक हालत सुधारने के लिये शायद यह सुरा कुछ काम कर दें ? जब से प्राहीबीशन हुआ है पर्यटकों का आना बन्द हो गया है । शिमला, काश्मीर तो चले जाते हैं लेकिन नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा तथा कौसानी जैसे स्थानों पर पर्यटकों के न आन से वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है । इसके माने यह नहीं हैं कि मद्य निषेध के खिलाफ में बोल रहा हूं । बी० टी० सी० के ३ हजार टीचर जो ट्रेण्ड हैं अकेले अल्मोड़ा जिले में बेकार पड़े हुए हैं जब कि वहां वैकेन्सी ५०० टीचर्स की इस वक्त भी है । उनकी ओर शासन को सोचना चाहिये ।

पर्वतीय विकास के लिये मैं क्या कहूं ? २९ मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर मैंने कहा था कि पर्वतीय राज्य को अगर अलग कर दिया जायगा तभी उसका भला होगा । जिस समय पर्वतीय विकास का अनुदान प्रस्तुत हुआ तो कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ी और प्रेस गेलरी खाली पड़ी थी । इस तरह से वहां की उपेक्षा की जाती है, उससे पर्वतीय क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है । पर्वतीय क्षेत्र का भला होने से ही राष्ट्र का तथा प्रदेश का भला होगा इस पर सरकार को विचार करना होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

मान्यवर, आपने पर्वतीय विकास अनुदान पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जब पर्वतीय विकास की बात आती है तो कहा जाता है कि ८ जिलों को ५० करोड़, ६० करोड़ रुपया दिया गया और इन करोड़ों रुपये की धनराशि सुनकर आतंक पैदा होता है । सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर गांव की हालत को वहां देखा जाय तो यह जो आपका आज ६६, ६७ करोड़ रुपये का बजट है...

श्री अध्यक्ष—

करीब-करीब १०० करोड़ का है ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

१०० करोड़ क्या अगर दुगुना भी कर दिया जाय तो भी प्रत्येक गांव में पीने के पानी की दूरी कम से कम दो किलोमीटर रह जायगी । हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है । क्या कारण है कि जो भी जवान १५ साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का हो जाता है वह बाहर निकल जाता है, इस पर किसी शासन ने ध्यान नहीं दिया, न कोशिश की । आप बढ़िया सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाते हैं लेकिन क्या वहां पर जवानों को रखने की कोशिश की, जवानों को वहीं पर इस्तेमाल करने की कोशिश की ? मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले वहां के जवानों को रोका जाय और इस तरह के उद्योग धन्धे स्थापित किये जायं जिनमें वहां के जवान वहीं के काम आयें । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां पर जो चीजें पैदा होती हैं उनके उद्योग धंधे वहीं खड़े होने चाहिये । लेकिन सवाल आता है कि इस एक साल के अन्दर वहां पर कोई भी उद्योग धंधा खड़ा नहीं हुआ । इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो नियम उद्योगों को कायम करने के लिए तैयार किये गये हैं वह वहां के लिए उपयोगी नहीं हैं ।

इस वजह से पिछले एक साल में कोई होटल, कोई इंडस्ट्री या कोई दूसरी इकाई वहां पर नहीं स्थापित हुई । इस तरह से आप चाहे ६० करोड़ दीजिए, ८० करोड़ दीजिये या एक अरब दीजिये उससे कोई रोजगार वहां के लोगों को मिलने वाला नहीं है । उससे पर्वतीय क्षेत्र को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है । तो वह रुपया हमारे किस काम का है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहाड़ों में उद्योग लगाने हैं तो इन नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा, लाइसेंस की सुविधा में परिवर्तन करना पड़ेगा । जो भी प्रोत्साहित लोग वहां आते हैं उनको वहां उद्योग लगाने के लिए सुविधा मिले यह जरूरी है ।

अब मैं आयुर्वेदिक की बात लेता हूं । हिमालय में जड़ी बूटियों का खजाना है । मान्यवर, उसके माध्यम से धनी कौन बनता है, बम्बई और कलकत्ता का व्यापारी । जड़ी-बूटियां वहां से ले जाते हैं और बबम्ई में जाकर व्यापार करते हैं । पहाड़ों से कस्तूरी मृग गायब हो गया है, वहां के जो नर्म छाल के जानवर हैं वह सब गायब हो गये हैं । मैंने तो सुना है कि यह इंग्लैंड तक जाता है । इसलिए निवेदन है कि आप इस पर विचार करें और जो जड़ी-बूटियां वहां पैदा होतीं हैं उसके उद्योग वहीं पर लगायें । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं आज से ६ महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि चमोली में एक आयुर्वेदिक विद्यालय कायम होगा, एक रिसर्च सेन्टर होगा और जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां वहां पर होती हैं उन पर शोध होगी । मैं समझता हूं कि वह जुलाई माह तक आरम्भ हो जायेगा ।

अब मैं पर्यटन पर आता हूं । पर्यटन तो हमारे हाथ से निकल गया है । यातायात भी निकल गया है । आज हम अगर दो मील जाना चाहते हैं तो गाड़ी नहीं मिल पाती है । एक चमचमाती डीलक्स गाड़ी हमारे सामने से निकल जाती है । लेकिन अगर एक बहन अपने मायके जाना चाहती है तो दो मील दूर के लिए उसको गाड़ी नहीं मिलती है । तो एक करोड़ रुपये की योजना से हमको क्या लाभ होगा । जो हमारी जमीन थी वह छीन ली गई । लोगों के मकान टूट गये । अगर एक बीमार बच्चा अस्पताल नहीं जा सकता है तो इस योजना से हमें क्या मिलने वाला है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मैं एक मिनट और लूंगा। बड़े-बड़े होटल ग्रुप लगा रहे हैं, बड़े-बड़े काम्प्लेक्सेस कायम कर रहे हैं लेकिन आपने हमारी रोटी छीन ली। छोटे-छोटे चाय के दुकानदार जो थे उनका व्यापार समाप्त हो गया। सरकार ने बड़े-बड़े होटल बना दिये उससे उस गरीब का क्या लाभ हुआ? इसलिए आप वही काम वहां पर करें जो छोटे-छोटे आदमी कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप होटल का काम उन बेरोजगार लोगों को दीजिये जिनके पास कोई साधन नहीं है ताकि उनको रोजगार मिल सके और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री कमल किशन पान्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुकारा। मैंने सोचा था कि आज भी उठक बैठक ही रह जायेगी। क्योंकि आप समय कम दे रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। किसी भी इलाके के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहां के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाय कि वहां की इकोनामी सेल्फ जनरेटिंग हो सके। केवल कुछ विशेष अनुदान देने से या स्कूल बना कर उसका विकास नहीं हो सकता है जब तक वहां पर उपलब्ध खनिज पदार्थों का विकास कर वहां पर उसके उद्योग न लगाये जायं। जिससे वहां के लोगों की परकैपिटा इनकम बढ़े और उस इलाके के लोग वहीं पर जीवन निर्वाह कर सकें। जब तक यह व्यवस्था कायम नहीं की जाती, तब तक किसी भी इलाके का विस्तृत रूप से विकास सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि पहाड़ों के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि हम यह नहीं जानते कि पहाड़ों की क्षमता क्या है। अखबारों में कभी निकल जाता है कि फलां-फलां पहाड़ी क्षेत्र में यूरोनियम उपलब्ध है, कभी निकल जाता है कि कहीं कापर उपलब्ध है। लेकिन समुचित रूप से और निश्चित रूप से कभी यह मालूम करने का प्रयास नहीं किया जाता कि वहां पर क्या-क्या चीजें उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर वहां का विकास और इंडस्ट्रलाइजेशन किया जा सकता है। पहाड़ों के विकास के लिए इन्डस्ट्रलाइजेशन आवश्यक है, जैसा कि ऊदल जी तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा। वहां पर कृषि की इतनी अधिक समस्या है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां खेत बिखरे हैं, पानी की कमी है, प्लेट लैन्ड की कमी है। अतः वहां के निवासियों के लिए कृषि से हटकर औद्योगीकरण की तरफ जाना आवश्यक है और जब तक हम उधर नहीं जाएंगे, वहां का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पूरे पहाड़ों का टेक्नो सर्वे करायें ताकि आपको मालूम हो जाए कि वहां पर कहां-कहां, कौन-कौन उद्योग लग सकते हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा बल विद्युतीकरण पर देना है, क्योंकि औद्योगीकरण बिना ऊर्जा के साधनों के सम्भव नहीं है। यहां से कोयला आदि ले जाना दूरी, अत्यधिक व्यय आदि की दृष्टि से उचित नहीं है, उससे कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है और नतीजा यह होता है कि वहां कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं करना चाहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपके जो विकास नियम बने हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे उस पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाएं यानी वह इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि इलाके का कितना विकास हो रहा है अपेक्षाकृत इसके कि उनको कितना आर्थिक लाभ हो रहा है। जहां तक हमारी बात है वहां पर प्राइवेट इन्टर प्रेन्योर खुद आकर उद्योग लगा ले और हमें सरकार से या निगम से कहने की जरूरत ही नहीं होगी कि वह वहां पर इंडस्ट्रीज लगाए। सरकार या निगम के सामने आने की, उनके द्वारा उद्योग लगाने की आवश्यकता वहीं होती है, जहां शंका हो कि मुनाफा नहीं प्राप्त होगा। हमारे यहां गंगोली हाट में एक सीमेन्ट फैक्टरी लगने जा रही थी, लेकिन कारपोरेशन ने यह कह दिया कि शायद उससे प्राफिट नहीं होगा, पूरा प्राफिट नहीं होगा और मामला जहां का तहां ठहर गया। प्राफिट होता है पूरा प्राफिट होता तो हमें आपसे यह कहने की आवश्यकता ही न होती कि आप उद्योग लगाएं, कोई प्राइवेट उद्योगपति वहां पर कारखाना लगा लेता और वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता है। इन कारपोरेशनों की आवश्यकता इसीलिए है कि यह और उद्योगों के लिए रास्ता खोल सके, ताकि रिस्क इनके जिम्मे पड़े। यह इंडस्ट्री लगाते हैं और इलाके का विकास होता है, भले ही इनको प्राफिट नहीं होता है, तो भी इनको अपने उद्देश्य की पूर्ति समझना चाहिये। यह कार्य उन्हें अपना कर्त्तव्य समझकर करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

(श्री श्यामदत्त पालीवाल के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह पर्वतीय मामला है, आप बैठें, अब समय नहीं है।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घटा बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र तथा अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

इस पर साढ़े पांच बजे मुझे विवाद समाप्त कर मतदान कराना है क्योंकि आध घंटा, नियम ५१ की सूचनायें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक घंटे का समय छः बजे तक ही तो है। बोलना चाहें आप लोग बोलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं।

श्री श्यामवर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा । आप देखिए कार्य-मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसमें है कि पर्वतीय विकास के अनुदानों के लिए एक दिन का समय होगा । एक दिन के माने हम समझते हैं कि कम से कम व्यवहारिक रूप से ४ घंटे होते हैं । हम जानते हैं, सचिव जी, किताब खोल रहे हैं । वफा १५ को देख लेंगे, ११ बजे अगर शुरू होता है तो पांच बजे अन्त होता है । यह भी आप स्वयं जानें, इस सदन में एक विशेष काम के लिए दो घंटे समय लगा दिया गया तो कम से कम यह जो पर्वतीय विकास का महत्वपूर्ण मामला है उसको न कम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि पर्वतीय मामलों में बातें कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के शासन में आने के बाद यह घोषणा की गयी कि प्रेस स्वतन्त्र हो गया है, लेकिन मुझे कहने में बहुत दुख होता है पर्वतीय विकास विभाग के द्वारा जो कार्य होता है प्रशासन से सम्बन्धित उसमें सेन्सरशिप लगी है । पर्वतीय विकास, विभाग में "हिल एरियाज न्यूज लेटर" छपता है । इसमें सेन्सरशिप इस तरह से लगी हुई है कि अप्रैल, १९७७ में, बृज खंडेलवाल, इसके असिस्टेंट एडिटर है, उन्होंने पृ० १३ पर लिखा--"जनता की साझेदारी आवश्यक--अब तक अधिकांश योजनाएं प्रदेश की राजधानी में बनती हैं तथा उन योजनाओं को नौकरशाह बनाते हैं जो अन्य देशों के पहाड़ों के बारे में अधिक जानते हैं तथा प्रदेश के पहाड़ों के बारे में कम ।" कुछ अधिकारीगण विदेशों से यात्रा करके आये हो सकता है कि इन पर आरोप लगाया हो । यह पर्वतीय विकास की यहां की पत्रिका है । लेकिन क्या हुआ ? जो सचिव महोदय पंत जी थे उन्होंने एक पत्र लिखा ऐसे आदमी के नाम जिस आदमी का इस पत्रिका से कोई भी लेना देना नहीं था । उन्होंने कहा कि यह छपा कैसे। उसका रेजल्ट निकला कि बृजखंडेलवाल को असिस्टेंट एडीटर शिप से इस्तीफा देना पड़ा । अगर यह बात गलत थी तो इस चीज को उस पत्रिका में बहस के रूप में चलाया जा सकता था । दूसरे इसमें खास बात यह थी कि पत्रिका को छापते थे, जी० सी० भार्गव, डायरेक्टर, कंसोलियम प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली । मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो कहते हैं कि उनकी प्रेस सम्पादक की जिम्मेदारी है और इस पत्रिका को छापने की जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय, प्रबन्ध सम्पादक श्री बी० एस० सिंह हैं, जो सचिव एवं आयुक्त हैं और सम्पादक श्री चन्दर मेहरा हैं, सहायक सम्पादक, बृज खंडेलवाल रत्ना सहाय हैं और ले आउट के लिए श्री के० जी० सिंह हैं । कंट्रीब्यूटिंग एडिटर में भी भार्गव साहब का नाम नहीं था । मैंने सोचा कि शायद प्रकाशक में हों। तो प्रकाशक, आयुक्त एवं सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हैं । मैंने सोचा शायद प्रिंटर हों । तो प्रिंटर पर्नासिस पब्लिशर्स एंड प्राइवेट लि०, एच० एस० ५०, कैलाश कालोनी मार्केट, नयी दिल्ली हैं । तो यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से यहां के सचिव और आयुक्त जो थे उन्होंने जी० सी० भार्गव को पत्र लिखा । ठीक है छापने का ठेका जी० सी० भार्गव ने लिया था लेकिन उसको एडिट करने का काम तो उनका था नहीं । जो लेख में गलती थी उन्हें बतानी चाहिए थी, यह नहीं किया गया और एडीटर से जबरदस्ती इस्तीफा

दिलवा दिया। एक बात और है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पर्वतीय विभाग में आन्दोलन चल रहा है, चिपको आन्दोलन उसको कहते हैं। एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आया था। उसमें था कि पूरे देश के लिए ३३ प्रतिशत जंगल होने चाहिये, लेकिन हैं २२ प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में जंगल १७ प्रतिशत हैं, लेकिन फिर भी लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। उस मीटिंग में जो हिमालय के बारे में हुई थी कहा गया कि हिमालय की वन संपदा को बरबाद और नष्ट करना अक्षम्य भूल होगी। अगर हिमालय की वन संपदा को नष्ट कर दिया गया तो वह दिन दूर नहीं कि मूल्यवान सौंदर्य और सम्पदा नष्ट हो जायेगी। उत हिमालय का मूल्यवान आकर्षण नष्ट हो जावेगा और उसका सौन्दर्य अपने अतीत की वस्तु बनकर रह जायेगा।

हमारे यहां कालीदास जैसे महान विद्वान हो गए हैं और अंग्रेजों के जमाने में जिम कारबेट ने इन जंगलों का वर्णन किया है और उनकी सुरक्षा से ही हमारा भला हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने एक आना में एक पेड़ सहारनपुर स्टार पेपर मिल को बेच दिया था। माननीय, एक आने में एक पेड़ दे दिया। माननीय, होना तो यह चाहिए था कि अगर एक पेड़ काटा जाता है तो पांच पेड़ लगाये जायें। अभी भी लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। वहां के नवजवान पेड़ों से चिपट जाते हैं कि पेड़ नहीं काटने देंगे। नैनीताल में आग लग गयी तो वहां के विद्यार्थियों को पकड़ा गया और मारा गया, मंत्री जी जब वहां पर गए थे तो लाठी चार्ज हुआ था। हमें हिमालय को बचाना है। जो चिपको आन्दोलन चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि पेड़ न काटे जायें। उनकी बातों को सरकार को गम्भीरता से सुनना चाहिए। अगर पहाड़ों को ऊंचे उठाना है और हिमालय को बचाना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया विरोध में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं और वह भी पक्ष में ही बोले। माननीय, पहाड़ों का विकास कैसे हो और वहां की जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाये, मैं समझता हूं इस पर लोगों की भावनायें आ गयी हैं। पहाड़ों की जो हालत है उसको दो ही तरह से आंका जा सकता है। एक तो परकैपिटा इनकम कितनी है इस ओर गौर करना चाहिए। अगर हम गौर करें तो पायेंगे कि अल्मोड़ा में १७६, पिथौरागढ़ में १७६, गढ़वाल में १९४, चमोली में २९४, नैनीताल में ४३४, पौड़ी गढ़वाल में १२६, उत्तरकाशी में १२९, देहरादून में ४२८ हैं। मेरा कहना है कि टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। उनकी परकैपिटा इनकम और स्थानों की अपेक्षा कम है। इसलिए इन जिलों की ओर ध्यान देना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक उद्योग धंधों की बात है मैंने कहा था कि सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास किया जाय। इसके लिए सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां पर बड़े-बड़े उद्योग तो स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, भले ही कोई बड़ा पूंजीपति जाकर लगा दे, लेकिन नहीं हो सकते हैं। इसलिए वहां पर औद्योगिक विकास के लिए पर्वतीय विकास द्वारा माननीय मंत्री जी सर्वेक्षण करा लें। जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने भी किया है। ऐसे उद्योग धंधे सहकारिता के जरिए, समितियों के द्वारा

[श्री ऊदल--]

श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा वहां पर स्थापित कराये जा सकते हैं। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो उनका विकास हो सकता है। माननीय मेहरा जी ने या किसी और माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने लिंक रोड्स के बारे में कहा है। मैंने तो यह कहा था कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो हजारों फिट की ऊंचाई पर बसे हैं, वहां पर आने-जाने के रास्ते नहीं है, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में बहुत समय लग जाता है तो वहां पर जो पुरानी पगडंडिया हैं, उनको पक्का बनाया जाय और उन रास्तों को बड़ी-बड़ी सड़कों से जोड़ा जाय। जहां तक बड़ी-बड़ी सड़कों का प्रश्न है वह तो निहायत ही जरूरी है क्योंकि जब तक बड़ी सड़कें नहीं बनेंगी तब तक पहाड़ों का विकास नहीं हो सकता है।

दूसरे वहां पर छोटे-छोटे बिजली के पावर हाउस लगाने की आवश्यकता है। अगर आज भी आप वहां पर देखें तो पायेंगे कि शहरों को छोड़कर बिजली का बड़ा अभाव है। छोटे-छोटे पावर हाउस वहां पर स्थापित करके हम बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जब बिजली का उत्पादन काफी होने लगेगा तो मैं समझता हूं कि वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलाने वालों को भी काफी सहायता मिलेगी। इस प्रकार की भावना भी माननीय सदस्यों ने सदन में व्यक्त की।

मैं जोशी जी की राय से सहमत नहीं हूं कि पहाड़ों में यूनिवर्सिटियां और डिग्री कालेजेज न हों। यह तो पुरानी परम्परा की बात है जिसे जोशी जी ने कहा। पढ़ाई लिखाई से, साक्षरता से, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अगर वे पढ़े-लिखे नहीं हैं तो न तो उद्योग धंधे ही चला सकते हैं और न अच्छी खेती ही कर सकते हैं और कहीं जाकर कल कारखानों में भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है। मेरा सुझाव है कि जहां पर डिग्री कालेजेज हैं, या इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं वहां पर सरकार छात्रावासों की भी व्यवस्था करने की कृपा करे क्योंकि पहाड़ों में दूर दूर से आकर छात्र डिग्री कालेजेज में और इन्टरमीडिएट कालेजेज में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको दूर दराज से आने जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। मैं समझता हूं काफी सुझाव इस बारे में माननीय सदस्यों ने भी दे दिए हैं। मेरा मतलब हरगिज यह नहीं है कि वहां पर जो उतार चढ़ाव की कृषि है, उसको छोड़ दिया जाय।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि का विकास नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा। वैज्ञानिक तरीके से कुछ हो सकता है लेकिन जो कृषि के क्षेत्र हैं अगर उनकी मेड़ बन्दी कर दी जाय तो उपजाऊ जमीन को बचाया जा सकता है और अगर उनको बहाते चले जायेंगे तो जो कुछ है भी, वह भी नष्ट हो जायगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस भूमि का संरक्षण होना चाहिए ताकि उसकी उर्वरा जो शक्ति है वह क्षीण न होने पाये। तब जाकर हम कृषि का जो क्षेत्र है उसका विकास कर सकते है। पेय जल की समस्या बहुत जटिल है। माननीय सदस्यों ने बताया कि कुछ कार्य इस दिशा में हुआ है उसमें काफी त्रुटियां रही हैं। उसकी जांच होनी चाहिये और उन त्रुटियों को दूर करें। छोटे-छोटे पेय जल के टैंकों की व्यवस्था होनी चाहिये, रिजरवायर बनाकर प्रबन्ध किया जाय। गांवों में मैंने देखा कि टैंक बनाये गये हैं। लोहे के रिजरवायर बनाये गये हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बड़े पैमाने पर आज करनी चाहिये। और उसको प्राथमिकता इसलिए देनी चाहिये, बहुत से माननीय सदस्य मुझ से सहमत नहीं होते, उनका कहना है कि ६०-७० करोड़ रुपया पहाड़ को दे दिया जाता है। लेकिन हिमालय हमारे देश का सिरमौर

है और हमारे पूरे भारतवर्ष का रक्षक है। अगर हिमालय और उसकी तलहटी के रहने वाले लोग खुशहाल नहीं रहेंगे, उनको भर पेट भोजन और अच्छा वस्त्र नहीं मिलेगा तो हिन्तुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हमको संकीर्णता से उठकर के पहाड़ के लिए जो कुछ संभव हो वह ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये। इसलिए मैंने भी सुझाव दिया, अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि दर्जे तीन तक और हाई स्कूलों की बहुत आवश्कता है। इंटर कालेजों की भी आवश्कता है। गरीब इतने हैं कि प्राइवेट तरीके से लोग स्कूल आदि नहीं खोल सकते, इसलिए सरकार का कर्त्तव्य होता है कि हाई स्कूल, इंटर कालेज और बहु-धंधी संस्थाएं टेक्निकल स्कूलों और दूसरे प्रकार के स्कूलों का इन्तजाम किया जाय और कल-कारखाने भी खुल सकते हों तो वे भी खोले जायं।

इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को प्रेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आदरणीय सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)--

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने कई मूल्यवान सुझाव दिए और जो कुछ आलोचना भी हुई है कटौती के प्रस्ताव के संबंध में वह न होती यदि समय अधिक होता। समय की कमी के कारण मैं उन सभी कार्यक्रमों पर पूरा प्रकाश नहीं डाल सका जो हमारे चलते आ रहे हैं और इस साल भी लिये गए हैं। जैसा औद्योगीकरण का प्रश्न है। वह बुकलेट में सब दिया हुआ है।

आपने कहा कि द्रुतगति से विकास नहीं हो रहा है। तो द्रुत गति तो यह सीमित हो जाती है, सीमित साधनों के कारण। वित्त की कमी है, पर्याप्त धन नहीं है। आपने आश्चर्य प्रकट किया, ऊबल जी ने, कि ५ महीने में ५६ करोड़ का परिव्यय पूरा हो गया। यह ५६ करोड़ का परिव्यय इसलिए पूरा हो गया कि कुछ चालू योजनाएं हैं जो चलती आ रही हैं। नया तो केवल साढ़े चार करोड़ का था, बाकी पुरानी स्कीमें चलती आती हैं जिनको खर्चा देना पड़ता है। इसलिए आश्चर्य करने की बात नहीं है।

यह सुझाव दिया गया कि खेतों में हर साल मिट्टी, खाद बह जाती है, भू-संरक्षण का कार्य बहुत जरूरी हो जाता है। तो १९७७-७८ में लगभग ६८ लाख रुपया कृषि विभाग के द्वारा भू-संरक्षण की मद में और लगभग ५० लाख रुपया वन विभाग के द्वारा इस सम्बन्ध में खर्च कराया गया है और १९७८-७९ में १.१५ लाख कृषि विभाग द्वारा ४,५०० हेक्टेयर में और काम होगा और ६० लाख रुपया वन विभाग से भी खर्च करा रहे हैं। तो यह भी चला आ रहा है।

बागवानी के सम्बन्ध में कहा गया कि लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है, तो वह भी दिया जा रहा है। हमारी एक यह भी योजना है जिसके अन्तर्गत हम प्रत्येक ब्लाक को एक लाख रुपये का दीर्घ कालीन ऋण देते हैं जो छोटे-छोटे उद्यानपतियों को दिया जाता है। सम्पर्क मार्गों के लिए भी योजना है। उनको बनाकर उद्यानों को उनसे जोड़ा जा सकता है। उत्तरकाशी और टेहरी में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। वहां ५ ब्लाक ऐसे हैं जहां जन-जाति के लोग रहते हैं और वह बहुत पिछड़ा इलाका है। ये ५ ब्लाक काफी पिछड़े हैं। उनके विकास के लिए भी हमारी योजना है। यह योजना लगभग ६ करोड़ रुपये की है। चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे बागवानी का हो, सभी के विकास पर

[श्री शोबन सिंह जीना]

हमारा ध्यान है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे ह। यातायात की और सड़क की कठिनाइयों को भी धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। यह एक कठिन काम है।

शिक्षा के संबंध में नदियों पर पुल न होने के कारण छोटे बच्चों को तकलीफ होती है। इसके लिए भी हमारा कार्यक्रम है और उसके अन्तर्गत हर ब्लाक को १ लाख रुपया छोटी-छोटी पुलियां बनाने तथा मार्गों को ठीक रखने के लिए ही दिया जाता है।

टेक्निकल शिक्षा के लिए भी अधिक से अधिक आई० टी० आई० और पोलीटेक्निक संस्थायें खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं। १९७७-७८ में दो आई० टी० आई० खोले भी हैं।

पशुपालन का भी हमारा पूरा कार्यक्रम है, उस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। ऊन के उत्पादन के लिए भी भेड़ों की नस्ल सुधारने का कार्यक्रम है। चमोली, अल्मोड़ा तथा अन्य जगहों पर इसका प्रयास किया जा रहा है।

उद्योगों के लिए भी हमने काफी कुछ किया है। गढ़वाल विकास निगम और कुमायूं विकास निगम दोनों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुमायूं विकास निगम ने भीमताल में एक टेलीविजन को असेम्बिल करने का कारखाना लगाया है और भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं। चम्पावत में १६ लाख रुपए का एक कारखाना लगने जा रहा है जिसमें काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। गढ़वाल मंडल में बहुत से टूरिस्ट्स कोच खरीदे गए ह, जिनमें टूरिस्ट्स को बद्रीनाथ और केदारनाथ ले जाने का काम होता है। (व्यवधान) काष्ठ कला की चीजें बनाने के लिए भी उद्योग लगाये जा रहे हैं उनमें कलात्मक चीजों को भी तैयार करवाया जायेगा। फ्रूट मारकेटिंग के लिए भी पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है। बम्बई में कोल्ड स्टोरेज बनाने को स्वीकृति हो चुकी है। उसके लिए जमीन खरीद ली गयी है। गाजियाबाद में भी एक कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी सुझाव दिए गए, उन सब पर कार्य हो रहा है। जो-जो आलोचनाएं माननीय सदस्यों ने की, मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि उन सब पर कार्य हो रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आठों जिलों के सर्वे की बात कही। इन आठों जिलों के लिए नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा ग्रोथ सेन्टर्स एण्ड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल पर रिपोर्ट बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ के लिए ऐन इम्प्लायमेंट ओरियंटेड टेक्नो-इकोनामिक सर्वे-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन, न्यू डेलही द्वारा बनाई गयी है।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि लघु उद्योग में प्रसार हो रहा है। कालीन के काम में हम प्रसार कर रहे हैं। यह ऐसा काम है जो घर-घर हो सकता है। यह काम पहले से ही जन जाति के लोगों में होता आ रहा है, परन्तु उन स्थानों पर जहां पर यह काम नहीं होता था, वहां पर भी इस काम को करने के लिए लोगों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिन स्थानों पर यह कालीन का काम नहीं होता था, उन स्थानों पर उसके प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोल रहे हैं।

इन आठ जिलों में इस वर्ष हम कम से कम १५-१६ सेन्टर्स ऐसे बना देंगे जिनमें कालीन बनाने का काम होगा, फिर यह काम घर-घर फैलेगा, हम ऐसा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

माननीय पालीवाल जी हिल न्यूज लेटर के सम्बन्ध में कहा । उस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि यह न्यूज लेटर जुलाई, १९७७ के पहले का है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल--

इसके पहले जो गड़बड़ी हुई थी, उसकी जांच करायेंगे और जंगलों में जो पेड़ों का कटान हो रहा है, उसको रोकेंगे ?

श्री शोबन सिंह जीना--

यह वन विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, अब आप कृपया समाप्त कीजिए ?

श्री शोबन सिंह जीना--

मैं माननीय ऊदल जी से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों को देखते हुए अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी आप अपना प्रस्ताव ले वापस रहे हैं ?

श्री ऊदल--

अरे नहीं, श्रीमन्, वापस ले लेंगे तो जो काम हो रहा है, वह भी नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-४४ सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-४४ विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७१,४३,०८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[श्री अध्यक्ष—]

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–७७—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–७७ विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २४,९१,२४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम ५१ की सूचनाओं को ले रहा हूं । एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई में खोलने की कुल सचिव की घोषणा से छात्रों एवं अभिभावकों में भारी असंतोष के सम्बन्ध में दी है । इसको मैंने स्वीकार किया है ।

माननीय शिक्षा मंत्री इस पर वक्तव्य कल तक होना चाहिये ।

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश)—

मैं इसको कम्बे कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

उनसे कहिए कि २९ को दे दिया जाय ।

प्रदेश के होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिए किये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा । केवल पांच मिनट चाहिए ।

श्री बाबू बक्शे (जिला कानपुर)—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण आप दे दीजियेगा ।

श्री कल्याण सिंह--

यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ दीजिए ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जनता सरकार के सत्ता में आने से पूर्व चिकित्सा पद्धतियों के विकास के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार का एकांगी दृष्टिकोण विगत तीस वर्षों से चला आ रहा था । फलत: भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की उपेक्षा होती रही । परिणाम यह हुआ कि होम्योपैथी चिकित्सा सुविधा और होम्योपैथिक शिक्षा-दीक्षा का सम्यक विकास सम्भव नहीं हो सका । उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में होम्योपैथी की सस्ती, सुलभ और लाभकारी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता होते हुए भी इस पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया । एक लम्बी अवधि में प्रदेश में केवल एक होम्योपैथिक कालेज का ही प्रान्तीयकरण किया गया । अब तक प्रदेश में १५ होम्योपैथिक गैर सरकारी कालेज स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं । होम्योपैथिक छात्र, होम्गोपैथिक की चिकित्सा व्यवस्था एवं शिक्षा-दीक्षा आदि के सुधार और विकास के लिए विगत कितने ही वर्षों से आन्दोलन करते रहे हैं । जनता सरकार के शासनारूढ़ होने पर भी होम्होपैथिक चिकित्सा व्यवस्था तथा शिक्षा-दीक्षा के उन्नयन और विकास के लिए छात्रों ने पुन: आन्दोलन किया और शासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया । शासन ने होम्योपैथिक शिक्षा-दीक्षा से सम्बन्धित समस्त समस्याओं पर छात्रों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया और उनके निराकरण के लिए समयबद्ध तथा उदार नीति अपनाने का निश्चय किया ताकि इस सस्ती एवं लाभकारी चिकित्सा पद्धति का प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो सके और होम्योपैथिक शिक्षा-दीक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सके । होम्योपैथिक छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनकी विभिन्न मांगों को स्वीकार करते हुए शासन ने उनके समाधान के लिए तात्कालिक ठोस एवं क्रियात्मक कदम उठाये और ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रदेश में एक नई दिशा मिलेगी और उसके प्रचार और प्रचार का द्वार खुलेगा । छात्रों की मांगें और उन पर शासन द्वारा लिए गए निर्णयों का विवरण निम्न प्रकार है ।

(१) स्वतंत्र होम्योपैथिक निदेशालय का गठन--छात्रों की यह प्रमुख मांग थी कि आयुर्वेदिक/यूनानी तथा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिए इनके पृथक्-पृथक् निदेशालय वर्षों से कार्यरत हैं, परन्तु होम्योपैथी का अपना कोई निदेशालय इस प्रदेश में कार्यरत नहीं है । होम्योपैथिक के पृथक् निदेशालय हेतु सम्यक रूप से विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एवं उसकी शिक्षा आदि के सर्वांगीण विकास के लिए होम्योपैथिक का एक पृथक् निदेशालय स्थापित कर दिया जाय । तद्नुसार स्वतंत्र होम्योपैथिक निदेशालय के गठन हेतु शासन द्वारा आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं ।

(२) गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण--होम्यो-पैथिक छात्रों की दूसरी मांग यह थी कि प्रदेश के सभी १५ होम्योपैथिक कालेज

[श्री कल्याण सिंह]

का प्रान्तीयकरण कर दिया जाये । यह कालेज प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनके सामने दर्शायी गई संख्या में कार्यरत हैं—

लखनऊ	१
कानपुर	२
इलाहाबाद	२
जौनपुर	३
आजमगढ़	२
गाजीपुर	२
मुरादाबाद	१
बिजनौर	१
फैजाबाद	१

शासन ने विचारोपरांत छठीं पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण का निश्चय किया है । इन कालेजों के प्रान्तीयकरण एवं उससे सम्बद्ध समस्त पहलुओं पर विचार करने एवं संतुतियां देने हेतु शासन ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है । जो कार्यरत है । इस समिति में प्रदेशीय सरकार के स्वास्थ्य, वित्त, न्याय एवं नियोजन विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारत सरकार के होम्योपैथिक सलाहकार एवं अन्य होम्योपैथिक विशेषज्ञ भी सम्मिलित किए गए हैं । इस समिति के द्वारा अब तक १५ में से ११ होम्योपैथिक कालेजों का निरीक्षण किया जा चुका है तथा शेष ४ का निरीक्षण शीघ्र ही सम्पन्न किया जायेगा। इस समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

(३) होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टर-मीडिएट साइंस (बायलोजी) हो—होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध प्रदेश के सभी गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों में ४ वर्षीय बी० एम० एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल (साइंस) अथवा अन्य वर्ग में इन्टरमीडिएट थी । केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् की संस्तुतियों के आधार पर शासन ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है तथा शैक्षिक सत्र १९७७-७८ से प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट साइंस (बायलोजी) की अर्हता निर्धारित कर दी गई है तथा प्रवेश हेतु आयु तथा मेरिट का आधार भी निर्धारित कर दिया गया है ।

(४) होम्योपैथिक कालेजों में शिक्षा व्यवस्था एक शिफ्ट में की जाये—प्रदेश के कतिपय गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों में शिक्षा व्यवस्था तीन-तीन शिफ्टों में होती थी जिसमें नियमित (रेगुलर) छात्रों को शिक्षा पर अपेक्षित ध्यान नहीं जा पाता था । छात्रों की इस मांग पर भी विचार किया गया और यह आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं कि इस वर्ष से किसी भी कालेज में एक से अधिक शिफ्टों में जात्रों का प्रवेश न किया जाये । यह भी आदेश निर्गत किए गए हैं कि यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए जो वर्ष १९७६-७७ तक भर्ती हो चुके हैं, जब तक वह डिप्लोमा कोर्स पूरा नहीं कर लेते पूर्ववत् पढ़ते रहेंगे और यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा ।

(५) कालेजों में छात्रों का प्रवेश सीमित किया जाये---छात्रों की इस मांग के माध्यम से शासन की जानकारी में यह बात लाई गई कि गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश भारी संख्या में कर लिये जाते थे जिनकी व्यवहारिक शिक्षा के लिए कालेजों में उचित प्रबन्ध नहीं है। इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के बाद यह आदेश निर्गत कर दिये गये हैं कि १९७७-७८ से छात्रों के प्रवेश उन कालेजों के अस्पताल में उपलब्ध शैय्याओं में २ छात्र=१ शैय्या के अनुपात में किये जायें ।

(६) होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को भंग किया जाय और उसके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराई जाय---इस परिषद् की तमाम अनियमिततायें शासन की जानकारी में लाई गई । सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद शासन ने एक अध्यादेश दिनांक ८-८ १९७७ जो कि अब अधिनियम बन चुका है, के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को विघटित करके उसमें एक नियंत्रक की नियुक्ति कर दी है जिसे इस परिषद् की समस्त शक्तियां प्रदत्त हैं, यह व्यवस्था परिषद् के प्रशासन को चुस्त, निष्पक्ष तथा प्रगतिशील बनाने के आशय से की गई है । विघटित बोर्ड के द्वारा पूर्वकृत कार्यों की जांच हेतु विशेष सचिव, चिकित्सा की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित कर दी गई है जो शीघ्रातिशीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट शासन को देगी ।

(७) छात्रों की परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा ली जाये---प्रदेश के सभी १५ गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेज चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है । यही परिषद् अभी तक डिप्लोमा की परीक्षायें भी सम्पन्न कराती थी । इस परिषद् द्वारा परीक्षाओं के संचालन में घोर अनियमितताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए गए । शासन ने छात्रों की इस मांग पर गम्भीरता से विचार किया एवं इन परीक्षाओं की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया । एतदर्थ उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ में आवश्यक संशोधन करके उसके अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करते हुए कानपुर विश्वविद्यालय को बी० एम० एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षायें लेने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ।

(८) प्रदेश में होम्योपैथिक शोध संस्थान की स्थापना---होम्योपैथिक चिकित्सा में अनुसंधान/शोध कार्य हेतु इस प्रदेश में राजकीय स्तर पर कोई भी शोध केन्द्र नहीं है । छात्रों की यह मांग थी कि प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के समुचित विकास और प्रसार हेतु एक शोध संस्थान स्थापित किया जाय । इस हेतु ५ होम्योपैथिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी गई है जो होम्योपैथिक अनुसंधान के सारे पहलुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत करेगी । इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही उक्त समिति की संस्तुतिय प्राप्त होने पर की जायेगी ।

(९) अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति समुचित होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायं---प्रदेश में प्रत्येक वर्ष राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है । वर्ष १९७७-७८ में भी ३० राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की गई है तथा वर्ष १९७८-७९ में भी ३० राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का प्राविधान है । वर्तमान में इनकी संख्या २२९ है । छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में इनकी संख्या में वृद्धि किए जाने का विचार है ।

[श्री कल्याण सिंह]

(१०) होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा अधिकारी के भांति समान अधिकार एवं समान वेतन हो—राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में नियुक्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों का वेतन वर्तमान में रु० ३००–५५० के वेतनक्रम में है । इन्हें वे सभी अधिकार प्रदत्त हैं जो कि एक पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक को यू० पी० होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम १९५१ (समय–समय पर संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त है । जहां तक समान वेतन का प्रश्न है छात्रों का इस मांग से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, तो भी इस मामले को भी शासन द्वारा गठित उपरिसंदर्भित सात सदस्यीय समिति को निर्दिष्ट किया गया है । समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर इसके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

(११) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण छात्रों को इण्टर्नशिप दी जाय––प्रदेश में ४ वर्षीय बी० एम० एस० के डिप्लोमा पाठ्क्रम में वत्मान किसी भी प्रकार की इण्टर्नीशिप का उल्लेख नहीं है । सामान्यतः इण्टर्नशिप पाठ्यक्रम का एक अंग ही होता है । इसकी व्यवस्था कैसे की जाये यह विषय भी सात सदस्यीय समिति के विचारधीन है । इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय समिति की संस्तुति याद प्राप्त हो जाने के उपरान्त लिया जा सकेगा ।

(१२) होम्योपैथिक कालेजों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की सेवा नियमावली बनाई जाय––यह मामला भी शासन द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति के विचाराधीन है । आवश्यक कार्यवाही समिति की संतुतियां प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(१३) होम्योपैथिक कालेजों में डिग्री कोर्स की स्थापना की जाय और बी० एम० एस० डिप्लोमाधारियों को कन्डेन्सड कोर्स के पश्चात् डिग्री प्रदत्त की जाय––छात्रों की यह मांग भी राज्य सरकार के पास कई वर्षों से लम्बित थी । यह विषय भी सात सदस्सीय समिति को उनके विचारार्थ एवं संस्तुतियां देने हेतु निर्दिष्ट किया गया है । इस दिशा में आवश्यक निर्णय समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो जाने के उपरांत ही लिया जायेगा ।

(१४) प्रत्येक होम्योपैथिक कालेज के साथ ५० शैय्याओं का एक अस्पताल हो जिसका संचालन शासन द्वारा हो––शासन ने इस विषय को भी सात सदस्सीय समिति को संदर्भित कर दिया है जो इस समस्या पर भी पूर्ण विचार करके अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी ?

(१५) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं जिला अस्पतालों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी भी नियुक्त हों––प्रदेश के जिन–जिन जिला अस्पतालों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत है उनमें होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी गई हैं और वे वहां कार्यरत भी हैं ।

जहां तक प्रदेशीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रश्न है, के सम्बन्ध में शासन की नीति चिकित्सा सुविधाओं के विकेन्द्रीकरण की है जिससे कि प्रदेश की जनता को व्यापक रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सके । विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की सुविधायें एक ही स्थान पर केन्द्रित कर देना प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त नहीं होगा ।

(१६) होम्योपैथिक फार्मेसी को जो अल्कोहल एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जाता है, वह मेडिसिन ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जाय––इस पर विचार किया गया एवं यह पाया गया कि छात्रों का स्वयं इस मांग से कोई सीधा सम्बन्ध

नहीं है । यदि प्रदेश में स्थित कोई होम्योपैथिक फार्मेसी इस मांग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगी तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जायगी ।

(१७) सभी होम्योपैथिक कालेजों हेतु भूमि–भवन की व्यवस्था की जाय—वर्तमान में ४ वर्षीय बी० एम० एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले सभी १५ कालेज अभी गैर सरकारी हैं एवं इनका सारा प्रबन्ध इनकी गैर सरकारी प्रबन्ध समितियां करती हैं । अतः इन कालेजों हेतु भूमि–भवन का उत्तरदायित्व भी उन्हीं समितियों का है तो भी इस विषय को कि एक होम्योपैथिक कालेज के लिए कितनी भूमि/भवन की आवश्यकता होगी, सात सदस्यीय समिति को संदर्भित कर दिया गया है । आवश्यक कार्यवाही संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी ।

(१८) जिन होम्योपैथिक के पुराने छात्र नेताओं पर मुकदमा चलाया जा रहा है उसे अविलम्ब वापस लिया जाय––होम्योपैथिक बोर्ड ने सूचित किया है कि इस मांग से छात्रों का मतलब उस अग्निकांड से है जो १९२२ में बोर्ड के कार्यालय में हुआ था । यह मामला सी० आई० डी० की जांच के बाद न्यायालय में चलाया गया है ।

(१९) वार्षिक परीक्षा के पहले एक और पूरक परीक्षा ली जाय और जो छात्र पिछली सप्लीमेन्ट्री में छूट गये थे उनकी परीक्षा अगली परीक्षा के साथ ली जाय––इस मांग पर परीक्षा लेने वाली संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्यवाही अपेक्षित है । कानपुर विश्वविद्यालय को होम्योपैथिक छात्रों को डिप्लोमा परीक्षायें लेन हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है जो इस सम्बन्ध में भी नियमानुकूल विचार करके उचित निर्णय लेगी ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान शासन ने होम्योपैथिक छात्रों की सभी न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर लिया है एवं तदनुसार आवश्यक आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं ? होम्योपैथिक की शिक्षा–दीक्षा एवं इस लाभकारी चिकित्सा पद्धति की सेवाओं के समुचित नियंत्रण, निर्देशन हेतु उपरोक्त प्रभावकारी तथा प्रगतिशील कदम पिछले कितने ही वर्षों में कभी नहीं उठाये गये जो कि वर्तमान शासन ने अब प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये हैं ।

उपरोक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में होम्योपैथिक छात्रों द्वारा आन्दोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है । उनकी प्रायः सभी मांगें मान ली गई हैं । छात्रों को चाहिये कि वे अपना आन्दोलन अब तत्काल वापस ले लें और अपनी परीक्षायें दे एवं एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)––

मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के पृष्ठ २ पर पैरा २ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें इन्होंने कहा है कि शासन ने विचारोपरान्त छठी पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथिक कालेजों के प्रान्तीयकरण का निश्चय किया है । फिर आगे इस पैरा के अन्त में इन्होंने कहा कि इस समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के इन १५ होम्योपैथिक कालेज का छठी योजना में प्रान्तीयकरण का निश्चय अन्तिम रूप से हो चुका है या उसमें भी अभी कोई शंका है ? अगर अंतिम रूप से निश्चय हो चुका है तो इसको लागू करने में क्या परेशानी है ?

श्री कल्याण सिंह—

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि छठी योजना में प्रान्तीयकरण का फैसला अन्तिम रूप से किया जा चुका है। केवल उसकी रूपरेखा वर्क आउट करने की दृष्टि से सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और वह स्थान-स्थान पर जाकर अध्ययन कर रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९७३ की धारा ५ की उपधारा (१) में यह व्यवस्था कर दी गई है कि आगरा या कानपुर यूनीवर्सिटी से इनको सम्बद्ध किया गया है और विभिन्न परीक्षायें और डिप्लोमा-डिग्री देने का अधिकार भी दिया गया है और इसी के तहत नेशनल होम्योपैथिक कालेज को कानपुर यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया गया और वह उसकी परीक्षाएं भी ले रही है। तो इस व्यवस्था को इन १५ होम्योपैथिक कालेजों पर लागू करने में क्या कठिनाई है और कंट्रोलर नियुक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री कल्याण सिंह—

सान्यवर, १५ होम्योपैथिक कालेज चल रहे हैं। मैं निःसंकोच रूप से कह सकता हूं कि यह नाम के कालेज हैं। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अधिकांश यह अपनी दूकानें खोलकर बैठे हुए हैं। वहां न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न वहां इक्विपमेंट की व्यवस्था है। किसी भी कालेज को यूनिवर्सिटी से एफीलिएट कराने के पहले अपने पेनल द्वारा जांच कराकर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह कालेज या इंस्टीट्यूशन एफीलिएट होने के लायक है या नहीं। हम इंस्पेक्शन करवा रहे हैं कि कितनी साज-सज्जा चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितना इक्विपमेंट चाहिए। रिपोर्ट आने पर छठी योजना में जो प्रान्तीयकरण करेंगे फिलहाल यूनिवर्सिटी से एफीलिएट करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। छात्रों की मांग यह थी कि इम्तहान बोर्ड से नहीं देना चाहते थे। हमने बोर्ड के स्थान पर कानपुर यूनिवर्सिटी को अधिकृत कर दिया। वही इम्तिहान लेगी और डिप्लोमा देगी। रही नियंत्रक की बात तो बोर्ड में अनियमितताएं शासन के संज्ञान में लाई गई थीं और छात्रों की मांग थी और प्रागदर्शन में भी हमने अनुभव किया कि बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए, इसलिए साधिकार नियंत्रक नियुक्त करना पड़ा।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, जब मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह मान लिया कि जो १५ कालेज हैं वह महज दुकानें हैं और छात्रों की मुख्य मांग भी यही थी कि उनमें कोई पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था नहीं है। न भवन है, न डैड बाडी है तो उनकी मांग थी कि उनकी दशा सुधारी जाय, उनका प्रान्तीयकरण हो जाय, उनका विशुद्धीकरण हो जाय।

श्रीमन्, तो सारी समस्याओं का निदान हो जावेगा। अब जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो परीक्षा कहां से देंगे। तो जो मांगें रक्खी गई हैं वह प्रान्तीयकरण के इधर-उधर घूम रही हैं। सात सदस्यों के सुपुर्द जो यह मामला सौंपा गया है तो वह ठीक नहीं है। अगर प्रान्तीयकरण हो जावे तो सभी समस्यायें हल हो जावेंगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बोर्ड भंग किया गया है, तो केवल सदस्य भंग कर दिए गए हैं लेकिन काम करने का तरीका वही है और उसमें कोई अन्तर नहीं आया है। तीसरी

बात इसमें जो १८ में लिखा है कि जो मुकदमें चलाए जा रहे हैं उनको वापस ले लिया जाय । अगर शासन मंत्रियों के खिलाफ ३२५ का केस वापस ले सकता है और एक मंत्री के खिलाफ सी० बी० आई० की रिपोर्ट के बाद भी केस. . .

श्री अध्यक्ष--

इन दलीलों की इजाजत नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह--

मैंने जैसा निवेदन किया, सी० आई० डी० की जांच के बाद कोर्ट में यह केस पहुंच चुका है । बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर और जांच के आधार पर यह अग्निकांड का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रान्तीयकरण के बारे में आपको क्या कहना है, आपका विचार है कि १५ होमियोपैथी कालेज हैं जिनको कालेज कहते हैं लेकिन दूकानें हैं । तो क्या दूकानों का प्रान्तीयकरण किया जावेगा । फिर जहां आयुर्वेद की दूकानें हैं, उन सभी का प्रान्तीयकरण किया जाय, इस पर भी विचार किया जाय ।

श्री कल्याण सिंह--

मैं स्पष्ट कर दूं कि सभी कालेज दूकानें हैं, ऐसा नहीं है । मैंने कहा कि उनमें से अधिकांश दूकानें हैं। आपने सही समय पर सही दिशा में ध्यान आकर्षित किया है और मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि शासन के यह विचाराधीन है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि प्रदेश के अन्दर जो आयुर्वेद कालेजेज हैं, यूनानी कालेजेज हैं या होमियोपैथी के कालेजेज हैं वह अपेक्षित स्तर पर जब तक विकसित नहीं होते, तो नये किसी भी पैथी में कालेज खोलने की अनुमति न दी जाय । होता यह है कि कोई भी कालेज खोल देता है और फिर आन्दोलन शुरू हो जाता है कि प्रान्तीयकरण किया जाय । चूंकि हम होमियोपैथी का विकास करना चाहते हैं और चूंकि हमने छात्रों को वचन दिया है लेकिन जो यह कालेजेज चल रहे हैं उनमें शिक्षा-दीक्षा समुचित नहीं है, संतोषजनक भी नहीं है, इस नाते सरकार ने वचन दिया था । तो यह विचार करना पड़ सकता है कि हम उनके के बजाय अपने कालेजेज शुरू कर दें । यह सभी बातें शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो गैर सरकारी १५ होमियोपैथी कालेजेज हैं, ११ महीने से वहां छात्र आन्दोलन कर रहे हैं । वहां पर अध्यापक हैं और कर्मचारी हैं । प्रबन्ध समितियां ११ महीने से उन लोगों को वेतन नहीं दे रहीं हैं और सेवा मुक्त कर रही हैं । तो जब प्रान्तीयकरण के बारे में शासन ने फैसला ले लिया है तो वहां पर सरकार नियंत्रक नियुक्त कर दे जिससे जिन अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, मिल सके ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, शासन से इन संस्थाओं को बहुत कम अनुदान दिया जाता रहा है। वह बात, मान्यवर, आपके माध्यम से कह दूं कि हमारे पूर्ववर्ती शासन ने जो गंदगी पैदा कर दी थी, यह शासन उस गंदगी को दूर करके इस होम्योपैथी चिकित्सा का उन्नयन करने के लिए कृतसंकल्प है ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह नहीं था ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूं । हमारा विचार उन सभी प्रबन्ध समितियों को भंग करके साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने का नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों/अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली और जो सेवा-मुक्त किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या रूपरेखा बना रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, ये सभी प्राइवेट संस्थायें हैं । किसी भी अध्यापक आदि के लिये कोई सेवा-नियम बने ही नहीं हैं । इस नाते से शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब तो दिया नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी होम्योपैथी छात्रों की न्याय-संगत मांगों पर उदारतापूर्वक विचार किया है । लेकिन एक बात रह गई थी कि उसके लिए समितयां गठित कर दी थीं । वे समितियां काफी समय कहीं न लगा दें, इसलिए स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हुं कि मांग संख्या २, ६, ८, १०, ११, १२, १३, १४ और १७ के सम्बन्ध में जो समितियां गठित की गई हैं, वे कब की गई हैं और क्या उनके द्वारा प्रतिवेदन देने के लिए कोई समय की सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, गैर सरकारी होम्योपैथी कालेज के सम्बन्ध में शायद पूछ रहे हैं । मान्यवर, एक सात सदस्यों की समिति का गठन दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ में कर दिया गया है । यह जो० ओ० की कापी है । ६ महीने का समय इन्होंने मांगा था । इस अवधि में १५ कालेजेज में से वे ११ का निरीक्षण कर चुके हैं । तीन महीने का समय और मांगा है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने छात्र किन-किस सेक्शन में किन-किन जेलों में हैं ? साथ ही जब ये हजारों की संख्या में छात्र हैं, तो क्या कठिनाई है कि उनको नहीं रिहा किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह तो प्रश्न नहीं उठता । माननीय मंत्री जी यह तमाम सूचना कैसे ला सकते हैं कि कितने छात्र जेलों में हैं, कितने की हड्डियां टूटीं, कितनों को चोटें लगीं । इसलिए इसकी अनुमति नहीं देता ।

प्रदेश के होम्योपैथिक छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिए किए जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अजीत सिंह सेठी—

माननीय, संख्या नहीं तो कुछ तो सूचना बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

अब मेरठ के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए, यह तो नहीं बताया जा सकता ?

श्री अजीत सिंह सेठी—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सारा आन्दोलन समाप्त हो जाय तो क्या इस आधार पर उनको छोड़ने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि जितने होम्योपैथी छात्र गिरफ्तार हैं आन्दोलन के सिलसिले में क्या आप उनको छोड़नें को तैयार हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

यह किसी को पसन्द नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसन्द नहीं है कि प्रदेश का कोई भी छात्र जेल में रहे लेकिन जब आन्दोलन, प्रदर्शन, घिराव हो रहा है तथा कानून तोड़ा जा रहा है उसके आधार पर जो भी प्रशासनिक कदम होते हैं वे उठाये जा रहे हैं । मैंने विस्तृत वक्तव्य देने का प्रयास किया है और मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य सहयोग दें, छात्रों को वह प्रेरित करें, समझायें कि आन्दोलन को वह वापस लें क्यों कि उनकी परीक्षायें यूनिवर्सिटी से कराई जा रही है जो कि पहले कभी नहीं किया गया, निदेशालय भी स्थापित किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ । अन्य सब बा हमारे पास विचाराधीन हैं । यह आन्दोलन वापस हों, परीक्षा की तिथि वे हमको बतला दें, एक दो अथवा तीन महीने तैयारी के लिए ले लें और निश्चित तौर पर जब हमको वह तिथि बतला देंगे परीक्षा के लिए तो हम विश्वविद्यालय से अनुरोध करेंगे की वह परीक्षा ले लें और फिर जब आन्दोलन समाप्त हो जायगा तो जेल में रहने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त किया जाता है ।

गोरखपुर जनपद के सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन पर पी० ए० सी० के सिपाहियों द्वारा गोली चलाये जाने की घटना के संबन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

माननीय, दिनांक २१ अप्रैल, १९७८ को २८८ डाउन (गोरखपुर–छितौनी) पैसेन्जर गाड़ी को एक जी० आर० पी० कांसटेबिल २ पी० ए० सी० हेड कान्सटेबिल तथा पी० ए० सी० के ६ सिपाही कोर्ट कर रहे थे । जब बाड़ी सिसवा बाजार रेलवे स्टेशन पर रात ८–४० बजे पहुंची तो श्री मुंशी नाम का एक व्यक्ति (जिसे शराब पिये हुए बताया जाता है) जिस डिब्बे में पी० ए० सी० वाले बैठे थ, उसमें चढ़न का प्रयत्न करने लगा । भैंसहा का मेला होने के कारण गाड़ी में अत्यधिक भीड़ थी । इस डिब्बे में अन्य लोग जिनमें महिलाएं भी थी,

[श्री लक्ष्मण सिंह]

पहले से बैठे हुए थे । इस डिब्बे की क्षमता १६-१७ यात्रियों की थी । पी०ए०सी० के एक सिपाही ने उसे रोका और जबरदस्ती चढ़ने का प्रयत्न करने पर उसे ढ़केला । इस पर श्री मुंशी ने चिल्लाना शुरु कर दिया कि पी० ए० सी० वाले गुंडागर्दी कर रहे है । इस प्रकार उकसाये जाने पर वहां काफी भीड़ एकत्र हो गई और गाड़ी का होज पाइप काट दिया । पी० ए० सी० वाले डिब्बे के दूसरी तरफ से निकल कर स्टेशन मास्टर के दफ्तर की तरफ चले । भीड़ उनके पीछे गई । एक जी० आर० पी० कान्सटेबिल तथा पी० ए० सी० के दों सिपाहियों के साथ भीड़ की हाथापाई हो गई । बताया गया है कि भीड़ ने सिपाहियों को पीटा और उनकी राइफलें छीनने का प्रयत्न किया जिस पर राइफलधारी दोनों पी० ए० सी० के सिपाहियो ने एक-एक राउन्ड फायर किया जिससे दो आदमी घटनास्थल पर आहत होकर गिर गये और मर गये । एक अन्य घायल व्यक्ति अस्पताल में मर गया । इस घटनाक्रम में पी० ए० सी०/पुलिस के ५ कर्मचारियों को चोटें आयीं हैं । मरने वाले तीन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :

१—श्री राजधारी यादव पुत्र श्री मुखल जिला देवरिया ।

२—श्री नर्मदा सिंह पुत्र श्री शीतला सिंह, जिला गोरखपुर ।

३—श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री राम चन्द्र जायसवाल, जिला गोरखपुर ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मुझे दुख है। मैं घटना स्थल पर घटना होने के १० मिनट बाद पहुंच गया था । जनता सरकार का शासन है । मैं वहां का जन प्रतिनिधि हूं और सत्ता में हूं । यह स्थिति बतलाई गयी कि ८ सिपाही एक महिलाओं के डिब्बे में बैठे थे ।

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

८ सिपाहियों में एक मुंशी शराब पीकर हल्ला मचा रहा था । क्या मुंशी की जांच कराई गई ? मुंशी पुलिस के हाथों से भाग गया और यात्रियों पर गोलियां चली । जो डेड बाडी मिली है उनसे टिकट प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जायसवाल जी, आप स्पष्टीकरण करने लगे हैं । आप प्रश्न पूछिये कि क्या मुंशी जिस पर शराब पीने का आरोप है, उसकी डाक्टरी जांच कराई गई ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने जो लिखा है कि होज पाईप काटा गया । तो क्या वह बतायेंगे कि जो होज पाईप काटा गया उसकी रिकवरी का मामला बनाकर सील किया गया । आई० जी० और जिलाधिकारी के सामने वह रखा गया । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, जिलाधिकारी और डी० आई० जी० घटनास्थल पर अगले दिन सुबह पहुंचे । गाड़ी जो थी वह इस घटना के कारण देर तक यहां रुकी और वह मशीनरी हौज पाईप आदि ठीक कराकर चली गई । उसके बरामद होने का प्रश्न ही नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह भी है कि क्या मुंशी जो शराब पीये हुए था, उसकी डाक्टरी जांच कराई गई ?

श्री उबल--

मान्यवर, मुंशी भाग नहीं सकता है क्योंकि वह लंगड़ा है । लकड़ी लेकर चलता है ।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा उनका यह भी प्रश्न है कि जो हौज पाईप काटा गया क्या उसको अधिकारियों के सामने पेश किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मुंशी, मान्यवर, गिरफ्तार नहीं हुआ । घटना के समय बहुत भीड़ थी जैसा कि बताया जाता है । उसमें मुंशी कहां गया इस कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका । हौज पाईप के बारे में जी० आर० पी० के थानाध्यक्ष तफतीश कर रहे हैं । अभी नहीं मालूम कि तफतीश में क्या क्या चीज बरामद हुई ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि जी० आर० पी० और पी० ए० सी० के लोग डिब्बे में बैठे थे और उसमें महिलायें भी थी और कथित शराबी उसमें शोर मचा रहा था । यह विश्वास नही किया जा सकता है कि भीड़ में शराब पीकर आजायेगा और पी० ए० सी० पर हमला करने के लिए उतारू हो जायेगा । क्या शासन को इस बात की शिकायत मिली है कि पी० ए० सी० के लोग महिलाओं के साथ छेड़ खानी कर रहे थे ? क्या उन महिलाओं से भी तत्काल बयान लिए गए कि वह कहां की थी और कहा जा रही थीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, उस डिब्बे की कुल कैपिसिटी १६, १७ आदमियों की थी । उसमें ९ पी० ए० सी० और जी० आर० पी० के लोग मय रायफल के बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ और यात्री थे । कहा जाता है कि वह महिलाएं मेले में जा रही थी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । जवाब तो सुनने दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

कहा जाता है कि यह मुंशी पहले भी किसी स्टेशन पर घुसने का प्रयास कर रहा था । जब उसे मौका नहीं मिला तो शोर किया और पी० ए० सी० वालों ने नहीं चढ़ने दिया । एक कहानी यह माननीय सदस्य ने बताई कि जिसका वेरीफिकेशन नहीं हुआ कि पी० ए० सी के लोग महिलाओं के छेड़ रहे थे । कहा जाता है कि यह आदमी बार बार हर स्टेशन पर छेड़खानी करने के लिए हर डिब्बे में घुसना चाहता था । मामले की जांच हो रही है । जो शासन को सूचना मिली है और पी० ए० सी० के लोगों ने लिखाई है, उनका कहना है कि वह डिब्बे में घुसना चाहता था उसको हमने रोका । लेकिन दूसरी तरफ से कोई बरजन नहीं आया ।

श्री रामगोविन (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभियोगों की विवेचना जो थाना, जी० आर० पी०, गोरखपुर से हो रही है, उसके स्थान पर किसी उच्च पुलिस अधिकारी से विवेचना कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें पुलिस अधिकारियों ने जिला अधिकारी को राय दी है कि सी० आई० डी० से इसकी तफतीश कराई जाय और उनकी राय को देखते हुए सी० आई० डी० से जांच कराने पर विचार होगा ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

जिन दो सिपाहियों को निलम्बित किया गया है, उनके विरुद्ध ३०२ बफा में मुकदमा कायम किया गया है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ? यदि गिरफ्तार नहीं किया जा सका है तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की गई है या नहीं ? और जो लोग मारे गये हैं, उनके आश्रितों को क्या सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह दोनों सिपाही मुअत्तल हैं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है । मैजिस्ट्रीयल या सी० आई० डी० जैसी जांच का निर्णय होगा, उसमें कार्यवाही होगी और जो मारे गये हैं, उनके परिवार के आश्रितों को ५-५ हजार रुपया मुआवजा देने की बात है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह डेढ़ पेज का वक्तव्य है, ऊपर से नीचे तक पढ़ जाइये, पूरे में से कुछ है, किन्तु अन्त में कुछ सफाई से कह दिया गया है ..।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने निकाला है, वह बताइये ..।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसके पढ़ने से मालूम होता है कि पुलिस का कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्त में लिखा है कि पुलिस के दो सिपाही निलम्बित कर दिए गये और उन पर ३०२ बफा का जुर्म लगाकर मुकदमा भी चल रहा है, तो कौन आपके यहां ऐसा वक्तव्य

बनाता है, जो परस्पर विरोधी हैं यह कैसे दो तरफा बात होती है ? यह अधिकारियों को बताया जाय साथ ही साथ . . .।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इस पर मुख्य मन्त्री के दस्तखत हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्री ने नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष—

तो आप उनसे पूछिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

तो मुख्य मन्त्री जी बताएं कि किस वजह से जब पुलिस वालों ने अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया है और लोगों को चोटें लगीं, पुलिस पर ३०२ का मुकदमा चलाया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, मुझे सही जानकारी तो नहीं है (व्यवधान) लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है, मिश्रा जी वकील हैं (व्यवधान) ऐसा है कि जब भी कोई आदमी मारा जाता है किसी की गोली से तो उस पर ३०२ का कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है, उसमें तफतीश होती है, अब उसमें मुजरिम ठहरता है या नहीं यह अलग की बात है। तो आत्मरक्षार्थ भी कोई किसी पर गोली चलाएगा तो उसमें भी ३०२ का मुकदमा चलेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मंत्री जी ने अपने बयान में बड़ी अच्छी तरह से सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की है और पुलिस के निकम्मेपन को जामा पहनाया है। वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, ट्रेन पर आदमी ठसाठस भरे हुए थे, छतों पर भी मजमा लगा हुआ था। ८-साढ़े ८ बजे की घटना है। पुलिस अधिकारी चन्द महिलाओं के साथ जा रहे थे, यदि इन महिलाओं की डाक्टरी होती तो सारी बातें साफ हो गई होती मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुंशी जिसकी चर्चा है, वह शराब पिये हुए था, मुंशी बदमाश हो सकता है, बैसाखी से चलता है, उसके पास पैर नहीं है, इतनी काफी भीड़ थी। लोगों ने चेंज किया सिपाहियों को। जब भीड़ थी तो गोली कैसे चलायी और गोली चलायी तो तीनों की पीठ पर गोली कैसे लगी। किसी को सामने या कमर के नीचे गोली नहीं लगी है। भागते हुए लोगों पर पुलिस ने पीठ पर गोली चलायी।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री ने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बतायी है जिसमें गोली चलाने का औचित्य हो। प्रागदर्शन में वह स्वीकार करते हैं कि अपराध किया है। एक बात और जानना चाहता हूं। आल इंडियो रेडियो और सरकारी अखबारों में आपने यह छापा है कि जो भीड़ थी वह अनियन्त्रित हो गयी थी। भीड़ ने हमला किया, होज पाइप तोड़ दिया। यह साफ जाहिर करता है कि प्रशासन का निश्चित मत है इसलिए सच्चाई जाहिर हो जाय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मैजिस्टीरियल इनक्वायरी की जगह पर जुडीशियल इनक्वायरी की मांग स्वीकार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, इसमें पुलिस के सिपाहियों के विरुद्ध आरोप है और नामजद मुलजिम हैं और बजाय जी० आर० पी० या पुलिस के सी० आई० डी० को तफतीश दी जा रही है उसके अतिरिक्त मैजिस्टीरियल जांच हो रही है। अब हर इस प्रकार की घटना में न्यायिक जांच कराने का कोई औचित्य जाहिरी में ज्ञात नहीं होता है। कोई कारण भी नहीं कि मजिस्ट्रेट या सी० आई० डी० सही तफतीश नहीं करेंगे। माननीय सदस्य वहां के निवासी हैं। जो तथ्य उनके पास हों मैजिस्ट्रेट महोदय और सी० आई० डी० के सामने प्रस्तुत करें मेरा पी० ए० सी० या किसी के कारनामे छिपाने का और उनको बचाने का उद्देश्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, जब-जब गोली चलने की बात आयी है सदन में, मान्यवर, मैंने एक ही तरह के प्रश्न इस बात के किये हैं कि जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी है अगर ड्युटी सही तौर से अंजाम करें तो गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। २१ अप्रैल को इतने कांस्टेबिल, सिपाही उस ट्रेन में एस्कोर्ट करने के लिए जा रहे थे, बयान में यह स्वीकार किया गया है कि कोई मुंशी आदमी घुसना चाहता था, जिसे धक्के दे कर निकाला गया, वादविवाद हो गया। वह सिपाही ट्रेन में जा रहे थे लेकिन बैठे सब एक ही डिब्बे में थे। भीड़ बहुत थी। उन सिपाहियों ने किसी को क्यों रोका ? इसलिए बैठे कह रहा हूं क्योंकि ट्रेन रुकने पर दूसरी तरफ से उतर गये। मैं जानना चाहता हूं, इस तरह के लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को सही अंजाम नहीं देते, एक डिब्बे में सब जा कर बैठ गये, तो शासन कौन सी कड़ी व्यवस्था कर रहा है कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी नियमानुकूल और व्यवस्था के अनुसार कार्य किया करें ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, एस्कोर्ट के सिपाहियों को एक ही डिब्बे में बैठना होता है गाड़ी में। यह नहीं है कि अगर बस डिब्बे हैं तो हर डिब्बे में एक-एक सिपाही बैठ जायं। उसके कारण हैं। उनका नियम वह है कि हर स्टेशन पर दो सिपाही या चार सिपाही मस्केट ले कर पहरा देंगे और फिर गाड़ी में बैठ जायेंगे। यह तो वैसे साधारण नियम है। राजेन्द्रकुमार जी जब थर्ड क्लास में चढ़ जाते हैं और डिब्बे में भीड़ होती है तो लोगों को रोकते हैं कि यहां जगह नहीं है। और पी० ए० सी० का सिपाही अपनी बन्दूक की रक्षा के लिए रोक रखता है। उनके पास हथियार होते हैं, वह ड्यूटी दे या बन्दूक को बचाये। अगर किसी ने बगैर कायदे गोली चलायी है तो उन पर मुकदमें चलाये गये हैं।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, जहां पर गोली चलेगी उनके खिलाफ ३०२ का मुकदमा दर्ज होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश म पन्त नगर, गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर आदि आदि में गोली से मरे हैं उनके खिलाफ क्या ३०२ के मुकदमे दर्ज किए गये या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मन्जूर साहब तो बहुत पुराने सदस्य हैं। कानून की जानकारी इनको है नहीं और अब इनको सारा कानून समझाना होगा। तो जहां-जहां पर गोली चली उनकी हालात अलग-अलग होती हैं। अगर दोनों ओर से गोली चली तो दोनों ओर के लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा। हमने जहां पर जरूरी समझा पुलिस पर मुकदमे चलाये हैं। आपकी रिजीम में १००-१०० आदमी मारे गये लेकिन मुकदमें नहीं चलाये गये।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२७ अप्रैल, १९७८।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर ।)

संलग्नक

क्र०सं०	योजना का नाम	योजना के विरचन का का वर्ष	शासन द्वारा स्वीकृत प्रदान किए जाने का वर्ष	कार्य प्रारम्भ का वर्ष
१	२	३	४	५
	जनपद ललितपुर—			
१	ललितपुर पेयजल योजना	१९५२–५३	१९५४–५५	१९५५
२	ललितपुर बांध से ग्रामीण पेयजल योजना	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६६–६७
३	महरौनी भंडावरा ग्राम समूह पेयजल योजना	१९६४–६५	१९६४–६५	१९६४–६५
४	बार तालाब से ग्रामीण पेयजल योजना	१९६६–६७	१९६६–६७	१९६६–६७
५	तालबेहट ग्राम समूह पेयजल योजना	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६६–६७
६	पिपराबासा ग्राम समूह पेयजल योजना	१९६९–७०	१९७०–७१	१९७०–७१
ब	जनपद झांसी—			
१	मऊरानीपुर पेयजल योजना	१९५९–६०	१९६०	१९६०
२	मऊरानीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना सपरार बांध से	१९६६–६७	१९६६–६७	१९६६–६७
३	बरुआसागर ग्राम समूह पेयजल योजना	१९६६–६७	१९६६–६७	१९६६–६७
४	मोठ पेयजल योजना	१९६४–६५	१९६७–६८	१९६७–६८

१	२	३	४	५
५	समथर पेयजल योजना	१९६२–६३	१९६७–६८	१९६७–६८
६	ग्रामीण पेयजल योजना जे० सी० पाइप लाइन से	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६६–६७
७	झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना प्रथम चरण भाग–२	१९६६–६७	१९७१–७२	१९७१–७२
८	झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना प्रथम चरण भाग–३	१९६७–६८	१९७१–७२	१९७१–७२
९	बमरौली ग्राम समूह पेय–जल योजना	१९७६–७७	१९७६–७७	१९७६–७७
१०	भरोसा ग्राम समूह पेयजल योजना	१९७६–७७	१९७६–७७	१९७६–७७
११	रानीपुर ग्राम समूह पेयजल योजना	१९७६–७७	१९७६–७७	१९७६–७७
१२	गुरसराय पेयजल योजना	१९७६–७७	१९७६–७७	१९७६–७७
१३	ऐरीच पेयजल योजना	१९७२–७३	१९७४–७५	१९७४–७५

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९५ पर)

पहली जून, १९७७ से १५ जनवरी, १९७८ की अवधि में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं का विवरण :—

क्रमांक	डाक्टर का नाम, पदनाम	अस्पताल का नाम	वर्तमान स्थिति
१	२	३	४
१	डा० नरेन्द्र नाथ, चिकित्साधिकारी	आरोध्याश्रम भुवाली, नैनीताल	मामला कोर्ट में लम्बित है ।
२	डा० आई०ए० उस्मानी, चिकित्साधिकारी	सिकन्दरपुर, फैजाबाद	पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को रिपोर्ट की गई है ।
३	डा० एस०डी० झागिय, मुख्य चिकित्साधिकारी	मैनपुरी	मामले की रिपोर्ट शहर कोतवाल मैनपुरी को दी गई ।
४	(क) डा० अनिल गुप्ता, (ख) डा० एस० सी० श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी	सिविल अस्पताल, लखनऊ	पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।
५	डा० एस० एम० खान, चिकित्साधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, बाराबंकी	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।
६	डा० सार्दुला सिंह, सर्जन	जिला चिकित्सालय, बाराबंकी	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
७	डा० के०एल० रजोरिया, चिकित्साधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरा, जिला—झांसी	मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।
८	डा० आर०एन० सिनहा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी	मिर्जापुर	सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है ।
९	डा० बी० के० गर्ग, प्लास्टिक सर्जन, डा० अनुप खरे, हाउस सर्जन	सरोजनी नायडू चिकित्सालय, आगरा	नगर मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

१	२	३	४
१०	डा० आर०सी० जोशी, चिकित्साधिकारी	संयुक्त अस्पताल, बाजपुर, आगरा	स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
११	डा० आर०सी० कटिहार, चिकित्साधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराय मीरा, जिला फर्रुखाबाद	स्थानीय कोतवाली, कन्नौज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
१२	डा० (श्रीमती) प्रेमकान्ती अग्रवाल, चिकित्साधिकारी	महिला चिकित्सालय, बरेली	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
१३	डा० एस०के० सक्सेना, मुख्य चिकित्साधिकारी	बहराइच	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।
१४	डा० (कु०) ऊषा ढ़ोड़ियाल, चिकित्साधिकारी	महिला चिकित्सालय, बरेली	मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है ।
१५	डा० स्वतंत्र कुमार शर्मा, चिकित्साधिकारी	जिला चिकित्सालय, मथुरा	मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई । जांच आख्या शासन के विचाराधीन है ।
१६	डा० ए० पान्डे, चिकित्साधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, जिला प्रतापगढ़	लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
१७	डा० जी०पी० मेहरोत्रा, जिला क्षयरोग अधिकारी	प्रतापगढ़	उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।
१८	डा० कुलदीप सागर, डांग, चिकित्साधिकारी	सेन्ट्रल जेल, बरेली	कारागार महानिरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है ।
१९	डा० के० सी० गंगवार, चिकित्साधिकारी	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद	जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।
२०	डा० आर०सी० राठौर, चिकित्साधिकारी	जिला चिकित्सालय, उन्नाव	पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

१	२	३	४
२१	डा० एम०के० अग्रवाल, चिकित्साधिकारी	जिला अस्पताल, ललितपुर	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।
२२	डा० राजाराम, चिकित्साधिकारी	अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर	जिलाधिकारी को तथ्यों से अवगत कराया गया ।
२३	डा० एस० ए० दीवान, चिकित्साधिकारी	मऊ चिकित्सालय, आजमगढ़	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।
२४	डा० ए० के० वर्मा, चिकित्साधिकारी	टी० बी० सैनीटोरियम, सहारनपुर	तदेव
२५	जिल चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी	जिला चिकित्सालय, देवरिया	संयुक्त निदेशक, गोरखपुर, मण्डल द्वारा जांच कराई जा रही है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे ७०६ पर)

संलग्नक

देवरिया जनपद के विशुनपुरा विकास खण्ड के प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्र०सं०	ग्रामों का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	खम्भे खड़े होने की स्तिथि
१	२	३	४
१	चिरगोड़ा	१५-४-१९७७	पहले से कोई खम्भा नहीं खड़ा था ।
२	चितहा मेह पकड़ी	३०-९-१९७४ (चितहा गांव का)	चितहा मेह पकड़ी नाम का कोई गांव नहीं है ।
३	माधो का ढिलवा	..	इस नाम का कोई गांव नहीं है ।
४	अरेनहवा (नान आर०ई०सी०)	..	कोई खम्भा नहीं खड़ा है और न ही कोई प्रार्थना-पत्र विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु अभी अभी तक प्राप्त हुआ है ।
५	बबुइया हरपुर	३०-३-११७८	खम्भे १९७४ से खड़े थे । कंडक्टर तथा ट्रान्सफार्मर लगा कर लाइन चालू कर दी गई है (आर० ई० सी० योजना में) ।
६	चँती मुसहरी (आर०ई०सी०)	..	खम्भे नहीं खड़े हैं । वर्ष १९७८-७९ में विद्युतीकृत्त हो जाने की आशा है ।
७	कंठी छपरा	३०-३-१९७८	खम्भे १९७४ से खड़े थे । कंडक्टर तथा ट्रान्सफार्मर लगा कर लाइन चालू कर दी गई है ।

पी० एस० यू० पी०--४२ वि० सभा--१४-९-७८--८४३ (पी० डी०) ।